पंचम माला, खंड 41, अंक 5 शुक्रवार, 26 जुलाई, 1974/4 श्रावण, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLI, No. 5 Friday, July 26, 1974/Sravana 4, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 41 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणो आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5—शुक्रवार, 26 जुलाई, 1974/4 श्रावण, 1896 (शक)

No. 5—Friday, July 26, 1974/Sravana 4, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
81	वित्त मंत्री की रूस यात्रा के दौरान चर्चित विषय	Subjects discussed during Finance Minister's Visit to USSR	1–2
84	देश में मुद्रास्फीती पर नियंत्रण पाने के लिये भारतीय अर्थशास्त्रियों से प्राप्त प्रस्ताव	Proposals received from Indian Economics to control Inflation in the country . . .	3–5
85	आयकर आधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities	6–10
86	मुद्रा सप्लाई का प्रसार	Expansion in money Supply .	10–12
89	राज्यों द्वारा राज समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Raj Committee by States	12–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
82	चाय के निर्यात के लिए वित्तीय राहत	Financial Relief for Export of Tea	14
87	उड़ीसा को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Orissa	14–15
88	त्रिपुरा सरकार का जीवन बीमा निगम से ऋण लेने के लिए अभ्यावेदन	Representation made by Government of Tripura for Loan from LIC . . .	15
90	भारत सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गई खानों के मालिकों के विरूद्ध बैंकों द्वारा की गई कार्यवाही	Action taken by Banks against owners of Mines taken over by Government of India .	15
91	काले धन का पता लगाने के उपाय	Steps to Unearth Black Money	16–17
92	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Essential Commodities . . .	17

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on th· floor of the House by him.

1 —21 LSS/74

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
93	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश कार्यान्वित करना	Implementation of recommendation of Third Pay Commission in regard to HRA and CCA payable to Central Government Employees .	18
94	नेपाल द्वारा कुछ वस्तुओं के आयात को सीमित किया जाना	Restriction imposed on Import of Items by Nepal . .	18
95	व्यय में मितव्ययिता के संबंध में राज्य सरकारों से की गई अपील	Appeal issued to State Governments in regard to Economy in Expenditure . . .	18–19
96	आयात तथा निर्यात लाइसेंसों में जालसाजी	Foregery of Import and Export Licences	19
97	राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में कटौती	Cut in Central Assistance to States	19–20
98	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना	Grant of D.A. to Central Government Employees . .	20
99	प्रदर्शनी और वाणिज्यिक प्रचार के लिये पृथक पृथक निदेशालय	Separate Directorates for Exhibition and Commercial Publicity	20
100	मध्यम किस्म के कपड़े की विक्री तथा वितरण के ऊपर नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव	Proposal to Exercise Control Over Sale and Distribution of Medium Variety of Cloth .	20–21

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
687	चीनी के निर्यात के लिये करार	Contract for Export of Sugar	21
688	कान्डला निर्बाध व्यापार जोन	Kandla Free Trade Zone .	21–22
689	केरल में काफी बागानों का बंद होना	Closure of Coffee Plantations in Kerala	22
690	राज्य व्यापार निगम द्वारा बासमती चावल का निर्यात	Export of Basmati Rice by STC	22–23
691	नेपाल से खाद्यान्नों की तस्करी	Smuggling of Foodgrains from Nepal	23
692	त्रिपुरा में पटसन मिल	Jute Mill in Tripura . .	23
693	पटसन उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु अंतर-मंत्रालयी समिति की स्थापना	Setting up of Inter Ministerial Committee to solve problems of Jute Industries . .	24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
694	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पड़े उच्च पद	Top Posts lying vacant in Public Sector Undertaking . .	24–25
695	हथ करघा उद्योग के लिये केन्द्र में पृथक आयुक्त	Separate Commissioner at the Centre for Handloom Industries	25–26
696	अखबारी कागज की सप्लाई के लिये कनाडा के साथ समझौता	Agreement with Canada for Supply of Newsprint . .	26
697	जमाखोरों की गिरफ्तारीयाँ	Arrests of Hoarders .	26
698	जमाखोरों से पकड़ी गई वस्तुओं के सुरक्षित ढंग से रखने के लिये प्रबंध .	Arrangements for Safe Storage of Commodities confiscated from Hoarders . . .	27
699	आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रित भाव और बाजार भाव में अंतर	Difference between Controlled and Market Prices of Essential Commodities . . .	28
700	राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के लिये आई० बी० आर० डी० से सहायता	Assistance from IBRD for Rajasthan Canal Project Area	28
701	युगोस्लाविया को माल डिब्बों की सप्लाई तथा जहाजों की खरीद	Purchase of Ship and Supply of Wagons to Yugoslavia .	28–29
702	सरकार से राजसहायता प्राप्त अत्यावश्यक वस्तुयें	Essential Commodities subsidised by Government . . .	29
703	अत्यावश्यक वस्तुओं का कालेबाजार में बेचा जाना	Black Marketing in Essential Commodities .	29–30
704	भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच सीधी विमान-सेवा	Direct Flight between Bhubaneshwar and Delhi . .	30
705	भंडारी पोखरी, जिला बालासोर, उड़ीसा में यूनाईटेड कमर्शियल बैंक आफ उड़ीसा की शाखा खोलना	Opening of Branch of United Commercial Bank of India at Bhandari Pokhari, District Balasore, Orissa . . .	30
706	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रबंधक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन तथा परिलब्धियों में वृद्धि	Increase in Salaries and Perquisites of Managerial Personnel in Public Sector Undertakings	31
707	चीन के निर्यात के बारे में निर्णय	Decision on Sugar Exports .	31
708	रिजर्व बैंक आफ इंडिया की नगदी रक्षित निधी में कमी	Reduction in Cash Reserve of R.B.I.	32
709	अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन से औद्योगिक आयातों के लिये ऋण	Credit from International Development Association for Industrial Imports . .	32–33

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
710	इंडियन एयरलाइंस द्वारा भवन किराये पर लेने के संबंध में इकरारनामा	Contract for renting premises by Indian Airlines . .	33-34
711	अयोध्या टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली के प्रतिनिधि मंडल की वाणिज्य मंत्री के साथ भेंट	Deputation of Ayodhya Textile Mills, Delhi to the Commerce Minister	34
712	हथकरघा बुनकरों को धागा सप्लाई न किया जाना	Non-Supply of Yarn to the Handlooms weavers . .	34-35
713	तैयार तम्बाकू के निर्यात में गिरावट . . .	Decline in Export of Manufactured Tobacco . . .	35
714	दिल्ली में इस्पात के विक्रेताओं की दुकानों पर आयकर अधिकारियों के द्वारा मारे गये छापे	Raids by Income Tax Authorities on Shops of Steel Dealers in Delhi . . .	35-36
715	वर्ष 1973-74 के दौरान नारियल-जटा के निर्यात में कमी	Decline in Export of Coir during 1973-74 . . .	36-37
716	स्वीडन से ऋण के लिये समझौता	Agreement for Loan from Sweden	37-38
717	विमान चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु भारत-जैरे समझौता	Indo-Zaire Agreement to Train Pilots	38
718	अध्ययन दल द्वारा जैरे का दौरा	Visit by Study Team to Zaire .	39
719	भारत-पोलैंड व्यापार वार्ता	Indo-Polish Trade Talks .	39
720	मध्य प्रदेश में कान्हाखेडा (सांची) में सुरक्षा कागज संयंत्र की स्थापना	Setting up of Security Paper Plant at Kanhakhera (Sanchi) in Madhya Pradesh . .	39
721	संकटग्रस्त चाय बागानों का सरकारी करण	Talking over of Sick Tea Gardens	40
722	केरल में आर्थिक संकट	Economic Crisis in Kerala .	40
723	काजू की गिरी का निर्यात	Export of Cashew Kernal .	40-41
724	छोटे हथकरघा कारखानों का वित्त-पोषण करने में बैंकों की ओर से ब्याज संबंधी सहायता किया जाना	Interest Subsidy in Financing of Small Handloom Factories from Banks . . .	41
725	फ्रांस को टस्सर रेशम के सामान के निर्यात में कमी	Decline in Export of Tasar Silk Goods to France .	41-42
726	ब्रसेल्स में भारत-युरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग	Joint Commission by Indo-European Economic Community at Brussels	42-43

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
727	भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग	Indo-Finnish Joint Commission	43
728	अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये राज्यों के साथ विचार विमर्श	Discussions with States for Mobilising Additional Resources .	43–44
729	मूल्य सूचकांक में वृद्धि	Rise in price Index .	44
730	चाय अधिनियम का संशोधन	Amendment of Tea Act .	44–45
731	एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान ईंधन की बचत के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken by Air India and Indian Airlines to Save aviation fuel . . .	45
732	फलों का निर्यात	Export of Fruits . .	45–46
733	भारतीयों द्वारा विदेश से लाये गये इलेक्ट्रोनिक केलकुलेटर पर सीमा शुल्क की अदायगी न करना	Non-payment of customs duty on Electronic Calculator Brought by Indians from Abroad . . .	47
734	पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकरों की धागे की मांग	Demand for Yarn by weavers of Eastern U.P. . . .	47
735	उत्पादन शुल्क तथा बिक्रीकर में वृद्धि का इंडियन एयरलाइंस पर प्रभाव . . .	Effect on Indian Airlines due to Increase in Excise duty and Sales Tax . . .	47–48
736	भारत सहायता सार्थ संघ की बैठक	Meeting of aid India Consortium	48
737	कनाडा द्वारा औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात स्थगित किया जाना	Suspension of export of Industrial goods by Canada . . .	48–49
738	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अनिवार्य बीमा योजना लागू करना	Introduction of compulsory insurance Scheme for Central Government Employees .	49
739	इंडियन एयरलाइंस द्वारा बोइंग-737 विमानों की खरीद	Purchase of Boeing 737 Aircraft by Indian Airlines .	50
740	एयर इंडिया द्वारा समूचे विश्व की विमान यात्रा की योजना	Scheme for round the World Air Travel by Air India . .	50
741	लंदन में नीलामी के लिये निर्यात की गई चाय को वापस लेना	Withdrawal of Tea Exports from London Auction . .	51
742	वर्ष 1974 में पहले सात महीनों के दौरान आयात/निर्यात व्यापार की मात्रा	Volume of Imports/exports during First seven months in 1974	51
743	भारत द्वारा प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों के संगठन की सदस्यता	India's membership of the association of Natural Rubber Producting countries .	51–52

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
744	रेल हड़ताल का निर्यात पर प्रभाव	Exports Affected by Railway Strike	52
745	बैंकों द्वारा शाखा विस्तार के लिये तीन वर्षीय आवर्ती योजनायें बनाया जाना	Formulation of three years rolling plans for Branch Expension by Banks	52
746	हथकरघा उद्योग संबंधी उच्च शक्ति अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of High Power Study Team on Handloom Industry	53
747	दिल्ली हवाई अड्डे पर 'इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम"	Instrument Landing system at Delhi Airport . . .	53-54
748	वर्ष 1973-74 के लिये इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के लक्ष्य	Target of Exports of Engineering Goods for 1973-74 .	54
749	एयर इंडिया द्वारा किरायें में वृद्धि	Increase in Fares by Air India	54-55
750	बेरोजगार विमान चालकों की सेवाओं का उपयोग किया जाना	Utilisation of services of Unemployed pilots . . .	55
751	पांचवी योजना के दौरान कपड़ा उद्योग संबंधी कर्मी-दल	Task Force on Textile Industries during Fifth Plan . .	55-56
752	भारत में मुद्रास्फीती रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check Inflation in India	56
753	रेल हड़ताल के कारण अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Essential commodities due to rail strike .	56
754	मूल्य सूचकांक में वृद्धि और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान	Rise in price index and payment of D.A. to Central Government employees	57-58
755	विमान चालन को मितव्ययी बनाने के लिये विमानन नीति में भारी परिवर्तन	Major changes in aviation policy for making aircraft operation economic . . .	58
756	इलायची और अरंडी के तेल के अधिक मात्रा में क्रय के संबंध में भारत और रुस के बीच समझौता	Agreement between India and USSR to buy more Cardamom and Castor oil . . .	58-59
757	रोबस्टा काफी पर उत्पादन शुल्क में कमी करना	Reduction in excise duty on robusta coffee . . .	59
758	एशियाई विकास बैंक की ऋण देने संबंधी नीतियों में परिवर्तन	Changes in lending policies of Asian Development Bank .	59-60
759	तम्बाकू बोर्ड का गठन	Setting up of a Tobacco Board	60
760	भारतीय रुई निगम द्वारा रुई का आयात	Import of cotton by CCI .	60

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
761	श्रीलंका को चोरी छिपे अफीम का ले जाया जाना	Smuggling of opium to Sri Lanka	61
762	खास कजोरा, परसिया और न्यू सतग्रांम के मालिकों द्वारा सार्वजनिक शेयर जारी करके जमा की गई पूंजी	Capital raised by public issued by owners of Khab Kajora, Parsea and New Satgram .	61–62
763	विश्व निर्यात में भारत के भाग में गिरावट	Decline in India's share in world exports	62
764	टैक्सटाईल निर्यात के आंकड़े	Figures of textile exports . .	62–63
765	पंजाब के उद्योगों की अधिक क्षमता	Vast Potential of Punjab Industries	63–64
766	राज्य व्यापार निगम द्वारा आस्ट्रेलिया से 'ग्रीजी' ऊन का देर से भिजवाया जाना	Late shipment of greasy wool from Australia by STC .	64
767	सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों में वेतन वृद्धि पर प्रतिबंध	Wage Freeze in Government Departments and Public Sector Undertakings . . .	64
768	वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक	I.M.F.'s meeting in Washington	65
769	अमरावती में आयकर अधिकारी द्वारा छापा मारा जाना	Raid by Income Tax Officer in Amraoti	65
770	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Essential Commodities	65–66
771	आर्थिक उपायों को सुदृढ़ बनाना	Tightening of Economy Measures	66–68
772	बम्बई पत्तन से अखबारी कागज की खेप को न उठाने के कारण विलंब शुल्क	Demurrage charges for not clearing Newsprint Consignment from Bombay Port .	68–69
773	अतिरिक्त उपलब्धि (अनिवार्य जमा) अध्यादेश का सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव	Effect of Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Ordinance on Government Employees	69
774	लखनऊ हवाई अड्डे से होकर जाने वाली दिल्ली और कलकत्ता के बीच विमान सेवाएं	Flights between Delhi and Calcutta touching Lucknow Airport	69
775	भारतीय हवाई अड्डो पर तौलियों और साबुनों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Towels and Soaps at Indian Air Ports .	69–70
776	मोटी किस्म के कपड़े की बिक्री	Sale of Coarse Cloth . .	70

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
777	राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों के वेतनमानों को युक्तिसंगत बनाने के लिये नियुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	Submission of report by the Committee Appointed to Rationalise Pay Scales of Officers in Nationalised Banks .	70–71
778	बिहार राज्य को विकास कार्यों के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना	Loan given by LIC to Bihar State for its Development Works	71
779	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण	Revision in Rates of HRA and CCA Payable to Central Government Employees .	71–72
780	सिक्योरिटी कागज का उत्पादन	Production of Security Paper .	72
781	बैंकों में समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of OTA in Banks	72–73
782	गत 14 महीनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये मंजूर किया गया महंगाई भत्ता	D.A. granted by the Central Government to its Employees during the last Fourteen Months	73–74
783	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Himachal Pradesh . . .	74
784	भारतीय रुपये की क्रय शक्ति	Purchasing power of Indian Rupee	75
785	बीमा नियंत्रक कार्यालय को शिमला से दिल्ली में लाना	Shifting of Office of Controller of Insurance from Simla to Delhi . . .	75
786	एक्स सर्विसमैन एयरलिंक ट्रांसपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सेदार	Share holders of Ex-servicemen Air-link Transport Service Private Limited . .	75–76
787	आम का निर्यात	Mango export	76
788	छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of small Coins .	77
789	रुपये का मूल्य	Value of Rupee .	77–79
790	मयोथूरा में एक हवाई अड्डे के निर्माण संबंधी निर्णय	Decision on construction of an Air port at Mayithura .	79
791	राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों को दिया गया ऋण	Loan given by Nationalised Banks and other Financial Institutions to Large Industrial Houses . . .	80
792	विभिन्न मंत्रालयों के वित्तीय क्रिया कलापों के बारे में लेखा-परीक्षा टिप्पणियों की संख्या में वृद्धि	Increase in audit observations regarding Financial transactions of various Ministries	80

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
793	गत वर्ष यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को निर्यात किये गये माल का कुल मूल्य	Total value of goods exported to EEC countries last year	80–81
794	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी में मंडियों सबंधी सर्वेक्षणों का किया जाना	Oversease market surveys undertaken under the U.N.D.P. .	81
795	वर्ष 1972-73 के दौरान पालिसी धारियों द्वारा वार्षिक प्रीमियम की जमा की गई गैर-समायोजित राशि	Unadjusted amount of annual premium deposited by policy holders during 1972-73 .	81–82
796	दिल्ली में पर्यटक होटल	Tourist Hotels in Delhi .	82
797	पश्चिम बंगाल के बुनकरों को सूत की सप्लाई	Supply of Yarn to West Bengal Weavers . .	82
798	सरकारी व्यय में मितव्ययता बरतने का सुझाव देने के हेतु एक समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to suggest Economics in Government Expenditure .	83
799	सोवियत संघ से क्पास का आयात	Import of raw cotton from Soviet Union	83
800	मुद्रास्फीती रोकने के लिये कार्यवाहियां	Steps to check inflation .	83–86
801	इंडियन एयर लाइंस मे बिना काम के कर्मचारी	Workers idle in Indian Airlines	86
802	देश में वित्त निगमों का कार्यकरण	Functioning of Finance Corporation in the country . .	86–87
803	कपड़े के निर्यात में कमी	Decline in Textile Export .	87
804	राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट	Overdrafts by States . .	87
805	दक्षिण दिल्ली में चल रहे प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कारखाने द्वारा आयकर न दिया जाना	Non-payment of Income tax by Plastic Factories functioning in South Delhi .	88
806	इंडियन एयरलाइंस में अपव्यय को रोकने में प्राप्त सफलता	Success achieved in eliminating wasteful practices in Indian Airlines	88
807	भारत और सेनेगल के बीच व्यापार समझौता	Trade pace between India and Senegal	89
808	दिल्ली में एक ट्रक से चांदी की सिल्लियों का बरामद किया जाना	Seizure of silver from a truck in Delhi	89
809	मंत्रालयों को उनके द्वारा की गयी सेवाओं के संबंध में हुई हानि	Loss suffered by Ministries on various services performed by them	89

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
810	प्रमुख वस्तुओं का निर्यात	Export of key items . . .	90
811	रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा बोनस की मांग	Demand of Bonus by Rubber Board Employees . .	90
812	केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala	90
813	केरल में पर्यटन स्थलों का विकास	Development of Tourist spots in Kerala	91
814	पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा धन का नि तन	Funds Earmarked by LIC for investment in backward areas	91-92
815	काफी का निर्यात	Export of Coffee .	92
816	मुद्रा सप्लाई में कमी करने के बारे में अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए सुझाव	Suggestion made by Economists regarding reduction in money supply	92
817	सोना रखने की अधिकतम सीमा	Ceiling on Gold . . .	92-93
818	चम्बल परियोजना के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for development of Chambal project	93
819	पालम (दिल्ली) के निकट होटल के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to construct hotel near Palam (Delhi) . .	93
820	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता	Assistance from International Monetary Fund . . .	94
821	पश्चिम यूरोपीय देशों में भारतीय बुनती वाले ऊनी कपड़ों की काफी मांग	Vast scope for Indian woollen knite wear in West European countries	94
822	चाय निर्यात अभियान	Tea export drive	94-95
823	भारतीय पटसन निगम द्वारा बिहार में पटसन की खरीद	Purchase of jute by JCI in Bihar	95
824	साबरीमाला (केरल) का विकास	Development of Sabarimala (Kerala)	96
825	केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बिलों/चैकों का भुगतान रोकने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया को जारी किये गये निदेश	Directions issued to SBI to stop payment of Bills/cheques presented by State Government of Kerala	96
826	सरकारी वाहनों का प्रयोग करने पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागाध्यक्षों तथा अन्य कार्मिकों पर प्रतिबंध	Restrictions placed on various Ministries, Department, heads and other personnel in the use of Govt. owned vehicles	96-97

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
827	करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes	97–98
828	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार के लिए पेरिस में बैठक	Meeting in Paris for International Monetary Reforms .	98–99
829	काले धन का पता लगाने के उपाय	Steps to unearth black Money .	99
830	आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था	Distribution system of Essential Commodities . . .	99–100
831	मकान किराए की रसीदों की छूट के लिए निर्धारित राशि की सीमा बढाना	Enhancement in the Limit fixed for exemption of House Rent Receipts	100
832	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के व्यापारियों को ऋण	Loan advanced by Nationalised Banks to various categories of dealers	100–101
833	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को अनुग्रह-अनुदान देना	Grant of *Ex-gratia* compensation for refugees from West Pakistan	101
834	कलकत्ता हवाई अड्डे से जाने वाली, कलकत्ता हवाई अड्डे पर आने वाली तथा वहां से होकर जाने वाली आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में सुधार	Improvement in Internal and International Flights to, from and through Calcutta Airport	101–102
835	राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पद	Vacancies for Scheduled Casts and Scheduled Tribes in the Nationalised Banks .	102–103
836	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of S.C. and S.T. by the Board of Directors of Nationalised Banks .	103–104
837	बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Banks	104
838	राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	Representation of S.C. and S.T. in Nationalised Banks . .	104–105
839	छूट राज सहायता योजना वापिस लिये जाने के संबंध में हथकरघा बुनकरों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Handloom Weavers regarding withdrawal of Rebate Subsidy Scheme	105–106
840	आबंटन में कटौती का भारतीय पर्यटन विकास निगम के विकास संबंधी योजनाओं पर प्रभाव	Affect of cut in Allocations on Development plans of ITDC	106

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
841	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना	Grant of D.A. to Central Government employees . .	106
842	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विभिन्न उद्योगों तथा केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को ऋण दिया जाना	Amount advanced by IDBI to different industries and Kerala State Industrial Development Corporation . . .	106–107
843	इलैक्ट्रानिक उपकरणों का निर्यात	Export of Electronic Equipment	108
844	प्राकृतिक रबड़ का निर्यात	Export of Natural Rubber .	108
845	सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी विमानों का उपयोग	Foreign Aircraft used by Government Officials . .	108–109
846	पांचवी योजना में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना	Scheme to boost up tourism in Fifth Plan	109
847	पुस्तकों का निर्यात उचित माध्यम द्वारा करने संबंधी योजना	Scheme for canalisation of Book Export	109
848	इंडियन एयर लाइंस में एयर बस सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Airbus in Indian Airlines . . .	109–110
849	दिल्ली में सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Delhi .	110
850	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	Loan from International Development Association . .	110–111
851	अकाल राहत कार्यों के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Rajasthan for Famine Relief Works .	111
852	विदेशों को काफी का निर्यात	Export of Coffee to Foreign Countries	111–112
853	ब्रिटेन को चाय के निर्यात में गिरावट	Decline in export of Tea to U.K.	112

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	. 113-117
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	117
विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Bills as passed by Rajya Sabha	117
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में आदिवासियों पर अत्याचार के समाचार—	Reported repression on Adivasis in Maharashtra and West Bengal—	
श्री मधु दंडवते	Shri Madhu Danadvate	117, 118-119 व 120
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	118, 119-120 121-122 व 123-124
राष्ट्रीय पुस्ताकालय विधेयक—	National Library Bill—	
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee .	124
(दो) साक्ष्य	Evidence .	124
सभा का कार्य	Business of the House	. 125-128
दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1974—पुरःस्थापित	Delhi Sikh Gurudwaras (Amendments) Bill—*Introduced* .	128
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Member's Bills and Resolutions—	
42 वां प्रतिवेदन	Forty Second report	129
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	
(1) व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक (धारा 2 का संशोधन, धारा 3क आदि का अंतःस्थापन) श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	Trade Unions (Amendment) Bill (Amendment of section 2, insertion of section 3A, etc.) by Shri P. M. Mehta	129
(2) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 4 आदि का संशोधन) श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	Payment of Gratuity (Amendment) Bill (Amendment of sections 2, 4 etc.) by Shri P. M. Mehta . . .	. 129-130
(3) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्बपेन्शन निधि (संशोधन) विधेयक (धारा 1, 2 आदि का संशोधन) श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा	Employees' Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Bill (Amendment of sections 1, 2 etc.) by Shri P. M. Mehta .	130

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(4) पंजाब शुफा (दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त) निरसन विधेयक, श्री हुकमचन्द कछवाय द्वारा	Punjab Pre-emption (as in force in the Union Territory of Delhi) Repeal Bill by Shri Hukum Chand Kachwai .	130
(5) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 83 क का अंतः-स्थापन) श्री सी० के० चंद्रप्पन द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of New Article 83A) by Shri C. K. Chandrappan .	130–131
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 का संशोधन) श्री विभूति मिश्र द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 75) by Shri Bibhuti Mishra	131
(7) लाभ की अधिकतम सीमा विधेयक श्री यमुनाप्रसाद मंडल द्वारा	Ceiling on Profits Bill by Shri Yamuna Prasad Mandal	131
(8) विदेशी कम्पनियां विनियमन विधेयक, श्री मधु लिमये द्वारा	Foreign Companies Regulation Bill by Shri Madhu Limaye	131–132
(9) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 297 का संशोधन) श्री मधु लिमये द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment) of article 297) by Shri Madhu Limaye	132
(10) विदेशी उपाधियां तथा पुरस्कार (विनियमन) विधेयक श्री समर गुह द्वारा	Foreign Honours and Awards (Regulation) Bill by Shri Samar Guha . . .	132
(11) भारत में विदेशी प्रचार (विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, श्री समर गुह द्वारा	Foreign Propoganda in India (Regulation and Control) Bill by Shri Samar Guha	132–133
चीनी उद्योग के लिये दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों विधेयक—श्री डी० के० पंडा द्वारा	Second Wage Board recommendations for Sugar Industry Bill by Shri D. K. Panda—	
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi .	133
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	133
श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	134
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder .	134–135
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	135
श्री हुकम चन्द कच्छवाय	Shri Hukum Chand Kachwai .	135
श्री बालगोविंद वर्मा	Shri Bal Govind Verma .	136–137
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	137

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन)—डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 19 and 326) by Dr. Laxminarain Pandeya—	
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya .	138–140
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Haldar	140–141
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik .	141–142
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	142
डा० बी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao	142–143
सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव	Motion Contempt of the House	143–144
श्री रातु जोसाध्या तवाकिया थितुईवुडा तथा फिजी के सीनेट के सदस्य का स्वागत	Welcome to Mr. Ratu Josais Tavaquia The Tui Vuda and Member of the Senate of Fiji	144
आधे घंटे की चर्चा—	Half an hour Discussion—	
हाल्दिया पत्तन में शिपयार्ड की स्थापना करना—	Setting up of Shipyard at Haldia Port—	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	144–145
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi .	145–146 147

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 26 जुलाई, 1974/4 श्रावण, 1896 (शक)
Friday, July 26, 1974/Srawana 4, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर 4 मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at 4 minute past Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वित्तमंत्री की रूस यात्रा के दौरान चर्चित विषय

*81. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में रूस की यात्रा की थी और वहां पारस्परिक आर्थिक हित की समस्याओं पर चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो चर्चित मामलों का सार क्या है ; और

(ग) इन चर्चाओं के परिणाम क्या निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जी, हां । यू० एस० एस० आर० की यात्रा एक "सद्भावना" यात्रा जैसी थी । फिर भी, आपसी आर्थिक हितों के मामलों जैसे सोवियत ऋणों की शर्तों को उदार बनाकर, भारत की विकास परियोजनाओं पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए नये ऋण देना तथा 'कोमिकन' के इण्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट बैन्क द्वारा परियोजनाओं के लिए खर्च की व्यवस्था करना आदि पर वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत कर इस मौके का फायदा उठाया गया । यह बातचीत जानकारी हासिल करने के रूप में हुई इस बारे में और आगे बातचीत की उम्मीद है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि उन्होंने 'कोमिकान' के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ बातचीत की थी । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 'कोमिकान' देश मुद्रास्फिति मूल्य वृद्धि और पूंजीवादी आर्थिक संकट की समस्याओं से मुक्त है और मुद्रा की स्थिति स्थिर है, क्या मैं

2—21 L. S. S./74

पूछ सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने उनके साथ अपनी कठिन स्थिति और आर्थिक संकट में अधिक लाभप्रद आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से बातचीत की थी जिससे हम किसी हदतक आर्थिक संकट को दूर कर सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसाकि मैंने बताया है जब इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक के चेयरमैन के साथ बातचीत हुई थी तब श्री कौल ने जो मेरे साथ गये थे, वहां के वित्त मंत्री के साथ सामान्य चर्चा की थी । हम जानना चाहते थे कि वे किस प्रकार का काम कर रहे है और हमें किस प्रकार की सहायता दे सकते हैं । हमारा विचार इन संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना था । यह बातचीत लाभप्रद थी और इस के आधार पर आगे कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जब श्री ब्रेजनेव ने भारत यात्रा की थी तो भारत के साथ अनेक आर्थिक समझौते किये गये थे । जब हमारे वित्त मंत्री ने रुस का दौरा किया था तो उन्होंने उन समझौते पर आगे कार्यवाही करने के बारे में रूसी प्राधिकारियों के साथ बातचीत की होगी ताकि आर्थिक सहयोग और बढ़े और हमें लाभ पहूंचे । मुझे आशा है कि वह मेरे पहले प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : समझौते के किसी अनुछेद विशेष को क्रियान्वित करने के लिये बातचीत नहीं की गई थी । परन्तु निश्चय ही समझौते के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसरणात्मक कार्यवाही के विचार से बातचीत हुई थी । वस्तुत: रुस और भारत के बीच आर्थिक सहयोग के लिये एक संयुक्त आयोग बना हुआ है ।मेरा विचार है कि इस संयुक्त आयोग की इन मामलों के बारे में बातचीत करने के लिये रुस में बैंठक होगी, जैसाकि मैं ने बताया है कि व्यापार और आर्थिक सम्बन्धी में सुधार समझौते का एक पहलू है । हमने आर्थिक सम्बन्धों के बारे में बातचीत की थी । पहले प्रश्न में माननीय सदस्य ने गैर समाजवादी देशों को मुद्रास्फीत सम्बन्धी परिस्थितियों के बारे में पूछा था कि हमने इस बारे में बातचीत की थी या नहीं । मैं यह नहीं कह सकता कि इस पहलू विशेष पर बातचीत की गई थी या नहीं परन्तु ये बातें हमेशा हमारे दिमाग में थी ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या खाद्यान्न और विशेषकर गेहूं के आयात की समस्या के बारे में भी बातचीत की गई थी क्योंकि हमें पुन: वापस करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? क्या वित्त मंत्री ने महसूस किया है कि इस करार के आधार पर यदि हम आयात को वापस करते है तो मूल्य के रूप में हमको अधिक धनराशि देनी पड़ेगी । अत: क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले से किये गये आयात के बारे में कोई ढील दिये जाने का उल्लेख किया गया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने मूल्य के सम्बन्ध में अथवा वापसी सम्बन्धी शर्तों के बारे में कोई विशेष बातचीत नही की थी । निःसंदेह उर्वरक इस्पात और गेहूं जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की सप्लाई के बारे में बातचीत की गई थी । चर्चा का मुख्य विषय भुगतान की शर्तों को नर्म बनाना था ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या पारस्परिक बातचीत के दौरान रूस द्वारा भारत को दिये जाने वाले ऋण और विश्व बैंक तथा अन्य पूंजीवादी देशों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर देय ब्याज की तुलना की गई थी?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई ।

श्री समर गुह : क्या रूस सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया था कि रूस भारत से मिट्टी के तेल, उर्वरक और शुद्ध तेल उत्पादों का मूल्य अन्य पूर्व योरुपीय देशों से अधिक लेता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यह प्रश्न नहीं उठाया था क्योंकि मैंने ऐसा करना उचित नहीं समझा ।

देश में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिये भारतीय अर्थशास्त्रियों से प्राप्त प्रस्ताव

†

*84. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० सी० एन० वकील की अध्यक्षता में अर्थशास्त्रीयों के एक दल ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिये कोई योजना सरकार को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या मुद्रा को सूचकांक से सम्बद्ध करने के सुझाव पर सरकार की प्रतिक्रिया अनुकूल है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां । प्रो० सी० एन० वकील की अध्यक्षता में अर्थशास्त्रियों के एक दल ने फरवरी, 1974 में मुद्रास्फीति को रोकने की नीति के बारे में एक ज्ञापन दिया था । ज्ञापन के अनुपूरक में अर्थशास्त्रीयों ने जून, 1974 में एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की है जिसमें सेमिबोम्बला के नाम से रुपये को चलन से हटाने के लिए एक योजना की कार्यविधि बतायी गयी है ।

(ख) अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा उपलब्धि को चलन से हटाने के लिए जो तरीके सुझाये हैं, सरकार उनसे सहमत नहीं है । दूसरे सुझावों पर या तो पहले से ही अमल हो रहा है या उनकी विस्तृत जांच की जा रही है ।

(ग) भारत की मौजूदा स्थिति में सूचक अंक जोड़ने की तकनीकी अमल में लाये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझी जाती ।

श्री पी० गंगादेव : खर्च और मुद्रा के चलन पर नियंत्रण रखने संबंधी किये गये आर्थिक उपायों के अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि समाज के कमजोर वर्गों को जिनपर इस मुद्रास्फीति का सीधा और गम्भीर प्रभाव पड़ा है राहत देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : शायद हम प्रो० सी० एन० वकील द्वारा प्रस्तुत योजना विशेष की चर्चा कर रहे है । यदि यह प्रश्न उसी का अंग है तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं अन्यथा यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री पी० गंगादेव : रुपये का मूल्य घट रहा है इसलिये क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने रुपये के मूल्य को जीवन बीमा निगम की पालिसियों, भविष्य-निधि योजनाओं और उपदान योजनाओं के मूल्यों को थोक मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने के बारे में विचार किया है ताकि निश्चित आय वर्ग को सेवा-निवृत्ति के समय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और यदि हां तो वे इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न अर्थशास्त्रियों की योजना के बारे में है । क्या यह पूरक प्रश्न उस से सम्बन्धित है ? मेरे विचार में तो यह सामान्य प्रश्न है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : एक तरीके से यह सम्बन्धित ही है क्योंकि यह वह एक सुझाव है जो करंसी (मुद्रा) और बचत को जोड़ने सम्बन्धी सूचकांक की 'सेमीबोम्बला' योजना की सिफारिशों का अंग है । सिद्धान्ततः यह प्रश्न सम्बन्धित है परन्तु जैसाकि मैंने स्पष्ट किया है हम हमको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि सरकार सूचकांक से जोड़ने के पक्ष में नहीं हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किये जाने के गत तीन महीनों की अवधि में सरकार ही के अनुसार मूल्य सूचकांक में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो चुकी है क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकारने इस 'सेमिबोम्बला' योजना मे सम्मिलित कुछ प्रस्तावों

पर, जैसे हर वर्ष मुद्रा उपलब्धि में अधिक से अधिक 5 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये और दूसरे सरकारी वितरण व्यवस्था को सुदृढ बनाया जाना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये रक्षित भण्डार बनाये जाने चाहिये और अनिवार्य वसूली (लेवी) लागू की जानी चाहिये, विचार किया है ? अर्थशास्त्रियों के इस ग्रुप द्वारा बताये गये इन विशिष्ट उपायों के बारे में सरकार का क्या विचार है ? वे उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री यशवतराव चव्हाण : जैसाकि मैंने कहा है प्रो० सी० एन० वकील की योजना में अनेक सुझाव हैं जिनको सरकार ने सिद्धान्त रूप में पहले ही स्वीकार कर रखा है और कुछ पर विचार किया जा रहा है। जहां तक मुद्रा उपलब्धि को पांच प्रतिशत तक सीमित रखने के विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है, वह उनकी पेकेज योजना का अंग है। हम इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते है कि हमें मुद्रा उपलब्धि कम करने की दिशा में प्रयत्न करने चाहिये और उसका देश में उत्पादन के स्तर के साथ संतुलन रखना चाहिये। इस नीति को स्वीकार किया गया है और इसी उद्देश्य से मुद्रा वित्तीय तथा उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। परन्तु यह कहना कठिन है कि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि इस को गणित या मात्रा के हिसाब से पांच प्रतिशत ही निर्धारित किया जाना चाहिये।

जहा तक अन्य सुझाव का सम्बन्ध है यह तो स्पष्ट ही है कि हम सरकारी वितरण व्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिये वचनबद्ध हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु अब तो उसे सुदृढ़ बनाने की बजाये कुछ हद तक समाप्त किया जा रहा है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ वस्तुओं को अपने हाथ में लेने के बारे में किये जाने वाले कुछ उपायों में परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि हम सरकारी वितरण व्यवस्था समाप्त करने जा रहे हैं। हम इसके लिये वचनबद्ध है कि कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिये रक्षित भण्डार बनाना ही होगा और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिये उनका संतुलित वितरण करना होगा।

श्री जगन्नाथ राव : क्या सरकारी वितरण व्यवस्था का उद्देश्य समस्त जनता को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करना है अथवा गरीबी से कम स्तर की केवल 30–40 प्रतिशत जनता को ही सप्लाई सुनिश्चित करना है ? यदि इसका उद्देश्य गरीब जनता की आवश्यकताएं पूरी करना है तो क्या सरकार अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण जारी रखेगी जिसके बिना सरकारी वितरण व्यवस्था का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारा उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना है।

श्री जगन्नाथ राव : समस्त जनता को नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह वचन देना कठिन है। मूल बात यह है कि हम कमजोर वर्गों तक ये वस्तुएं पहुंचाना चाहते हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : प्रो० वकील और उनके साथी अर्थशास्त्रियों ने इस वर्ष फरवरी में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था और जून में 'सेमिबोम्बला' प्रस्तुत किया था। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि योजना में सिद्धान्त रूप में काफ़ी अछी बाते हैं। क्या मै पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इन अर्थशास्त्रियों का किसी सक्रिय मंत्रणा क्षमता के रूप में योगदान प्राप्त करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ताकि वे अनेक ज्ञापन या अभ्यावेदन भेजने के बजाय आमने-सामने बातचीत के लिये उपलब्ध हो सकें और यदि मंत्री महोदय कहें कि सरकार किसी तर्क को स्वीकार नहीं कर सकती तो उसका उत्तर दे सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सुझाव है। हम सामान्यत: अर्थशास्त्रियों से मिलते रहते हैं और उनके विचारों का पता लगाते हैं। जब सार्वजनिक विषयों पर सार्वजनिक वाद-विवाद होता है तब ऐसा किया जाता है। आर्थिक विभाग और रिजर्व बैंक में उस ज्ञापन पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था।

श्री पी० जी० मावलंकर : वे शैक्षिक योग्यता वाले स्वतंत्र लोग हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह अच्छा है कि वे स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करते रहें। वार्तालाप करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आवश्यक हुआ तो हम उनसे बातचीत कर लेंगे।

श्री जी० विश्वनाथन : उनके कुल मुद्रा का 30 प्रतिशत चलन बन्द करने अथवा आंशिक विमुद्रीकरण सम्बन्धी सुझाव को रद्द किये जाने के क्या कारण है ? यदि सरकार 'सेमिबोम्बला' को रद्द करती है तो उसके पास इसका क्या विकल्प है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उसका विकल्प यह नीति है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। मैं उसके कई कारण बता सकता हूं परन्तु मैं तकनीकी कारणों से इस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। मुख्य बात यह है कि इससे मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास कम हो जाएगा। यह मुख्य कारण है।

Shri Madhu Limaye : May I know the basis on which the Finance Minister has founded his opinion that people will lose faith in the currency and banking system if the suggestion of the economists is accepted ?

Shri Yashwantrao Chavan : It can be discussed but I have given my opinion.

Shri Madhu Limaye : The discussion can take place but I would like to know the reasons. The money and deposits cannot be expropriated.

Shri Yashwantrao Chavan : It is not blocked but expropriated.

Shri Madhu Limaye : How it is expropriated ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता।

Shri Madhu Limaye : He does not want to discuss. He neither wants to be convinced nor he can convince us.—What does he want ?

Mr. Speaker : Such words should not be used.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Only such expression should be used as might be convincing.

Shri Madhu Limaye : The fact is that he is not being consulted. These things are finalised in the Prime Minister Secretariat and I can appreciate his annouance.

श्री व्यंकट सुब्बैया : क्या यह सच है कि कुछ अर्थशास्त्रियों की राय है कि रिजर्व बैंक के पुनर्गठन की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि उसके कार्य देश में वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं हैं और वह सरकार का सही मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। ऐसी कोई बात नहीं है।

Raids by Income Tax Authorities

85. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) what places were raided by the Income-tax Officers during the last three months ;

(b) the names of the owners of the places raided ; and

(c) the action taken in each case so far ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) अप्रैल से जून 1974 के दौरान तीन महीनों में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए छापों के बारे में अपेक्षित ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8054/74]

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, the statement laid on the Table of the House is very lengthy. It contains about 15 pages. It is very difficult to ask supplementaries on it in such a short time. It will take us sometime to go through it fully. 103 firms have been referred to in this list. There are firms of Jindal group, Bishambher Dayal Badri Prasad Group, Seth Group and Surekha Group. In all 133 firms are under investigation. Out of these action is being taken against 22 firms under section 132 of Income Tax act 1961. I want to know as to what sort of action is being taken against these firms. Is it a fact that the proceedings for the proposed action are at preliminary stage and the delay is being caused deliberately so that matter could be hushed up with the connivance of officers ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने पूछा है कि अप्रैल और जून के बीच कितने छापे मारे गए और उसके संबंध में मैंने उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य का कहना है कि इसको अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब किया जा रहा है। जब छापा मारा जाता है तो उस स्थान से दस्तावेज़ नगद मुद्रा जवाहिरात आदि पकड़े जाते हैं और आयकर अधिकारी को इस बात का निर्णय करना पड़ता है कि ये वस्तुएं करदाता की हैं या उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के अनुसार आयकर अधिकारी को छापा मारे जाने के 90 दिन के भीतर निर्धारण करके संक्षिप्त मूल्यांकन देना होता है। संक्षिप्त मूल्यांकन के दौरान आयकर अधिकारी जब्त की गई वस्तुओं में से कर के मूल्य के बराबर वस्तुओं को अपने पास रख लेता है। बाद में अन्य कार्यवाही होती है। आप को इस बात का पता लगाना होगा कि इसमें कुछ झूठ या जालसाजी तो नहीं है। जहां तक अप्रैल और जून के बीच मारे गए छापों का संबंध है, उसमें कोई विलम्ब नहीं किया जा रहा है।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, the second part of my question has not been replied. If records have been seized during the raid, why prosecution has not been launched so far.

श्री के० आर० गणेश : जैसाकि मैंने पहले बताया, संक्षिप्त मूल्यांकन संक्षिप्त निपटान की समय सीमा 90 दिन है। मूल्यांकन 90 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। जब किसी की सम्पत्ति जब्त की जाती है, तो इस बात का भी निर्णय करना पड़ता है कि वह सम्पत्ति उसी की है अथवा नहीं। निर्धारिती को भी अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह उस सम्पत्ति का लेखा जोखा बता सके। मेरे विचार में माननीय सदस्य ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि आयकर अधिकारी उचित प्रक्रिया अपनाए बिना सम्पत्ति जब्त कर लें।

Shri Phool Chand Verma : I want to know from the hon. Minister as to how much gold, jewellery and smuggled goods have been seized during the recent raids. What is their estimated value ?

श्री के० आर० गणेश : जिन लोगों के स्थानों पर छापा मारा गया तथा वहां से कितना माल बरामद हुआ इस बारे में मेरे पास एक लम्बी सूची है, मैं उन्हें कुल राशि बताने का प्रयत्न करूंगा ।

Shri Nawal Kishore Sharma : The raids in Delhi reveal that the majority of the suspects are dealers in Steel and Iron. They have been getting large quantity of steel and iron at control rate. Besides taking action against them under the Income Tax Act, will these traders be black-listed and they will not be supplied these things on control rate in future ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक इस्पात के घोटाले सम्बन्धी इन बड़े छापों का संबंध है आयकर दृष्टिकोण के अतिरिक्त वह इस्पात नियंत्रण विनियमों का भी उल्लंघन है । इस्पात नियंत्रण प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस दे दिया है। उनके स्टाक रोक लिए गये हैं। तथा उनके विरूद्ध अन्य कार्यवाहियों प्रारंभ कर दी गई है । जो भी, कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक होगी, वह की जाएगी ।

Shri Nawal Kishore Sharma : Whether their supplies would be stopped before taking final decision ?

श्री के० आर० गणेश : जो भी आवश्यक होगा, कार्यवाही की जायेगी ।

Shri R. S. Pandey : It appears from the statement that the Income tax authorities are doing their job effcientely. There is premium on each essential commodity such as steel and iron, textile licences of export and import etc. Have you any plan under contemplation for having your own Intelligence Bureau to investigate the extent of premium on the import and export of various commodities and the persons who are benefited by it ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक आयकर विभाग में आसूचना के प्रश्न का संबंध है, वहां आसूचना और जांच निदेशालय है और हम निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इस आसूचना की प्राप्ति के फलस्वरूप आयकर अधिकारी यह छापा मारने में समर्थ हुए हैं। मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं कि काला धन मुख्यतय: वस्तुओं से ही उत्पन्न होता है अत: इस से संबंधित सभी संस्थाओं, अर्थात् आयकर प्राधिकरण, केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क विभाग, आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकरण तथा अन्य विभिन्न विनियमित करने वाली संस्थाओं को इन वस्तुओं के संबंध में होने वाले इस सट्टे तथा चोर बाजारी पर पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी ।

श्री भानसिंह भौरा : यदि मैं गलत नहीं हूं, तो क्या जिंदल ग्रुप, जिस की यहां 22 फर्मों की सूची दी गयी है, उस व्यक्ति से संबंधित है जिसे राष्ट्रपति पदक दिया गया था और यदि हां, तो क्या वह इस समूचे मामले की जांच करेंगे कि उसने कुछ ही वर्षों में इतनी अधिक सम्पत्ति कैसे बना ली ?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां तक जिंदल ग्रुप वर्क्स का संबंध है, वह यह है कि यह इस्पात छापा है और वह एक बहुत ही बड़ा छापा रहा है। आयकर अधिकारियों ने न केवल इस्पात की चोर बाजारी, के संबंध में ही अपितु सम्पत्ति तथा परिसम्पत्तियों के जमा करने तथा विभिन्न अन्य बातों के बारे में भी काफी सूचना प्राप्त कर ली हैं। इस सभी सूचना पर ध्यान देने के फलस्वरूप यह पता लग जाता है कि इन लोगों ने सम्पत्ति कैसे बनायी है। मुकदमा चलाने और दण्ड देने के बारे में कानून के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायेगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जिंदल ग्रुप ब्रदर्स के कितने स्थानों की तलाशी ली गयी थी और वहां से कितना धन और कितनी वस्तुओं को पकड़ा गया था? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तलाशी कब ली गयी थी। उस समय प्रतिरोध किया गया था और आयकर अधिकारियों पर आक्रमण किया गया था, जो विभिन्न स्थानों की तलाशी लेने के लिये गये थे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मारुती कार परियोजना का एक निदेशक जिंदल ग्रुप से है अथवा नहीं?

श्री के० आर० गणेश : दिल्ली, कलकत्ता, हिसार तथा अन्य कुछ स्थानों पर छापे मारे गये थे। जहां 16,75,500 रुपये के मूल्य के आभूषण और करंसी नोट और जमा राशियों आदि के रूप में 19,46,804 रुपया पकड़ा गया था। यह सच है कि एक छापे के दौरान कुछ व्यक्तियों ने आयकर अधिकारियों को मारने पीटने का प्रयास किया था। इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गयी है। उन के विरूद्ध मामला दर्ज करा दिया गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या किसी को गिरफ्तार भी किया गया है?

श्री के० आर० गणेश : आयकर अधिकारियों को मारने पीटने के मामले में सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : चूंकि वित्त मंत्रालय ने वास्तव में काले धन के स्रोतों का पता लगाना प्रतीत होता है, इस लिये क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि जब कभी आयकर अधिकारियों ने किन्हीं स्थानों पर छापा मारने के बारे में निर्णय किया तो अधिकांश मामलों में बड़े व्यापारी गृहों को पहले से सूचना मिल जाती है कि आयकर अधिकारी छापा मारने के लिये आने वाले हैं। मैं यहां एक विशेष मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता में जब बिरला बन्धुओं विशेषकर कि गतवर्ष तथा उससे पूर्व वर्ष में बी० एम० बिरला तथा एम० पी० बिरला के घरों की तलाशी ी गयी थी, इस के साथ ही जब श्री बदरी प्रसाद पोद्दार के घर पर छापा मारा गया था ः यह सूचना उन्हें मिल गयी थी, और स्वतः अगले दिन ही इसे रोक दिया गया था। झे व्यक्तिगत रूप से यह सूचना मिली है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय बड़े व्यापारियों के घरों पर छापा मारने के लिये आयकर अधिकारियों की सहायता के बिना कोई वैकल्पिक प्रबन्ध अथवा तंत्र का उपयोग कर सकता है, क्योंकि आयकर के अधिकारी बड़े व्यापारी-गृहों को सूचना दे देते हैं। उन्हें सभी सूचना मिल जाती है। तो छापे कैसे मारे जा सकते हैं? अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां तक बड़े व्यापारी गृहों पर छापे मारने का संबंध है, क्या वित्त मंत्रालय द्वारा कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया जा सकता है?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य के प्रति अपना पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, जहां तक उनकी जानकारी का संबंध है और वह एक नेता हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी का प्रश्न नहीं है। वह आप को सूचना दे रहे हैं।

श्री के० आर० गणेश : कुछ स्पष्टीकरण देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मैं उनके कथन का प्रतिरोध करने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन्हें सूचना को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानसिक रूप में तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। वह प्रत्यक्ष रूप से इस सूचना के साथ संबंधित हैं।

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि जब आयकर अधिकारी छापे मारते हैं, तो वह उन व्यापारियों से सांठ-गांठ करके ऐसा करते हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे विशिष्ट सूचना देने के लिए तैयार हैं, तो हम इस पर विचार करेंगे। बड़े व्यापार गृहों में भी कई छापे मारे गयें हैं और जहां तक मेरी धारणा का संबंध है वस्तुतः इन लोगों के विरुद्ध आयकर अधिकारियों द्वारा कोई छापा नहीं मारा गया है। सम्भवतः वह प्रवर्तन विंग का उल्लेख कर रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि गत दो या तीन वर्षों के दौरान इन लोगों के विरूद्ध आयकर विभाग द्वारा कोई विशेष छापा नहीं मारा गया है।

श्री एन० एम० पटेल : जैसा कि सूची से ही पता चलता है ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर अधिकारियों ने बहुत ही पक्की सूचना के आधार पर कार्यवाही की, किन्तु एक या दो मामले ऐसे हैं जिनमें कुछ भी माल आदि नहीं पकड़ा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में जब उन्हें पता लगता है कि गलत सूचना के आधार पर छापे मारे गये हैं, तो क्या इसे देखने के लिए इस विभाग द्वारा और जांच की जाती है कि इसका कारण क्या था, क्या यह सूचना देने वाला स्रोत संतोषजनक था, क्या उन्हें इस तरह कार्य करना चाहिए था, क्योंकि छापे का अर्थ कुछ प्रतिष्ठा की हानि आदि होता है। जैसा कि मैंने कहा है कि यह जानकर संतोष होता है कि दो या तीन मामलों को छोड़कर जिस सूचना के आधार पर उन्होंने कार्यवाही की, वह निश्चित थी और उन्हें कार्यवाही करने हेतु कुछ न कुछ प्राप्त हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह विशिष्ट मामलों में क्या करते हैं क्या वे छापा मारने से पूर्व यह देखने का कष्ट करते हैं कि यह सूचना ठीक भी है?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि 150 छापों में से केवल एक या दो मामलों में ही कुछ नहीं मिला है। यदि व्यक्ति को परेशान किया गया और यदि कर्तव्य का पालन करने में किसी प्रकार की लापरवाही की गयी है, तो उच्च अधिकारी इस पर विचार करते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि काले धन की समस्या हल करने में छापों और रूपया तथा माल आदि के पकड़ने का काफी प्रभाव होता है। मेरे विचार में विश्वास तथा सन्तोष के लिए इन छापों को मारा जाता है न कि परेशान करने की खातिर।

अध्यक्ष महोदय : इतने अधिक प्रश्न पूछे गये हैं, तब भी आप की सन्तुष्टि नहीं हुई है?

श्री एस० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री भट्टाचार्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपने पीछे बैठे सदस्य की बात में व्यवधान न डालें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को सदैव क्षेत्रकार बुलाते है। आपने अभी उस दिन ही कहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे उसका कठोरता से पालन करना चाहिये?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं यह नहीं कहता।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे परामर्श दीजिये, मैं उसका पालन करूंगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप को कृपा करके प्रत्येक सदस्य के साथ न्याय करने का प्रयास करना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : अपने प्रश्न से पूर्व सर्व प्रथम मुझे उन अधिकारियों और कर्मचारियों को अवश्य ही बधायी देता हूं जिन्होंने जिंदल जैसे बड़े व्यापार गृह पर छापा मारने के लिये साहस तथा दृढ निश्चय का परिचय दिया है, जिसे हम सरकार, कुछ सरकारी अधिकारियों और कुछ मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समाचार में कुछ सच्चाई है कि जब छापा मारा गया था, तो कई लोगों ने, जिन्होंने सहयोग किया था, किन्तु इस विशेष व्यापारी के घरों में कुछ मूल्यवान दस्तावेजों को भी परिवार के कुछ लोगों ने जला दिया था और यदि हां, उनके विरूद्ध इस संबंध में तलाशी वारंटों तथा अन्य बातों को छोड़ कर और क्या ठोस कार्यवाही की गयी है ?

क्या यह भी सच है कि इस छापे के पश्चात इस व्यक्ति से, जो समाज-विरोधी सिद्ध हो गया है, पदमश्री को वापस लेने के लिये राष्ट्रपति को किसी प्रकार की सिफारिश की जाने वाली है।

एक माननीय सदस्य : एक अपराधी ।

श्री के० आर० गणेश : यह कहना सही है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कि जब छापा पड़ रहा था तो इस ग्रुप के एक घर में, एक महिला ने अपने आप को गुस्लखाने में बन्द कर दिया और कुछ लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों को नष्ट करने का प्रयास किया। किन्तु कुछ लेखा पुस्तकों को बचा लिया गया है और जहां तक इस महिला के संबंध में मुकदमा चलाने आदि के बारे में कार्यवाही करने का संबंध है, इस बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस महिला को गिरफ्तार किया जायेगा ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : कुछ भी नहीं होता है। वे समूचे मामले को दबा देने का प्रबन्ध कर लेते हैं।

मुद्रा सप्लाई का प्रसार

*86. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से जून 1974 के बीच देश में मुद्रा सप्लाई में 638 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इस राशि में से वाणिज्यिक क्षेत्र को 437 करोड़ रुपया दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तेजी से प्रसार पर रोक लगाने हेतु मुद्रा सप्लाई की वृद्धि पर रोक लगाने की रिजर्व बैंक की घोषित नीति के असफल होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति का मुख्य प्रयोजन यह रहा है कि मुद्रा उपलब्धि के विस्तार पर यथा-सम्भव अधिकतम सीमा तक रोक लगा दी जाय। जो उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के अनुसार रहे। इस अवधि में (29 मार्च से 7 जून, 1974 तक) मुद्रा पूर्ति और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये बैंक ऋणों में विस्तार दोनों ही स्थूलतः इन उद्देश्यों के अनुसार थे। इस अवधि में मुद्रा उपलब्धि बढ़ कर 638 करोड़ रुपये और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये कुल बैंक ऋण की रकम 437 करोड़ रुपये हो गयी, इस तरह यह विस्तार निवल रूप में केवल 252 करोड़ रुपये हुआ ।

श्री **इन्द्रजीत गुप्त** : मंत्री महोदय के अनुसार रिजर्व बैंक की ऋण नीति सरकार द्वारा बताये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों अथवा नीति के अनुसार बतायी जाती रही है।

मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि इस तथ्य को देखते हुये कि रिजर्व बैंक की ऋण नीति के कारण वास्तव में मुद्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो अभूतपूर्व है और उस के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति और मूल्य-वृद्धि अब पूरी तरह हाथ से निकलते जा रहे हैं क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि रिजर्व बैंक के प्रशासन का किस प्रकार का इस भावना से आमूल पुनर्गठन करना ही आवश्यक है अथवा नहीं कि यह उपयुक्त समय है कि भारत सरकार के वित्त मंत्री को भी रिजर्व बैंक का अध्यक्ष होना चाहिये।

क्या यह उचित समय नहीं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बोर्ड में स्वयं वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सरकार के मनोनीत सदस्यों में मुख्यतय: कर्मचारियों के निर्वाचित प्रतिनिधि, कुछ अर्थशास्त्री और इन विभिन्न वाणिज्यिक मंडलों के केवल एक या दो प्रतिनिधि लिये जायें? क्या वह इस पर विचार करेंगे कि क्या यह संकट की इस स्थिति में यह उचित समय नहीं है कि जब यह सुनिश्चित करने के लिये क्रान्तिकारी पग उठाये जायें कि रिजर्व बैंक ऋण नीति का अनुसरण न करे जिससे बड़े व्यापारियों और एकाधिकारियों, जमाखोरों और सट्टेबाजों के हित सिद्ध होते हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में उनके द्वारा किये गये मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप उनके सुझाव के बारे में मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि मैं उन से सहमत नहीं हूं और मैं उनके सुझाव के प्रति तीव्र असहमति व्यक्त करता हूं। यह रिजर्व बैंक की पुनर्गठन की नीति नहीं है जिसे दोषी समझा जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी कठिन आर्थिक समस्यायें हैं जिनको रिजर्व बैंक आफ इंडिया हल कर रहा है और वे काफी अधिक जानकारी और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ इन समस्याओं को हल कर रहा है। मेरे विचार में मूल रूप से कोई बात गलत नहीं है जिससे उनके द्वारा सुझाये गये ढंग से समूचा पुनर्गठन करना आवश्यक हो।

जहां तक निदेशक मंडल का संबंध है, उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और उसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री होते हैं। उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। उसमें वाणिज्यिक और उद्योग के भी दो प्रतिनिधि होते हैं। किन्तु मेरे विचार में उनकी प्रतिष्ठा के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि विभिन्न वाणिज्यिक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि निदेशक बने बैठें हैं, वह निदेशक होने की हैसियत से गत कई वर्षों से निरन्तर यह प्रस्ताव करते आ रहे हैं कि ऐसी पार्टियों को ऋण नहीं दिया जाना चाहिये जो कि सामान इकट्ठा करने, सट्टेबाजी तथा जमाखोरी आदि में लगी हुई है परन्तु उनके प्रस्तावों की ओर न केवल ध्यान ही नहीं दिया जाता अपितु उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि उनके प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही ही नहीं की जानी है और न ही उन्हें स्वीकार किया जाना है तो फिर इस प्रकार के बोर्डों और उसके प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी का उपयोग ही क्या है? वह अन्य अनेक लोगों में अल्पसंख्या में होते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि यह कहा जाता है कि केवल कर्मचारियों के प्रतिनिधि ही निदेशक होने चाहिये तथा अन्य कोई व्यक्ति उनका निदेशक नहीं होना चाहिये, तो यह एक अलग बात है। परन्तु मैं यह नहीं मानता कि प्रस्तावों पर विचार ही नहीं किया जाता। ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार से तो वह काफी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि एक अथवा दो बार उनके निर्णय को पूर्णतया न माना गया हो परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि उन पर बिल्कुल विचार ही नहीं किया गया।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक कृषक का लड़का भी भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। आज यदि वह जीवित होते तो फिर यही कहते कि रिज़र्व बैंक का गवर्नर भी एक कृषक का ही लड़का होना चाहिये। आज रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति की कम कराने के नाम पर जो भी ऋण कम करने के कदम उठाये जाते हैं उनका प्रभाव केवल कृषकों के सरकारी क्षेत्र के निकायों तथा सहकारी संस्थानों पर ही पड़ता है तथा वास्तव में गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापारियों, चोर-बाजारी तथा जमाखोरी करने वालों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसी मौसम से कपास का एकाधिकार व्यापार आरम्भ किया गया। रिजर्व बैंक ने ऋण कम करने वाली अपनी नीति के अन्तर्गत महाराष्ट्र को कपास की खरीद के लिए ऋण देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि गत वर्ष के बाज़ारी मूल्य की तूलना में इस बार गारंटी मूल्य 20 प्रतिशत कम है और गारंटी मूल्य में से केवल 80 प्रतिशत की अग्रिम धनराशि के रूप में दिया जाता है तथा कुल मूल्य का 50 प्रतिशत बकायों के भुगतान के रूप में दिया जाता है। ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण मत दीजिये ।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : क्या यह सत्य है अथवा नहीं कि रिज़र्व बैंक की ऋण कम देने की नीति का प्रभाव अक्सर कृषकों की सहकारी संस्थाओं पर ही पड़ता है ?

श्री पीलू मोदी : यह एक कृषक के ही सुपुत्र है अतः आपको इनके प्रश्न का उत्तर सोच समझ कर ही देना पड़ेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि इससे कोई इस प्रकार का स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है जैसा कि सदस्य महोदय ने कहा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने दी गई धनराशि के आकड़े प्रस्तुत किये हैं। हम यह मानते हैं कि दी जाने वाली मुद्राराशि में वृद्धि हुई है। एक विशिष्ट समय पर मुद्रा सप्लाई पर बाजारी में चल रहे धनराशि की तेजी का भी प्रभाव पड़ता है। यदि यह मान लिया जाये कि धनराशि की सप्लाई में वृद्धि हुई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में मुद्रा गति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह दोनों ही चीजें एक दूसरे पर इतना अधिक निर्भर करती कि धन वेग तथा समान की कमी कभी दोनों ही धनवग को प्रभावित करती है।

राज्यों द्वारा राज समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

*89. **श्री माधाव राव सिंधिया** :

श्री मूल चन्द डागा :

यावित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में राज्य सरकारों को लिखा है कि कृषि जोतों पर कर के बारे में राज समिति की सिफारिशों को निर्धारित अवधि में क्रियान्वित किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे राज समिति की सिफारिशों के अनुसार, कृषि जोतों पर कर लगा कर अथवा भू-लगान के मामले में दी गयी रियायतों को वापस लेने, भू-राजस्व पर उत्तरोत्तर बढ़ने वाला अधिभार लगाने, समुन्नति शुल्क लगाने, वाणिज्यिक फसलों पर उपकर लगाने और पानी की दरों में संशोधन करने आदि जैसे अन्य उपायों द्वारा अतिरिक्त धन जुटाएं।

(ख) हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने राज समिति द्वारा सुझाए गए कृषि जोत कर के संशोधित रूप को लागू करने का फैसला किया है। अन्य राज्य सरकारें मामले पर विचार कर रही हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : समाचार पत्रों में छपा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त मंत्री के मई मास के मध्य में लिखे पत्र के उत्तर में राजसमिति के प्रस्तावों को कुछ राजनीतिक कारणों से क्रियान्वित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है। इस मामले में सरकार की चुप्पी से भी यही लगता है कि उसने मध्यप्रदेश सरकार की बात को स्वीकार कर लिया है। कल अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री द्वारा यह वक्तव्य दिया जाना कि हम अपनी अप्रियता का जोखम उठाकर भी ऐसे कदम उठाने से नहीं हिचकिचायेंगे जो कि देश के हित के लिए अपेक्षित हो, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य के सन्दर्भ में यह कहा तक न्यायोचित है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे यह समझ नहीं आया कि इन दोनों बातों को कैसे जोड़ दिया गया है। राज समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रश्न काफी लम्बे समय से सरकार के समक्ष है। मैं समझता हूं कि अभी तक किसी राज्य सरकार ने यह नहीं कहा है इसके बारे में उनके समक्ष कोई राजनीतिक कठिनाई है। परन्तु सभी राज्य सरकारों ने इनके रास्ते में आने वाली जोत कर योजना की पेचीदगियों के बारे में अवश्य लिखा है। फिर कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी है जिन्होंने इसके बारे में अभी तक हमें अपने अन्तिम विचार नहीं भेजे हैं। परन्तु हम इस पर अपना कार्य रोक नहीं देते। हमने उन राज्य सरकारों से कह दिया है कि यदि वह जोत कर से सम्बद्ध इस विशिष्ट योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकते तो वह कृषि क्षेत्र के अन्य संसाधनों तथा फसलों के लिए अपेक्षित पानी या बिजली की दरों में वृद्धि करना, तथा वाणिज्यिक फसलों पर अधिभार आदि में वृद्धि करके ऐसा कर सकते है। मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों ने इस दिशा में कुछ प्रयास किये हैं। अतः जो कुछ भी कल प्रधान मंत्री द्वारा कहा गया वह वास्तव में सही है जो कि राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

श्री माधवराव सिंधिया : अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया कि राज्यों के घाटे के वजट को पूरा करने के लिए अन्य अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर विचार किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकारें अपने बजट में घाटे के अधिकांश भाग को पूरा करने में सफल नहीं होती तो क्या सरकार राज समिति की सिफारिशों को त्यागने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के प्रयास को त्यागने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कृषि क्षेत्र के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने के महान् प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए ही केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों के साथ बातचीत हुई थी और उसी के परिणामस्वरूप ही राजसमिति का गठन किया गया था। इसी आधार पर ही राज समिति के निदेश पद निर्धारित किये गये थे और उन्हीं के आधार पर ही राज समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। राज समिति की कुछ सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः इन परिस्थितियों में राज समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। अतः अब यह सिफारिशें राज्य सरकारों के समक्ष है और वह उन पर विचार कर रही है।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं समझता हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें इन प्रस्तावों को पहले ही अस्वीकार कर चुकी है। मैं समझता हूं कि यह बात जून महीने के समाचार-पत्रों में छपी थी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह ठीक है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने इसकी पेचीदगियों पर सोचा है और इसलिए इन्हें क्रियान्वित नहीं किया है।

Shri M. C. Daga : May I know the names of State Governments who expressed their inability in writing to accept the Raj Committee Recommendations, after the same were accepted by the Centre Government ?

Shri Yeshwantrao Chavan : This information is not with me at the moment but many states have said so.

Shri M. C. Daga : Which are the states who said so ?

Shri Yeshwantrao Chavan : This information is not with me.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चाय के निर्यात के लिये वित्तीय राहत

*82. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योगने यह चेतावनी दी है कि यदि उन्हें शीघ्र वित्तीय राहत नहीं दी गई तो आगामी वर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ किलोग्राम चाय के निर्यात का वर्तमान स्तर बनाये रखना अति कठिन हो जायेगा ;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यात की जाने वाली चाय के जहाज तक निःशुल्क मूल्य की एकविशेष प्रतिशत मात्रा पर नकद प्रोत्साहन देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) चाय के निर्यात बढ़ाने के लिये चाय उद्योग को व्यावहारिक तथा समीचीन सहायता देने की जरुरत के प्रति सरकार सजग है और इस की निरन्तर समीक्षा होती रहती है।

उड़ीसा को वित्तीय सहायता

*87. **श्री वनमाली बाबू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार से उड़ीसा को दी गई ऋण सहायता की राशि 1 अप्रैल 1974 को कितनी थी ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को गत वर्ष इस ऋण पर कितनी राशि का व्याज के रूप में भुगतान किया गया है ; और

(ग) यह देखते हुए कि उड़ीसा को विशेषरुप से विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये अधिक सहायता की आवश्यकता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस राज्य की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पहली अप्रैल, 1974 तक उड़ीसा सरकार के नाम केन्द्रीय ऋणों की 514 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

(ख) राज्य सरकार ने पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार को ब्याज के रूप में 21.78 करोड़ रुपये की रकम अदा की थी।

(ग) छठे वित्त आयोग के फैसल के अन्तर्गत, चौथी योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य को दिये गये 287.37 करोड़ रुपये की अनुमानित रकम की तुलना में उसे पांचवीं आयोजना की अवधि में 157.32 करोड़ रुपये के ऋण में छूट के अतिरिक्त 577.32 करोड़ रुपये की अनुमानित रकम दी जायगी। छठे वित्त आयोग के फैसले के अनुसार, केन्द्र द्वारा उक्त राज्य को अतिरिक्त धन दिये जाने से राज्य सरकार के साधनों की स्थिति मजबूत हो जायेगी। आयोजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता तथा उसके अपने प्रयासों से जुटाय जाने वाली पूंजी से कुल मिलाकर यह राज्य अपने विकास के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाने में समर्थ हो जायेगा।

त्रिपुरा सरकार का जीवन बीमा निगम से ऋण लेने के लिए अभ्यावेदन

*88. **श्री दशरथ देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को त्रिपुरा सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है कि उन्हें विकास प्रयोजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम की निधि से ऋण उपलब्ध कराया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) विकास प्रयोजनों के निमित्त भारत के जीवन बीमा निगम की निधि से ऋण लेने के लिए त्रिपुरा सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गयी खानों के मालिकों के विरुद्ध बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही

*90. **श्री आर० आर० पटेल** :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गयी खानों के उन मालिकों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और सेन्ट्रल बैंक आफ कलकत्ता ने सोलिसिटर्स नोटिस जारी किये हैं और प्रत्येक मामले में कितनी राशि अन्तर्गस्त है ; और

(ख) भारत कोकिंग कोल और कोल माइन्स आथोरिटी के विरुद्ध संबद्ध बैंकों ने क्या कार्यवाही की है और उन्होंने उपरोक्त प्रत्येक मालिक की ओर से 30 अप्रैल, 1974 तक कितनी राशि एकत्रित की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) बैंकों में प्रचलित तरीके और प्रथा के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 13 के उपबन्धों के अधीन तीन राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात् इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया अपनी आसामियों के सम्बन्ध में या इनके कार्यों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही दे सकते। अतः मांगी गयी जानकारी देना सम्भव नहीं है।

Steps to unearth black money

*91. **Shri Darbara Singh :**
Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether black money to the tune of crores of rupees is in circulation in the country due to which it is not possible for the prices to fall and they are increasing day by day; and

(b) if so, what fresh efforts are being made by Government to unearth this black money ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Circulation of black money is one of the important factors which leads to hoarding of and unhealthy speculation in commodities and generates inflationary pressures. Some of the other important factors which have influenced price rise in the recent past are :

(i) successive fall in foodgrains out-put during 1971-72 and 1972-73;

(ii) near stagnation in industrial production during 1973;

(iii) steep rise in the import prices of certain imported goods, especially petroleum and petroleum products; and

(iv) uneven monetary expansion relative to the growth of industrial and agricultural output.

(b) The problem of black money is a pervasive and continuing one. Measures are therefore, taken from time to time to tackle it. Some of the recent steps taken in this regard are as per statement laid on Table of the House.

STATEMENT

Recent steps taken to fight Tax Evasion

1. *Legislative* :

(i) Provision made through the Taxation Laws (Amendment) Act, 1972, for acquisition of immovable properties, where they have been under-valued at the time of transfer, as such under-valuation facilities generation and circulation of black money.

(ii) During the period March, 1973 to April, 1974, notices for acquisition of properties were issued in 4414 cases and orders of acquisition were passed in 28 cases.

(iii) Provision made through the Taxation Laws (Amendment) Act, 1972, that no suit to enforce any right in respect of any property held 'benami' shall be instituted in any court unless the property has been disclosed to the Income-tax Department. The same Act also contains measures for strengthening the valuation machinery of the Department to check tax evasion through under-valuation.

(iv) The Finance Act, 1973, provides for partial integration of agricultural income with non-agricultural income for tax purposes, absence of which has been a fruitful source of tax evasion.

(v) The Taxation Laws (Amendment) Bill, 1973, contains many provisions to curb black money, such as increased powers of search and seizure, stricter provision for penalty and prosecutions for tax evasion, additional powers of survey, compulsory maintenance and audit of accounts and plugging of numerous loopholes in the tax laws.

(vi) Reduction in the rates of income-tax, and raising the exemption limit for incometax from Rs. 5,000/- to Rs. 6,000 through the Finance Act, 1974, should also help to reduce tax evasion. Filing of the returns of income by salaried tax payers with incomes up to Rs. 18,000 has subject to certain conditions, been made optional. This would help to utilise the available manpower for better investigation in bigger cases.

II. Administrative :

(i) There is an intelligence Unit attached to each Commissioner's Office. These are manned by Deputy Directors of Inspection (Int.) and/or Assistant Director of Inspection (Int.). The functions of the Intelligence Wing are to scout for information about tax evasion, to screen cases for conducting searches u/s 132 of the Income Tax Act and also to process prosecution cases. These intelligence units are being strengthened.

(ii) A Special Cell has been set up in the Directorate of Inspection (Inv.) to investigate the cases of some of the large industrial houses. As a result of the enquirie conducted by this Cell, number of assessments under Income-tax, Wealth Tax and Gif Tax have been reopened in the Birla and Bajoria-Jalan group of cases. Prosecution have also been launched.

(iii) A large number of prosecution for concealment of income in glaring cases of tax evasion have been launched.

(iv) An intensive survey has been ordered, particularly regarding newly constructed properties in urban areas, persons having income from profession, contractors and salaried employees.

(v) The powers of surprise survey u/s 133A of the Income-tax Act are also being utilised more frequently.

(vi) In the course of assessments, the Income-tax Department has also levied a large number of penalties for concealment of income.

(vii) New Reward Rules which are in some respects more liberal than the old rules have been promulgated recently and as a result it is hoped that collection of information regarding tax evasion will be speeded up.

(viii) In recent years the tempo of searches and seizures made by the Income-tax Department has been kept up. Through the medium of searches, the Income Tax Department has also been able to unearth several rackets, such as hundi rackets, ghost-firms racket, bogus-vouchers racket, cross-word puzzles racket, ownership flat racket and racket in Customs Clearance Permits.

अत्यावश्यक वस्तु मूल्यों वृद्धि मेंके

***92. श्री देवेन्द्र नाथ महाता :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974-75 के केन्द्रीय बजट के संसद् में पेश होने के समय से अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक थोक तथा उपभोक्ता सूचकांकों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा अत्यावश्यक वस्तओं के संबंध में वस्तुवार मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हैं ; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8055/74]**

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश कार्यान्वित करना

*93. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते एवं नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 1973 से लागू नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि उसने जिन वेतनमानों की सिफारिश की है उन्हें 1 मार्च, 1973 से लागू किया जाय तथा पेंशन विषयक लाभों पर की गई सिफारिशों को उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया जाय जो 1 मार्च, 1973 को अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए हैं। किन्तु, सरकार ने इन दो सिफारिशों में सुधार किया है और उन्हें 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी बनाया है। आयोग ने अन्य मामलों पर, जिनमें मकान किराया तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते शामिल हैं, अपनी सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए किसी तारीख की सिफारिश नहीं की है। अतएव मकान किराया तथा प्रतिपूर्ति (नगर) भत्तों से संबंधित सिफारिशों को 1 नवम्बर, 1973 से कार्यान्वित किया गया है। यह वह तारीख है जिस दिन द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित तिसरे वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला संकल्प जारी किया गया था।

नेपाल द्वारा कुछ वस्तुओं के आयात को सीमित किया जाना

*94. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने हाल ही में भारत से कुछ वस्तुओं के आयात को सीमित किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी हां,। हाल ही में लगाये गए प्रतिबन्ध ट्रैक्टरों के कतिपय प्रकार के ट्रेलरों, कल्टीवेटरों और डिस्क हैरोज के संबंध में है और इनका मकसद ऐसी उन मदों को संरक्षण प्रदान करना है जिनका अब नेपाल में घरेलू उत्पादन हो रहा है। एतदोपरांत इन मदों का नेपाल में आयात करने के लिए आयात लाइसेंस लेना होगा।

व्यय में मितव्ययिता के संबंध में राज्य सरकारों से की गयी अपील

*95. **श्री वेकारिया :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से हाल ही में अपील की गई है कि वे अपनी बजट संबंधी कमियों को पूरा करने के लिये व्यय के मामले में कड़ी मितव्ययिता लायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस अपील पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आयोजना-भिन्न व्यय के बारे में अत्यधिक संयम बरतें और सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली रकमों का, जिनमें पहले की बकाया रकमें भी शामिल हैं, संग्रह कड़ाई से करें जिससे वह अपन अपने बजट के घाटे को पूरा कर सकें। उन्हें यह सलाह भी दी गयी है कि वे आयोजना के लिए धन की पूरी व्यवस्था करने के लिए विशष रूप से कृषि क्षेत्र के समृद्ध वर्गों से अतिरिक्त पूंजी जुटाएं और सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं पर होने वाले घाटे को कम कर। राज्य सरकारों ने इन सुझाओं पर विचार करना मान लिया है।

आयात तथा निर्यात लाइसेंसों में जालसाजी

***96. श्री स्वर्ण सिंह सोखी :**

श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ प्रमुख व्यापारी फर्मों ने वर्ष 1973 में दो सौ से अधिक आयात और निर्यात लाइससों का दरुपयोग किया था और जालसांजी की थी ;

(ख) क्या उक्त फर्मों ने उसे 4 करोड़ रुपये मूल्य के लाइसेंस जालसाजी से प्राप्त किये और यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी धनराशि का घोटाला किया था ;

(ग) क्या वर्ष 1973 में देश में जालसाजी में पकड़ी गई ़र्मों में से किसी फर्म ने इससे पूर्व भी जालसाजी की थी और क्या उन मामलों में कोई सरकारी अधिकारी भी शामिल थ ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार उन फर्मों तथा सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध तथा आयात और निर्यात लाइससों के अग्रतर दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कठोर कार्यवाही करने का है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) वर्ष 1973 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रमुख व्यापारी फर्मों द्वारा आयात तथा निर्यात लाइसेंसों के दुरुपयोग तथा जालसाजी का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में कटौ ी

***97. श्री एस० एन० सिंह देव :**

श्री समर मुखर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में कटौती करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों के गैर-योजना राजस्व की कमियों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) छठे वित्त आयोग ने, पांचवीं आयोजना की अवधि में राज्यों के आयोजना-भिन्न राजस्व में होने वाली कमी का अनुमान लगाया है और उसने उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि देने की सिफारिश की है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि वे आयोजना-भिन्न व्यय में कटौती करें और पर्याप्त पूंजी जटायें ताकि चालू वर्ष के अन्त में आय और व्यय में सन्तुलन बना रहे।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना

*98. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1974 के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कोई किस्त देय हो गई है ;

(ख) क्या सरकार ने उसकी अदायगी निलंबित कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तीसर वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दो और किश्तें देय हो गई हैं, जिनमें से एक को 1 अप्रैल, 1974 से तथा दूसरी 1 जून, 1974 से देय है।

(ख) तथा (ग) इन किस्तों को स्वीकृत करने का प्रश्न विचाराधीन है।

प्रदर्शनी और वाणिज्यिक प्रचार के लिये पृथक् पृथक् निदेशालय

*99. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदनों में उनके मंत्रालय ने बताया है कि "प्रदर्शनी और वाणिज्यिक प्रचार" दोनों 'विंग्स' को मिला कर एक साथ रखने से प्रचार की समस्याओं के लिये समेकित नीति अपनाना तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिक कुशल तथा युक्ति संगत रूप से उपयोग कर पाना सम्भव हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अब दोनों विंग्स को पृथक्-पृथक निदेशालयों के अन्तर्गत विभक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इस समय दोनों स्कंदों को विभक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्यम किस्म के कपड़े की बिक्री तथा वितरण के ऊपर नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव

*100. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि

(क) क्या सरकार मध्यम किस्म के कपड़े की बिक्री तथा वितरण के ऊपर नियंत्रण लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) मीडियम 'बी' श्रेणी की धोतियों, साड़ियों, लट्ठ, कमीजों के कपड़ तथा ड्रिल के अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1974 से इन किस्मों की मीडियम 'ए' श्रेणी के सूती कपड़े पर भी उत्पादन कीमत और वितरण संबंधी नियंत्रण लागू कर दिया गया है। कंट्रोल के कपड़े की बिक्री की व्यवस्था निम्नलिखित माध्यमों से की गई है :—

(1) मिलों की अपनी खुदरा दुकानें,

(2) सहकारी क्षेत्र के सुपर बाजार,

(3) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन और उनसे संबद्ध सहकारी संस्थाओं की श्रृंखला,

(4) राज्य सरकारों के तत्वावधान में चलाई जा रही उचित कीमत की दुकानें, और

(5) संबद्ध राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सहकारी क्षेत्र का कोई अन्य अभिकरण।

चीनी के निर्यात के लिये करार

687. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के बाजारों में भारतीय चीनी का अच्छा मूल्य मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई करार किये गये हैं ; और

(ग) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और ये करार चीनी के किस मूल्य पर किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 209 करोड़ रु० एफ० ओ० डी० मूल्य की चीनी तथा खांड की 4,63,000 मे० टन की कुल मात्रा के निर्यात के लिये संविदाएं सम्पन्न हो गई हैं।

(ग) हाल ही में की गई संविदाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) चीनी तथा खांड सीधे विदेशी खरीदारों को बेची गई है, एजेंटों के माध्यम से नहीं ;

(2) विपुल परिमाण (बल्क) मे बेची गई चीनी के लिये विदेशी खरीदारों को दिया जाने वाला 1/2 प्रतिशत का परम्परागत कमीशन बन्द कर दिया गया है ; और

(3) खांड के संबंध में भुगतान की अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल शर्तें हासिल की गई हैं।

एफ० ओ० बी० कीमतों की औसत निवल चीनी के संबंध में 4971.प्रति 90 मे० टन और खांड के संबंध मे 2924 रु० प्रति मे० टन बैठती है।

कांडला निर्बाध व्यापार जोन

688. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला निर्बाध व्यापार जोन के प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार कये जाने के कारण गुजरात के व्यापारी वर्ग में अभी भी रोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने बम्बई में सांताक्रूझ इलैक्ट्रानिक्स प्रोसेसिंग जोन नामक एक ऐसे ही जोन के प्रति पक्षपोषण का आरोप लगाया है ;

(ग) क्या उन्होंने मांग की है कि कांडला जोन को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिये सुविधाएं दी जानी चाहिए ;

(घ) क्या उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि कांडला जोन के कार्यसंचालन के लिये सरकारी अधिसूचनाओं की वर्तमान संचालन पद्धति के बजाय पृथक सांविधिक व्यवस्था होनी चाहिये ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) गुजरात में कतिपय व्यापारी वर्गों ने कांडला निर्बाध व्यापार जोन को होने वाली स्वदेशी सप्लाइयों को निर्यात के रूप में मानने और सान्ताक्रुज इलैक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के आधारों पर परिवहन प्रणाली निकासी सदन सुविधाओं आदि की व्यवस्था के लिये मांग की है।

(ग) तथा (घ) जी हां।

(ङ) वाणिज्य उपमंत्री की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त कांडला निर्बाध व्यापार जोन संचालन बोर्ड ने इन मांगों पर पहले ही विचार कर लिया है और सिद्धान्त रूप में जोन उद्योगपतियों की प्रतियोगिता क्षमता को सुधारने के लिये जोन को होने वाली स्वदेशी सप्लाइयों को निर्यातों के रूप में मानने, सीमाशुल्क प्रक्रिया को सरल बनाने, परिवहन उपदान प्रदान करने आदि का विनिश्चिय किया है। सरकार ने पहले ही निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर परिवहन उपदान मंजूर कर दिया है। चूंकि विद्यमान प्रबन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं, अतः कांडला निर्बाध व्यापार जोन के मामलों का संचालन करने के लिये एक पृथक विधान की कोई जरुरत नहीं समझी जाती। कांडला निर्बाध व्यापार जोन तथा सान्ताक्रुज जोन दो भिन्न परियोजनाएं हैं और दोनों को समान शीघ्रतापूर्वक और ध्यानपूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है।

केरल में काफी बागानों का बन्द होना

689. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के वाईनाड क्षेत्र में काफी बागानों के बन्द होने का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, कर्मचारियों ने क्या मांगें रखी हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल के वाईनाड क्षेत्र में कोई काफी बागान बन्द नहीं हुआ लेकिन कुछ बड़े उपजकर्ताओं ने काफी तोड़ने के बाद की कर्षण क्रिया जैसे कि निराई करना, खाद देना आदि, बन्द कर दी थी।

(ख) केरल राज्य में काफी बागानों मे श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि होने तथा कतिपय निविष्ट साधनों की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपजकर्ता काफी की कीमतों में वृद्धि करने की मांग कर रहे थे। काफी बोर्ड ने लागतों में हुई वृद्धि का उचित ध्यान रखते हुए पूल बिक्रियों के लिये आरक्षित कीमतें बढा दी हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा बासमती चावल का निर्यात

690. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने गत वर्ष कुल कितना बासमती चावल निर्यात किया ;

(ख) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ग) क्या बासमति के निर्यात पर राज्य व्यापार निगम तथा कृषि सहकारी विपणन संघ के बीच कोई विवाद पैदा हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या विवाद का समाधान हो गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1973-74 में राज्य व्यापार निगम ने 17,000 एम० टी० बासमतीचावल का निर्यात किया।

(ख) लगभग 860 लाख रुपये।

(ग) कोई विवाद नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल से खाद्यान्नों की तस्करी

691. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सीमावर्ती प्रदेशों को नेपाल की सम्पन्न तराई बैल्ट से खाद्यान्नों, विशेषतया चावल, की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भूतपूव विदेश व्यापार मंत्रालय दवारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 104/आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 71 दिनांक 17 अगस्त, 1971 के अनुसार नेपाल के प्राथमिक उत्पादों, जिनमे खाद्यान्न भी शामिल है, के नेपाल से भारत मे आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसी मदों पर वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 6--सी० शु०/फा० सं० 80/277/70--भू० सी० शु०-1, दिनांक 1 जनवरी, 1971 के अनुसार सीमाशुल्क भी नहीं लगाया जाता।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

त्रिपुरा में पटसन मिल

692. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने त्रिपुरा में एक पटसन मिल की आधारशिला रखी है ;

(ख) इसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) पटसन मिल चालू करने पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) लगभग दो वर्षों में।

(ग) अनुमानित लागत 3.17 करोड़ रु० है।

पटसन उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु अन्तरमंत्रालय समिति की स्थापना

693. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी के कारण पटसन उद्योगों के उत्पादन में हुई हानि की समस्या का समाधान करने के लिये सरकार द्वारा एक अन्तर-मंत्रालय समिति गठित की गई है ; जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पड़े उच्च पद

694. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऊंचे कार्यकारी निदेशकों के कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये उच्च पद कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 118 पदों में से केवल 6 पद रिक्त हैं जिनके लिए अन्तरिम प्रबन्ध कर दिए गए हैं। इनका विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

अनुबंध

विवरण

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 6 रिक्त पड़े हुए पदों की सूची

(1) प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड।	यह पद 3-11-1973 से रिक्त है जबकि पिछला पदधारी व्यक्ति समय से पूर्व सेवानिवृत हो गया था। औद्योगिक विकास मंत्रालय ने इस रिक्त पद के लिए एक व्यक्ति का चयन कर लिया है और नियुक्ति के लिए मंत्रीमण्डल की नियुक्ति-समिति से मंजूरी ली जा रही है।
(2) प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम .	4-6-1974 को एक अंशकालिक अध्यक्ष नियमित आधार पर नियुक्त किये जाने से पहले यह पद अध्यक्ष के पद से संयुक्त था। औद्योगिक विकास मंत्रालय इस पद को भरने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

(3) प्रबन्ध निदेशक, इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमीटेड	पिछले प्रबन्ध निदेशक ने 1-6-1974 को भारतीय तेल निगम (विपणन प्रभाग) में प्रबन्ध निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति हो जाने पर इस पद का कार्यभार छोड़ दिया था । पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय रिक्त पद को भरने के लिए कार्रवाई कर रहा है और तब तक पिछले प्रबन्ध निदेशक ने इस पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रखा है ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड	यह पद दिनांक 28-3-1974 को पिछले पदधारी व्यक्ति के कार्यभार छोड़ दिये जाने पर रिक्त हुआ था । सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रिक्त पद को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।
(5) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निर्यात ऋण एवं प्रत्याभूति निगम	वाणिज्य मंत्रालय ने इस रिक्त पद को भरने के लिए मंत्री-मण्डल की नियुक्ति समिति की मंजूरी प्राप्त कर ली है। आशा है कि चुना गया व्यक्ति शीघ्र ही पदभार संभाल लेगा ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान अर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	यह पद पिछले पदधारी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर 7-7-1974 को रिक्त हुआ था । उसका उत्तराधिकारी चुनने के प्रश्न पर पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है । इस बीच कार्यसाधक प्रबन्ध कर दिया गया है ।

हथकरघा उद्योग के लिये केन्द्र में पृथक आयुक्त

695. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में हथकरघा उद्योग के लिये एक पृथक आयुक्त नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के कुछ प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है ;

(ख) क्या प्रतिनिधि मंडल ने रिजर्व बैंक द्वारा ऋण के बारे में लगाई गई कठोर शर्तों में छूट देने का भी अनुरोध किया था और 'एपेक्स' और प्राथमिक बुनकर सहकारिताओं की कार्यचालन पूंजी के अधिक एवं सुगम उपलब्धता की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हथकरघा उद्योग के लिये विकास आयुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं। श्री वी शिवरामन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1973 में नियुक्त किये गये हथकरघा विषयक अध्ययन दल ने भी उस आशय की सिफारिश की है।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की हथकरघा वित्तपोषण योजना में दी गई शर्तों में सामान्य ढील देना आवश्यक या मुमकिन नहीं समझा गया है। फिर भी राज्य सरकारें वास्तविक कठिनाइयों वाले पृथक-पृथक मामलों में उपयुक्त छूट के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को लिख सकती हैं।

अखबारी कागज की सप्लाई के लिये कनाडा के साथ समझौता

696. **श्री बनमाली बाबू :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

श्री मान सिंह भौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के प्रतिनिधिमंडल ने मई, 1974 के अंतिम सप्ताह में भारत का दौरा किया था और अतिरिक्त अखबारी कागज की सप्लाई के बारे में भारत सरकार से बातचीत की थी ;

(ख) क्या इस बारे में समझौता हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। कनाडा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य व्यापार निगम से विचार-विमर्श किया था।

(ख) तथा (ग) कनाडा का प्रतिनिधिमंडल अक्तूबर, 1974 से मार्च, 1975 तक के महीनों के दौरान अखबारी कागज की 13,000 मि० टन की अतिरिक्त सप्लाई के लिये सहमत हो गया बशर्ते कि उनके निदेशक बोड का अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

Arrests of Hoarders

697. **Shri R. R. Sharma :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of hoarders arrested under D. I. R. and Essential Commodities Act in the country during the year 1973 and 1974, State-wise ;

(b) the number out of them who were convicted, acquitted and are being tried, separately; and

(c) out of the hoarders arrested, how many are associated with big business houses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) Enforcement of Defence of India Rules and the Eessential Commodities Act is the responsibility of the State Governments/Union Territory Administrations who take appropriate action against hoarders, blackmarketeers and profiteers. Statewise breakup of their numbers and whether they are associated with big business houses is not readily available.

Arrangements for Safe Storage of Commodities confiscated from Hoarders

698. Shri R. R. Sharma : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the essential commodities found in the stocks of the hoarders arrested under D. I. R. and the Essential Commodities Act in the years 1973 and 1974 ;

(b) whether Government have confiscated all those commodities ; and

(c) if so, the arrangements made by Government for their safe storage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) Arrest and subsequent action against hoarders of essential commodities either under the Defence of India Rules or under the Essential Commodities Act 1955 is taken by the officers of the State Governments or Union Territory Administrations. While stocks can be seized on the apprehension of the offender confiscation of essential goods other than foodgrains and edible oils can be made by the Collector of the District or the Presidency Town in which the essential commodity is seized. From the replies so far received, it would appear that there has been no such case in Arunachal Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Lakshdweep. In Gujarat, the following articles have been seized.

Foodgrains	199·79	quintals
Groundnut	112631	,,
Groundnut oil	2363	,,
Sugar	897	,,
Vanaspati	1322	,,
Cement	10955	bags
Crude oil	147920	litres
Kerosene oil	66900	,,
Diesel oil	4599	,,

Stocks seized from persons other than agriculturists are being confiscated and are being distributed through Public Distribution system.

In the Union Territory of Chandigarh, stocks found are as follows :

Wheat	1283	quintals
Sugar	1344	,,
Coal.	278	,,
Rice	988	,,
Maida	264	,,
Suji	16	,,
Wheat Atta	200	,,
Salt	256	,,
Maize	2794	,,
Paddy	1114	,,
Fertilizers	434	bags
Vanaspati	4430	tins
Cement	4774	bags
Truck Tyres	23	numbers
Kerosene Oil	21220	litres
Crude oil	45000	,,
Diesel oil	1470	,,

The stock are kept either in Government godowns or in Police custody pending investigation.

आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रित भाव और बाजार भाव में अन्तर

699. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कमी के वातावरण में आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रित मूल्यों और बाजार भाव में बहुत अधिक अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर को कम करने के लिए सरकार का विचार क्या प्रभावी कदम उठाने का है ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) जब बाजार भाव बहुत बढ़ जाते हैं केवल तभी मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों, मूल्यों में बहुत अधिक अंतर की आशा की जाती है । सरकार समझती है कि इस अंतर को कम करने का सबसे अधिक प्रभावकारी तरीका यह है कि उत्पादन बढ़ाकर बाजार भावों को पुनः उचित स्तर पर लाया जाय ।

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के लिये आई० बी० आर० डी० से सहायता

700. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री रामकंवर :

क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए इण्टरनेशनल बैंक आफ कन्सट्रकशन एण्ड डेवलपमेण्ट द्वारा कितनी सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) इसमें से कितनी सहायता का उपयोग किया गया है और किस प्रकार ; और

(ग) क्या परियोजना को पूरा होने में विलम्ब होने से इस स्रोत से सहायता प्राप्त होने की संभावना कम हो गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राजस्थान नहर सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 62.25 करोड रुपये (8.3 करोड अमरीकी डालर) का ऋण देने पर सहमत हुआ है ।

(ख) चूंकि इस ऋण करार पर न ही अभी हस्ताक्षर हुए हैं और न ही यह लागू हुआ है इस लिये, इस समय ऋण में से किसी रकम के इस्तेमाल किये जाने का सवाल नहीं होता ।

(ग) यह सवाल ही नहीं होता ।

युगोस्लाविया को माल-डिब्बों की सप्लाई तथा जहाजों की खरीद

701. **श्री स्वर्णसिंह सोखी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद भारत सरकार युगोस्लाविया से चार जहाज खरीदने जा रही है ;

(ख) क्या युगोस्लाविया ने भारत से माल डिब्बे खरीदने का क्रयादेश अक्तूबर, 1970 में दिया था और उन्होंने लम्बित क्रयादेश का अधिक मूल्य देने के सरकारी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ठेके की शर्तों के अन्तर्गत युगोस्लाविया के साथ ठेके को समाप्त कर सकती है, और

(घ) यदि ठेका समाप्त न किया तो सरकार को कुल कितनी हानि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज):(क)समुद्री जहाज सीधे सरकार द्वारा नहीं खरीदे जाते अपितु जहाजरानी कम्पनियों द्वारा खरीद जाते है। भारतीय जहाजरानी निगम ने हाल ही में बातचीत द्वारा वाणिज्यिक सौदा किया है जिस के अनुसार उनके द्वारा युगोस्लाविया के स्पलिट शिपयार्ड को दिये गय आडर क चार समुद्री जहाजों की संविदा कीमत में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि होनी है। भारत सरकार द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया है।

(ख) से (घ) अक्तूबर, 1970 में युगोस्लाविया के साथ 3600 वैगनों के सम्बन्ध में संविदा की गई थी। तेल संकट, बिजली की कमी, नौवहन सम्बन्धी कठिनाइयों और उत्पादन लागत में वृद्धि जैसी अनेक परिस्थितियों के फलस्वरूप यूगोस्लाविया के साथ संविदा की शर्तों पर नये सिरे से बातचीत करना आवश्यक हो गया। ये बातचीत शुरू हो चुकी है और इस समय चल रही है।

सरकार से राजसहायता प्राप्त अत्यावश्यक वस्तुयें

702. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम अप्रैल, 1974 को सरकार से राजसहायता प्राप्त आवश्यक वस्तुओं की संख्या कितनी थी;

(ख) प्रति क्विटल अथवा प्रति किलो कितनी राजसहायता दी जाती थी;

(ग) क्या सरकार ने इन राजसहायताओं को समाप्त करने अथवा कम करने का कोई निर्णय किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार जिन मुख्य आवश्यक वस्तुओं के लिए नकद सहायता देती है वे गेहूं, माइलों, और मोटे अनाजे हैं। 1 अप्रैल से जून 1974 के अन्त तक की अवधि में भारतीय खाद्य निगम द्वारा मांगी गई सहायता की रकम इस प्रकार है :—

अनाज	राज सहायता की औसत दर (प्रति क्विंटल रुपयों में)
आयातित गेहूं	19.91
देशी गेहूं	5.42
आयातित माइलो	33.38
मोटे अनाज	13.44

(ग) और (घ) 1-4-1974 से गेहूं का बिक्री मूल्य बढा दिये जाने से देशी गेहूं पर सहायता देना बंद कर दिया गया है।

सहायता के प्रश्न के बारे में सरकार लगातार नजर रखती है और प्रत्येक मामले में उसके गुणदोषों के आधार पर निर्णय किया जाता है।

अत्यावश्यक वस्तुओं का काले बाजार में बेचा जाना

703. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में बहुत सी अत्यावश्यक वस्तुओं की बिक्री सरकार अथवा उत्पादनकर्ताओं द्वारा निर्धारित मूल्य पर नही की जाती है और उपभोक्ताओं को वस्तुएं काला बाजार मूल्य पर खरीदने के लिये विवश होना पडता है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की, सरकार द्वारा अथवा विनिर्माताओं द्वारा निर्धारित कीमतों पर बिक्री के बारे में सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, सरकार को किसी आवश्यक वस्तु के बचने या खरीदने की कीमत पर नियंत्रण करने के लिये आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे आदेश का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपराध माना जायेगा और इस प्रकार उस पर अधिनियम में दण्ड उपबन्ध लागू हो जायेंगे। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को समय समय पर सलाह दी है कि विभिन्न नियन्त्रण आदेशों को कठोरता से प्रवर्तित किया जाये। दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध और अधिक कड़े करने हेतु आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश 22 जून को प्रख्यापित किया गया था और चालू सत्र में इसे संसद के अधिनियम का रूप देने का विचार है।

भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच सीधी विमान-सेवा

704. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा सरकार ने भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भुवनेश्वर तथा दिल्ली के बीच सीधी उडान पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधी के अन्त तक अत्यन्त अलाभप्रद रहेगी। स्थिति की पुन: समीक्षा की जाएगी तथा यदि संभावित भार पर आधारित मांग एवं इंडियन एयरलाइंस के विमानबेडे की स्थिति इसका औचित्य सिद्ध करती है तो इंडियन एयरलाइंस वाराणसी तथा कलकत्ता के मार्ग से दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए एक जेट सेवा चलाने पर विचार कर सकती है।

मण्डारी पोखरी, जिला बालासोर, उड़ीसा में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक आफ इंडिया की शाखा खोलना

705. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित** मंत्री मण्डारी पोखरी, बालासोर, उडिसा में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक आफ इण्डिया की शाखा खोलने के सम्बन्धित 10 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2935 के उतर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडारी पोखरी, जिला बालासोर, उडीसा में युनाइटेड कमर्शियल बैंक आफ इण्डिया की शाखा खोलने के लिये इस बीच सर्वेक्षण कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित शाखा कब चालू हो जाएगी।

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने बालासोर जिले के मंडारी पोखरी नामक स्थान पर बैंकिंग कारबार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और वह इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस समय इस स्थान पर कारबार की इतनी संभावनाएं नहीं है कि यहां बैंक की एक शाखा खोली जाय। बैंक ने यह भी सूचना दी है कि मंडारी पोखरी तथा उसके आस पास के क्षेत्रों की बैंकिंग संबंधी आवश्यकताएं उसकी धामनगर स्थित शाखा से काफी हद तक पूरी हो सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों म प्रबन्धक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन तथा परिलब्धियों में वृद्धि

706. श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतनों तथा परिलब्धियों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सरकारी उद्यमों में प्रबन्धक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन और परिलब्धियों में कोई सामान्य वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां किन्हीं तर्कसंगत कारणों से इस प्रकार की वृद्धि करने की आवश्यकता पड जाय तो सरकारी उद्यमों को ये अनुदेश दिए गय है कि वे अपने प्रस्तावों को लागू करन से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। एसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि मुआवजा सम्बन्धी नीतियों में जो विरुपताएं है उन्हें क्रमशः दूर कर दिया जाय।

चीनी के निर्यात के बारे में निर्णय

707. श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री अनादि चरण दास :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता पर आधारित कोटे के अतिरिक्त चीनी के निर्यात की मात्रा पर आंतर मंत्रालीय मतभदों के कारण कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है।

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) क्या अधिक चीनी के निर्यात से देश में चीनी के मूल्यों में और वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। चीनी के निर्यात के लिए आवश्यक उपायों का समन्वय करने के लिए एक आंतर मंत्रालय समिति पहले से ही कार्य कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चीनी के निर्यात से केवल खुली बिक्री की चीनी की कीमतीं पर ही प्रभाव पड सकता है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया की नकदी रक्षित निधि में कमी

708. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपनी नकदी रक्षित निधि को कम करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय वर्तमान मुद्रा स्थिति को देखते हुए किया गया है ;

(ग) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों की राशि में हाल ही में कोई वृद्धि हुई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1974 के मंदी के दिनों की कर्ज देने की अपनी नीति के अंग के रूप में 28 जून, 1974 से नकद प्रारक्षित निधि को जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उसके पास रखना होता है, 7 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) हालांकि कर्ज की रकम समय समय पर घटती बढती रहती है फिर भी हाल के महीनों में इनका विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि अभी हाल के महीनों में कर्ज में जो बढती हुई वह कुछ खास कारणों से हुई जैसे अनाज की वसूली के ऋण तथा तेल कम्पनियों के ऋण।

आन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से औद्योगिक आयातों के लिये ऋण

709. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री समर मुखर्जी :
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री गजाधर मांझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने औद्योगिक आयातों के लिये 1500 लाख डालरों के ऋण को मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है;

(घ) क्या इससे गैर-सरकारी उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत ने 29 मई, 1974 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 112.50 करोड रुपयों (15 करोड डालर) के ऋण के एक करार पर हस्ताक्षर किये जिससे चुने हुए प्राथमिकता वाले उद्योगों में औद्योगिक यूनिटों के लिये आवश्यक कच्चे माल वाले व कलपुर्जों को विदेशों से मंगाने में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा पूरी को जा सके। इस ऋण पर कोई ब्याज नही है लेकिन एक प्रतिशत का तीन चौथाई सेवा प्रभार है और यह ऋण 50 वर्षों में जिसमें 10 वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है, चुकाया जाना है ।

(घ) और (ङ) इस ऋण की रकम का उपयोग गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के चुने हुए प्राथमिकता वाले उद्योगों के दरमियाने और बड़े पैमाने के उन उद्यमों के लिये, जिनके नाम तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास रजिस्टर किये गये हों, आवश्यक कच्चे माल व कलपुर्जों को विदेशों से मंगाने में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये किया जायगा।

इन उद्यमों द्वारा कच्चा माल और कलपुर्जे या तो उनके नाम जारी किये गये लाइसेंसों के अन्तर्गत सीधे ही विदेशों से मंगवाएं जाएंगे या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, मिनरल्स ऐण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन जैसी विदेशों से माल मंगाने वाली एजेंसियों की मार्फत उन आर्डरों के अन्तर्गत मंगवाये जायेंगे जो विदेशों से माल मंगवने के लिए इन एजेन्सियों के नाम जारी किये गये हों।

आशा है कि इस व्यवस्था से, इन उद्यमों के लिये आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई सुधर जायगी।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भवन किराये पर लेने के सम्बन्ध में इकरारनामा

710. श्री झारखंडेराय :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या इंडियन एयर लाइंस ने अपने कार्यालय के लिये भवन किराये पर लन हेतु बाराखम्बा रोड़ नई दिल्ली पर बहुमंजिली इमारत के मालिकों के साथ इकरारनामा किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या शर्तें है ; और

(ग) क्या किराये पर दिये गये पूरे स्थान के उपयोग के बारे में कोई कठिनाई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयर लाईंस ने 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में कंचनजंघा भवन में कार्यालय आवास के लिए प्रारंभ में 5 वर्षों की अवधि के लिए 18,947 वर्ग फुट स्थान निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर लिया है :—

अपर ग्राऊंड फ्लोर	15,441 वर्ग फुट	3.25 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति मास की दर से।
मैजानाइन फ्लोर	1,070 वर्ग फुट	
तहखाना .	2,436 वर्ग फुट	2.00 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति मास की दर से
कुल .	18,947 वर्ग फुट	

अपर ग्राउंड फ्लोर तथा मैज़ानाइन फ्लोर के संबंध में साधारण तथा सेवा प्रभार 0.15 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रतिमास की दर से देय है । बिजली तथा पानी के प्रभार इनसे अतिरिक्त हैं ।

(ग) जब मार्च, 1974 में इंडियन एयरलाइंस ने प्रस्तावित बुकिंग कार्यालय की नवीकरण योजनाएं तथा ले-आउट ड्राईंग नई दिल्ली नगर पालिका को प्रस्तुत की तो नई दिल्ली, नगर पालिका ने कारपोरेशन को सूचित किया कि बाराखम्बा रोड के साथ साथ समस्त बहुमंजिली इमारतों को जोड़ने वाले नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्माण किए जाने वाले एक उत्थापित आवागमन मार्ग (एलिवेटेड वाक-वे) के लिए अपर ग्राउंड फ्लोर के मुख्य हाल में 10 फुट के मार्ग की व्यवस्था की जानी है ।

मामले पर इंडियन एयरलाइंस ने भवन के मालिकों के साथ बातचीत की तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :--

(i) 15,441 वर्ग फुट के अपर ग्राउंड फ्लोर क्षेत्र के किराए को 3-1-1974 से 3.25 रुपए से घटा कर 3.00 रुपए प्रति वर्ग फूट प्रति मास कर दिया गया । प्रस्तावित मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्र का प्रयोग तब तक इंडियन एयरलाइंस द्वारा ही किया जाएगा तब तक कि वास्तव में मार्ग का निर्माण नहीं कर दिया जाता ।

(ii) मालिकों को नई दिल्ली नगर पालिका से यह पूर्ण क्लीयरेंस मिल जाने की अवस्था में कि वे उक्त स्थान को पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आरक्षित रखने को बाध्य नहीं है तथा इंडियन एयरलाइंस उक्त स्थान का ऐकान्तिक व अनन्य रुप से प्रयोग करने को स्वतंत्र है। 3.25 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति मास का मूल किराया ऐसी क्लीयरेंस मिलने की तारीख से देय हो जाएगा ।

अयोध्या टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली के प्रतिनिधि मंडल की वाणिज्य मंत्री के साथ भेंट

711. **श्री झारखंडे राय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य मंत्री के साथ भेंट और एक ज्ञापन दिया; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या है, और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मिल से किसी प्रतिनिधिमंडल के हाल ही में वाणिज्य मंत्री से मिलने के संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघा बुनकरों को धागा सप्लाई न किया जाना

712. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा धागे के अधिक निर्यात की अनुमति दिये जाने के बाद भी मिलें हथकरघा बुनकरों को धागा सप्लाई नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपेक्षित क्षेत्र हथकरघा उद्योग की समस्याओं का समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कोई ऐसी शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन ने वस्त्र आयुक्त के साथ परामर्श करके सूत की कीमतों के सम्बन्ध में नियंत्रण बनाये रखने के लिए एक स्वैच्छिक योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने मिलों को अनुदेश जारी किये हैं कि 28 मार्च, 1974 को प्रचलित कीमत स्तरों को बनाये रखा जाए। फिलहाल योजना 31 अगस्त, 1974 तक लागू है और इसमें राज्य सरकारों, बड़ी बड़ी सहकारी समितियों तथा राज्य हथकरघा/शक्तिचालित करघा निगमों के नामित व्यक्तियों द्वारा मिलों से सूत को सीधे उठाने की भी व्यवस्था है। हथकरघा उद्योग के लिए धागे के उत्पादन को बढ़ाने हेतु पर्याप्त कताई क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है तथा दिया जाएगा।

तैयार तम्बाकू के निर्यात में गिरावट

713. श्री एस० ए० मुरूगनन्तम् : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 में तैयार तम्बाकू के निर्यात की मात्रा में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा और उसके कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संकलित किये गये अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 1973-74 में निर्मित तम्बाकू (तम्बाकू उत्पादों) के निर्यात 1.50 करोड़ रु० के हुए जबकि 1972-73 के दौरान 2.80 करोड़ रु० के हुए थे। गिरावट का मुख्य कारण यह था कि सोवियत संघ ने भारतीय सिगरटों की तथा सऊदी अरेबिया ने साधित हुक्का तम्बाकू की खरीद कम मात्रा में की।

दिल्ली में इस्पात के विक्रेताओं की दुकानों पर आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे

714. श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :
श्री डी० पी० जदेजा :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री राम कवंर :
श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री वेकारिया :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयकर विभाग ने दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में इस्पात और इस्पात के उत्पादों का व्यापार करने वाले कुछ बड़े व्यापार गृहों पर छापे मारे और कुछ काला धन पकड़ा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) लोहे तथा इस्पात निर्माताओं और व्यापारियों के चार समूहों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कारोबार के परिसरों और निवास स्थानों तथा बैंक लाकरों की आयकर प्राधिकारियों द्वारा हाल ही में तलाशी ली गई थी। ये तलाशियां दिल्ली, हिसार, गाजियाबाद, गुड़गांव फरीदाबाद, कोटद्वार और कलकत्ता में ली गई थीं। बंगलोर में, इन समूहों में से एक समूह से सम्बधित एक निर्माणक कारखाने का सर्वेक्षण भी आय कर अधिनियम 1961 की धारा 133-ए के अन्तर्गत किया गया था। तलाशी के दौरान विभिन्न स्थानों पर 33 बैंक लाकरों को सीलबन्द किया गया। इन तलाशियों में अब तक 29,08,830 रु० मूल्य के जवाहिरात तथा कुल मिलाकर 39,97,035 रु० की नकदी वचनपत्र, सावधिक जमा की रसीदें और शेयर प्रमाणपत्र बरामद किये गये है। इसके अलावा, बहुत बड़ी मात्रा में अपराध रोपणीय दस्तावेज पकड़े गये हैं। तलाशी लिये गये इन चार समूहों में से तीन समूहों के पास लोहे और इस्पात उत्पादों का भण्डार स्टाक वाहियों में दर्ज की गयी मात्रा से अधिक प्रतीत होता है। इनकी जांच की जा रही है।

पकड़ी गयी वस्तुओं की छानबीन की जा रही है। जहां भी आवश्यक था, अघोषित आय का सरसरी तौर से अनुमान लगाने के निमित्त आदेश देने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 (5) के अधीन आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कर अपवंचन तथा इस्तगासे की कार्यवाही, दोनों ही दृष्टिकोण से और आगे जांच पड़ताल जारी है।

वर्ष 1973-74 के दौरान नारियल जटा के निर्यात में कमी

715. श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-मार्च, 1973-74 के दौरान नारियल जटा के निर्यात में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) 1972-73 और 1973-74 के दौरान कयर उत्पादों के मात्रा वार निर्यात नीचे दिये जाते है :--

		क्विंटल
	1972-73	1973-74
कयर रेशा	2,985	2,755
कयर यार्न	3,19,085	2,93,731
कयर चटाई	1,27,486	1,23,016
कयर मैटिंग्स	19,440	26,901
कयर गलीचे तथा कालीन	16,700	6,752
कल्ड कयर	7,726	12,082
अन्य उत्पाद	1,379	1,654
	4,94,801	4,66,891

कयर यार्न का अपेक्षाकृत कम उठान मुख्यत: पश्चिम यूरोप में कयर उद्योग द्वारा कयर उत्पादों के विनिर्माण में कटौती, हाथ कास्त के क्षेत्र में कमी और अन्य प्रतिस्पर्धी रेशों के बाजार में आने के कारण हुआ। नौवहन कठिनाइयों तथा स्थानापन्न उत्पादों से प्रतियोगिता होने के कारण भी चटाइयों, गलीचों तथा कालीनों के निर्यात में गिरावट आई। तथापि, 1973-74 के दौरान निर्यातों का कुल मूल्य बढ़ाकर 15.54 करोड रु० हो गई जबकि 1972-73 में उनका मूल्य 14.94 करोड रुपये था।

स्वीडन से ऋण के लिये समझौता

716. श्री वीरभद्र सिंह :

श्री बनमाली बाबू :

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोई भारत-स्वीडन ऋण समझौता किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और इस ऋण को उपयोग किस विशेष उद्योग के लिये किया जाएगा।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। 5 जून, 1974 को भारत-स्वीडन विकास सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इसके बाद 15 जुलाई, 1974 को पत्रों का आदान प्रदान किया गया था।

(ख) मुख्य करार में कुछ 61.39 करोड रुपये (33.5 करोड स्वीडिश क्रोनर) की सहायता की व्यवस्था की गयी है। इस सहायता में वर्ष 1974-75 के लिए 32.07 करोड रुपये (17.5 स्वीडिश क्रोनर) और वर्ष 1976-77 के लिए 29.32 करोड रुपये (16.00 करोड स्वीडिश क्रोनर) की सहायता शामिल है। स्वीडन से मिलने वाली विकास सहायता का एक विशेष पहलू यह है कि इसमें तीन वर्षों में हर साल दी जाने वाली सहायता का संकेत कर दिया जाता है। इसमें पहले साल में दी जाने वाली सहायता को छोड़कर बाकी दो वर्षों में दी जाने वाली सहायता अनुमानित होती है। इससे भारत को उपलब्ध किये जाने वाले साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए योजना बनाने में आसानी होती है। इस प्रकार 1973-74 के करार में पहले से ही यह संकेत दे दिया गया था कि 1975-76 के लिए 25.65 करोड रुपए (14 करोड स्वीडिश क्रोनर) की सहायता दी जायगी। इसी प्रकार 1972 के करार में 1974-75 के लिए 21.99 करोड़ रुपए (12 करोड़ क्रोनर) का संकेत दिया गया था। अब जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस रकम को बढ़ाकर 32.07 करोड़ रुपये (17.5 करोड़ क्रोनर) कर दिया गया है।

1974-75 के लिए 32.07 करोड़ रुपये (17.5 करोड़ स्वीडिश क्रोनर) की सहायता में से 18.32 करोड़ रुपये (10 करोड़ स्वीडिश क्रोनर) की रकम भारत द्वारा किए जाने वाले सामान्य आयात के लिए होगी। यह राशि एक ऋण के रूप में होगी जो 50 वर्ष की अवधि में चुकायी जानी होगी जिसमें शुरू में 10 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है। पहले के ऋणों के विपरीत इस ऋण पर न तो कोई ब्याज लगेगा और न ही कोई सेवा प्रभार। स ऋण के साथ कोई शर्त नहीं लगी है और इसका उपयोग भारत के सर्वाधिक लाभ को देखते हुए, विश्व के किसी भी भाग से वस्तुओं के आयात के खर्च को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

इस करार में स्वीडन से मंगायी जाने वाली वस्तुओं और वहां से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के खर्च को पूरा करने के लिए 6.41 करोड रुपये (3.5 करोड स्वीडिश क्रोनर)

की व्यवस्था को गयी है । यह राशि अनुदान के रूप में होगी । पहले की तरह अनुमान है कि इस राशि का उपयोग स्वीडन से उर्वरक, कागज, विशेष इस्पात आदि जैसी बडी मात्रा में मंगायी जाने वाली वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं, सेवाओं के आयात के लिए किया जायगा ।

करार में 7.33 करोड रुपये (4 करोड स्वीडिश क्रोनर) तक की तकनीकी सहायता की व्यवस्था की गयी है जो अनुदान के रूप में होगी । इस राशि का उपयोग परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, मछली उद्योग, वन उद्योग, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान, निर्यात प्रोत्साहन आदि के क्षेत्रों की कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जायगा ।

स्वीडन द्वारा 1976-77 में जितनी धनराशि की व्यवस्था की जायेगी उसमें से 15.58 करोड़ रुपये (8.5 करोड़ स्वीडिश क्रोनर) की रकम सामान्य आयात के लिए और 13.74 करोड़ रुपये (7.5 करोड़ स्वीडीश क्रोनर) की रककम स्वीडन से वस्तुएं मंगानें के लिए होगी । पहले की तरह, स्वीडन द्वारा 1976–77 में दी जाने वाली तकनीकी सहायता की रकम, उक्त वर्ष के लिए विचार-विमर्श करते समय तय की जायगी ।

जिन देशों पर, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतो के बढने का बहुत बुरा प्रभाव पडा है उनके लिए संकट कालीन उपाय करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा की गयी अपील के उत्तर में स्वीडन की सरकार नें भारत के विकास कार्यो के लिए विदेशों से आवश्यक सामान और सेवाएं प्राप्त करने के प्रयोजन से ऋणों के रूप में, अतिरिक्त सहायता के तौर पर भारत को 4.58 करोड (2.50 करोड स्वीडीश क्रोनर) की रकम देने का फैसला किया है । यह निर्णय जैसा कि उत्तर के भाग (क) में बताया गया है 15 जुलाई 1974 को हुए पत्रो के आदान प्रदान के द्वारा लागू किया गया । इस तरह 1974-75 में सामान्य आयातों के लिए उपलब्ध 18.32 करोड रुपये (10.00 करोड स्वीडिश क्रोनर) की रकम बढा कर 22.90 करोड रुपये (12.5 करोड स्वीडिश क्रोनर) कर दी गयी है ।

स्वीडन द्वारा दी जाने वाली सहायता किसी खास उद्योग के लिए निर्धारित नहीं की गयी है । यह सहायता विदेशी मुद्रा के हमारे अपने साधनों के पूरक के रूप में है । सामान्य आयातों के लिए निर्धारित राशि सामान्यतः विश्व भर के किसी भी देश से टेण्डर मांगने की प्रणाली के आधार पर पूंजीगत माल प्राप्त करने के लिए नियत कर दी जाती है । स्वीडन से माल मंगाने के लिए निर्धारित राशि मुख्यतः उस देश से विशेष इस्पात, उर्वरक, कागज और रासायनिक वस्तुओं जैसी बडी मात्रा में मंगायी जाने वाली वस्तुओं पर खर्च की जाती है ।

टिप्पणी : विनिमय दर—1 स्वीडिश क्रोनर=1.832 रुपये ।

विमान-चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु भारत-जैरे समझौता

717. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री बनमाली बाबू :
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एयर लाइन्स आफ जैरे के विमान चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु भारत जैरे समझौता हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) नागर विमानन के क्षेत्र में भारत जैरे सहयोग के सम्बन्ध में जैरे गणतंत्र के परिवहन तथा संचार मंत्री श्री एकेतेबी मोईदिबा मांद्जोलोम्बा की भारत यात्रा के दौरान 4-6-74 को विचार विमर्श हुआ था । तथापि, दोनों देशों के बीच कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ था ।

अध्ययन दल द्वारा जैरे का दौरा

718. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री बनमाली बाबू :

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैरे के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने हेतु वहां एक अध्ययन दल भेजे जाने की संभावना है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

भारत-पोलैंड व्यापार वार्ता

719. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 में नई दिल्ली में भारत पोलेंड व्यापार वार्ता हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो वार्ता की मुख्य बातें क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) आगामी पांच वर्षों के लिए भारत तथा पोलेंड के बीच नया दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार करने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए जून 1974 में पोलेंड का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था । ये वार्ताएं अन्वेषणात्मक स्वरूप की थीं और दोनों सरकारों के प्रतिनिधिमण्डलों की अन्य बैठक में जारी रखी जायेंगी ।

Setting up of Security Paper Plant at Kanhakhera (Sanchi) in Madhya Pradesh

720. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have proposed that a new Security Paper Plant be set up at Kanhakhera (Sanchi) in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the salient features thereof and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) The site is adjacent to the Bhopal-Vidisha State Highway, located on the doab of the Betwa and Halali rivers and is 13 kms. from Vidisha and about 70 kms. from Bhopal. The Railway Station of Sanchi is about 4 Kms. away. This site alongwith others suggested by various State Governments has been looked into by a Site Selection Committee whose report is presently under Government's consideration.

संकट ग्रस्त चाय बागानों का सरकारीकरण

721. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री राम कंवर :

श्री रानेन सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय विषयक कार्मिक दल की संकटग्रस्त चाय बागानों के सरकारीकरण संबंधी सिफारिशों की सरकार ने जांच कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो उनको कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार, संकटग्रस्त चाय बागानो के प्रबन्ध तथा पुनर्वास को अपने अधीन लेने के सम्बन्ध में चाय विषयक कृतिक दल की सिफारिशों के आशयों पर अभी भी विचार कर रही है ।

केरल में आर्थिक संकट

722. श्री ए० के० गोपालन :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि गंभीर आर्थिक संकट के कारण केरल राज्य में सभी विकास गतिविधियां ठप्प हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस गंभीर आर्थिक कठिनाई को दूर करने में राज्य सरकार की सहायता करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) केरल सरकार इस वर्ष कठिन आर्थिक स्थिति का सामना कर रही है जो मुख्यत: पिछले वर्ष के घाटे को इस साल हिसाब में ले आने के कारण हुई है । इस मामले में केरल सरकार के साथ पहले बातचीत की जा चुकी है । बजट संबंधी घाटे को पूरा करने के तरीकों और राज्य सरकार को अपनी आयोजना के लिए पर्याप्त धन जुटाने के योग्य बनाने के लिए जल्दी ही और आगे बातचीत की जायगी ।

काजू की गिरी का निर्यात

723. श्री ए० के० गोपालन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में काजू की गिरी के निर्यात से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) उक्त अवधि में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कच्चे काजू आयात किये गये;

(ग) इन उत्पादों के निर्यात और आयात में वृद्धि अथवा ह्रास हुआ; और

(घ) तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 74.62 करोड रुपये (अनुमानित) ।

(ख) मात्रा	1,57,554 मे० टन
मूल्य	30.52 करोड रु०

(ग) 1972-73 की तुलना में 1973-74 के दौरान कच्चे काजू के आयात में मात्रा वार तथा मूल्य वार दोनों प्रकार से गिरावट आई है जबकि काजू गिरी के निर्यात में मूल्य वार वृद्धि हुई है पर मात्रा वार गिरावट आई।

(घ) 1973-74 के दौरान निर्यातों का मूल्य 5.80 करोड रु० तक अधिक होने का अनुमान है किन्तु मात्रा में 13,955 मे० टन की गिरावट आई । 1972-73 की तुलना में 1973-74 के दौरान आयातित कच्चे काजू की मात्रा में 43,916 मे० टन की गिरावट आई और इन आयातों के मूल्य में 1.63 करोड रु० की कमी आई। निर्यातों तथा आयातों दोनों में ही मात्रा संबंधी गिरावट का कारण यह था कि आयात के लिए जितना कच्चा काजू उपलब्ध था उसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम थी।

छोटे हथकरधा कारखानों का वित्त पोषण करने में बैंकों की ओर से ब्याज सम्बन्धी सहायता किया जाना

724. **श्री ए० के० गोपालन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे हथकरघा कारखानों के वित्तपोषण के लिये बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज सम्बन्धी सहायता के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंक हथकरघा कारखानों को ऋणों के ब्याज संबंधी कोई सहायता नहीं देते और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस समय बुनकरों की प्राथमिक समितियों को उनके उत्पादन कार्य और बिक्री के काम के लिए केन्द्रीय/राज्य औद्योगिक सहकारी बैंक ब्याज की रियायती दरो पर ऋण देकर पूंजी की व्यवस्था करते है । इन सहकारी बैंकों को भारत सरकार की हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारो से ब्याज सम्बन्धी सहायता और रिज़र्व बैंक की हथकरघा वित्त योजना के अन्तर्गत उससे कर्ज की रकम को पूरा करने की सुविधाएं मिलती है । शहरों के प्राथमिक सहकारी बैंक जो लघु उद्योग यूनिटों के अन्तर्गत आने वाले हथकरघा कारखानों के लिये पूंजी की व्यवस्था करते है, भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज की रकम के बदले में रकम प्राप्त कर सकते है। किन्तु इन बैंकों को राज्य सरकारों से ब्याज सम्बन्धी सहायता नहीं मिलती क्योंकि ये रियायतें केवल सहकारी क्षेत्र के हथकरघा यूनिटों को दीं जाती है।

फ्रांस को टस्सर रेशम के सामान के निर्यात में कमी

725. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टस्सर रेशम के सामान के निर्यात 1973 में सदैव से अधिक होने के बावजूद फ्रांस को इसके निर्यात में 1973 की तुलना में 33 प्रतिशत गिरावट हुई थीं; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार फ्रांस को हुए निर्यात में गिरावट के कारणों का अध्ययन करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। फ्रांस को टसर रेशम के निर्यात, जो कि 1972 में 11.12 लाख रुपये के थे, 1973 में घटकर 7.41 लाख रुपये के हुए।

(ख) यह विचार है कि फ्रेंकफर्ट में एक विदेश कार्यालय सह रेशम प्रदर्शन कक्ष तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सचिवालय में एक "बाजार जानकारी स्कंध" स्थापित किया जाए जो, अन्य बातो के साथ-साथ फ्रांस को प्राकृतिक रेशम की वस्तुओं के व्यापार प्रवाह तथा टसर रेशम के माल के निर्यातों के रुख का ध्यान रखेगा।

ब्रुसेल्स में भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग

726. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पी० वेंकटसुब्बया :

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग ने 28 मई, 1974 को ब्रुसेल्स में अपनी पहली बैठक आयोजित की;

(ख) क्या भारत ने निर्यात के लिए अग्रेतर टैरिफ और कोटे सम्बन्धी और रियायते देने के लिए बल दिया ताकि उसका व्यापार और साझा, बाजार के देशों के साथ वाणिज्यिक सम्बन्ध बढ सके;

(ग) यदि हां, तो किन किन अन्य विषयों पर विचार विमर्श हुआ; और

(घ) क्या निर्णय किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) भारत और यूरोपीय समुदायों के बीच हुए वाणिज्यिक सहयोग करार के अन्तर्गत स्थापित संयुक्त आयोग का पहला अधिवेशन 27 व 28 मई, 1972 को ब्रुसेल्स में हुआ।

2. संयुक्त आयोग ने मोटे तौर पर निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया :—

(क) खण्डीय करारों के अन्तर्गत आये उत्पादों संबंधी व्यापार जैसे कि सूती वस्त्र, पटसन आदि।

(ख) अधिमानों की सामान्यीकृत योजना (जी० एस० पी०) से फलोत्पादक रूप में लाभ उठाया जाना।

(ग) भारत द्वारा प्रस्तावित टैरिफ समायोजनों सहित व्यापार उदारीकरण उपाय और समुदाय की अधिमानों हेतु सामान्यीकृत योजना में सुधार।

(घ) व्यापार, विशेषत: व्यापार संवर्धन और व्यापार विकास से संबंधित आर्थिक सहयोग।

3. संयुक्त आयोग ने दो विशेषीकृत उप आयोग स्थापित किये हैं। पहला उप आयोग संयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित विशिष्ट आदेशों के अनुसार खण्डीय करारों संबंधी कार्य करेगा। दूसरे उप आयोग को जो कार्य दिया गया है उसके अन्तर्गत भारत के हित के उत्पादों में व्यापार के उदारीकरण से संबंधित सहयोग उपाय, व्यापार संवर्धन संयुक्त गवेषणा सहित विशेष उपायों का अध्ययन आदि शामिल है।

4. उप आयोगों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और उनके द्वारा किये गये अध्ययन तथा कार्य संयुक्त आयोग में आगामी विचार विमर्शों के आधार होंगे।

भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग

727. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिये भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारत ने फिनलैंड से और अधिक अखबारी कागज मांगा है; और

(घ) क्या मई, 1974 में भारत के मंत्री द्वारा उस देश का दौरा किये जाने के पश्चात दोनों देशों के बीच कोई समझोता हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग स्थापित करने के बारे में मई, 1974 में मंत्री (वाणिज्य) के फिनलैंड की यात्रा के दौरान एक समझोता हो गया था।

(ग) मई, 1974 में फिनलैन्ड मे मंत्री (वाणिज्य) के दौरे/विचार विमर्श के दौरान भारत को अखबारी कागज की दिर्घावधी आधार पर निरन्तर अधिक सप्लाई करने तथा तेज गति से माल भेजने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

(घ) भारत फिनलैंड संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए दिनांक 22-5-74 को पत्रों के आदान प्रदान के अलावा किसी अन्य करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये राज्यों के साथ विचार विमर्श

728. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये राज्यों के साथ विचार विमश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) आयोजना भिन्न व्यय को कम करने तथा खासकर कृषि क्षेत्र के समृध्द वर्गों के लोगों से अतिरिक्त धन जुटाने और सिचाई तथा बिजली परियोजनाओं में लगायी गयी पूंजी में होने वाली हानि को कम से कम करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री और योजना मंत्री राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो अब तक मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियो के साथ की जा चुकी है । इन मुख्य मंत्रियों ने इस संबंध में दिये गये सुझावों पर विचार करना स्वीकार कर लिया है ।

मूल्य सूचकांक में वृद्धि

729. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री एम० एम० जोजेफ :

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के सर्वेक्षण से पता चला है कि वर्ष 1974 के गत छः महीनों में मूल्य सूचकांक में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसे किसी सर्वेक्षण के बारे में हमें जानकारी नहीं है । सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (1961-62=100) से दिसम्बर, 1973 और जून, 1974 के बीच 16.5 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है ।

(ख) यह सवाल नहीं होता ।

(ग) मूल्यों में हो रही असंभावित वृद्धि तथा मुद्रास्फिति के दबावों को रोकने के लिए सरकार ने समय-समय पर मुद्रा संबंधी वित्तीय एवं अन्य कई उपाय किये हैं और मुद्रा-स्फीति के विरोध में चलाये जा रहे अपने अभियान के भाग के रूप में हाल में तीन अध्यादेश जारी किये है जिनमें लाभांशों पर रोक लगाने अतिरिक्त उपलब्धियों तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत रकम एवं ऊंची आय वाले आत्मनियोजन व्यक्तियों द्वारा अनिवार्य रूप से रकम जमा कराने की व्यवस्था की गयी है । जून, 1974 में एक और अध्यादेश भी जारी किया गया था ताकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों और आम जनता के इस्तेमाल में आने वाली कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में मुनाफा खोरी तथा जमाखोरी पर रोक को अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

चाय अधिनियम का संशोधन

730. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय अधिनियम का संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो अधिनियम में संशोधन करने के मुख्य उद्देश्य क्या है और इस संशोधन को कब पेश किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) खस्ता हाल चाय बागानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने और उन्हें पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिए समुचित अभिकरणों के माध्यम से प्रबन्ध के सम्बन्ध में अधिनियम में संशोधन करने हेतु प्रस्थापनाएं सरकार के विचाराधीन हैं । इन उपायों के फलितार्थ पर विचार किया जा रहा है ।

एयर इन्डिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान इंधन की बचत के लिए की गई कार्यवाही

731. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान ईंधन की कमी को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिये जम्बो जेट विमानों के क्रयादेश रद्द कर दिये गये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) एयर इंडिया और इंडियन एयर लाईंस द्वारा अपनी विभिन्न सेवाओं में विभिन्न मार्गों पर कम से कम खाली स्थान सुनिश्चित करने के लिये विमानों की किस्म को युक्तियुक्त बनाकर विमान में प्रयोग किये जाने वाले ईंधन की बचत करने के लिये अन्य क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) विमानन ईंधन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने तथा विमान की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता के भी कारण, एयर इंडिया ने सरकार की अनुमति से, पिछले वर्ष 5 वें बोईंग 747 विमान के आदेश को रद्द कर दिया था । अब क्योंकि ईंधन की स्थिति में स्थिरता के आसार दिखाई दे रहे है तथा यातायात मांग और किराये के स्तर काफी बढ़ गए है, एयर इंडिया ने उक्त प्रस्ताव को पुनर्जीवित कर दिया है ।

(ग) एयरलाइन अवतरण अधिकारों (जो अधिकांशतया केवल एयर इंडिया के मामले में लागू होते हैं) भार उपलब्धता तथा धावन पथ और अन्य उपलब्ध परिचालन सुविधाओं के आधार पर विभिन्न मार्गों पर विमानों के उचित विनियोजन का पूरा पूरा प्रयत्न करती है ।

फलों का निर्यात

732. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान फलों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ; और

(ख) भारतीय फलों के मुख्य खरीदार देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1972–73 से 1973 74 (जनवरी 74 तक) के दौरान निर्यातित ताजे अथवा सूखे फलों (जिनमें कृत्रिम रूप से निर्जलीकृत फल भी शामिल है) तथा खाद्य नट्स (जिनमें आयल नट्स शामिल नहीं हैं) का मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	मूल्य (लाख रुपये में)
1972–73	7297
1973–74 (जनवरी 74 तक) . .	7272

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1972–73 से 1973–74 (जनवरी, 74 तक) के दौरान भारत द्वारा जिन मुख्य देशों को फल, ताजे तथा सूखे (जिनमें कृत्रिम रूप से निर्जलीकृत फल तथा खाद्य नट्स शामिल हैं) निर्यात किये गये उनके नामों को दर्शाने वाली सूची।

क्रमांक देश का नाम

1. संयुक्त राज्य अमरीका
2. सोवियत संघ
3. कनाडा
4. जापान
5. नीदरलैंड
6. आस्ट्रेलिया
7. ब्रिटन
8. चकोस्लोवाकिया
9. जर्मन संघीय गणराज्य
10. फ्रांस
11. सिंगापुर
12. कुवैत
13. ईरान
14. बंगला देश
15. कत्तार
16. दुबाई
17. इटली
18. बहरीन द्वीपसमूह
19. मसकत
20. नेपाल
21. अफगानिस्तान
22. द० यमन जन० गणराज्य
23. सऊदी अरब
24. स्पेन
25. जर्मन लोक० गणराज्य
26. हांगकांग

भारतीयों द्वारा विदेश से लाये गये इलेक्ट्रोनिक केलकुलेटर पर सीमा शुल्क की अदायगी न करना

733. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश यात्रा से दिल्ली वापस लौटने वाला भारतीय शुल्क की अदायगी किये बिना ही इलैट्रोनिक केलकुलेटर ला सकता है ;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) क्या बम्बई आने वाले भारतीयों पर भी यही नियम लागू होता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) असबाब नियमावली, 1970 के अन्तर्गत किसी यात्री को उस स्थिति में 500 रुपय तक के मूल्य की वस्तुएं बिना शुल्क अदा किये लाने की छूट प्राप्त है जब वे वस्तुएं उस यात्री अथवा उसके परिवार के इस्तेमाल के लिये हों अथवा उपहार देने तथा स्मृति उपहार के लिये हों। इस रियायत के अन्तर्गत असबाव नियमावली में दर्ज कुछ मूल्यवान विलासिता की वस्तुएं नहीं आती हैं । असबाव नियमावली के अन्तर्गत 500 रु० से कम मूल्य के गणक को निःशुल्क लाया जा सकता है। दिल्ली में इसी प्रकार कार्यवाही की जा रही हैं ।

(ख) उपयुक्त असबाव नियमावली जून, 1970 से लागू हो रही है । केवल लगभग पिछले एक वर्ष के दौरान ही यात्रियों द्वारा 500 रुपए से कम मूल्य के विद्युत गणक लाये गये हैं ।

(ग) असबाव नियमावली, 1970 भारत में बम्बई सहित किसी भी बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों पर लागू होती है । बम्बई में प्रवर्तमान परिपाटी की जांच की जा रही है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकरों की धागे की मांग

734. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व उत्तर प्रदेश के बुनकरों ने धागे के लिये अपनी मांग रखी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके अनुरोध के अनुसार उसकी सप्लाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वस्त्र आयुक्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकरों से धागे की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उत्पादन शुल्क तथा बिक्रीकर में वृद्धि का इंडियन एयरलाइन्स पर प्रभाव

735. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या विमान टर्बाइन ईंधन (ए० टी० एफ०) पर उत्पादन शुल्क और बिक्रीकर में वृद्धि हो जाने का इंडियन एयर लाइन्स की वित्तीय व्यवस्था पर तथा विमान ईंधन-सम्बन्धी व्यय पर बहुत बुरा प्रभाव पडा है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण वर्ष 1973–74 में कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या इंडियन एयर लाइन्स ने राज्य सरकारों से उत्पादन शुल्क तथा बिक्रीकर दोनों को कम करने का अनुरोध किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) विमानन टर्बाइन ईंधन तथा उत्पादन शुल्क, तथा कुछ राज्यों में बिक्री-कर में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप इंडियन एयर लाइन्स पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ा है । 1973–74 के दौरान विमानन ईंधन पर उत्पादन शुल्क एवं बिक्री-कर में वृद्धि के कारण पड़ने वाला अतिरिक्त व्यय 146 लाख रुपये बनता है । ईंधन मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस के पूरे वर्ष भर के परिचालनों का ईंधन बिल लगभग 27 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा ।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने कुछ राज्य सरकारों से बिक्री-कर की दर में, तथा केन्द्रीय सरकार से ईंधन मूल्यों व उनके उत्पादन शुल्क में कमी करने के बारे में आवेदन किया है ।

भारत सहायता सार्थ संघ की बैठकें

736. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**
श्री पीलू मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता सार्थ संघ की जून, 1974 में बैठकें हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता देने वाले देशों ने भारत को वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और यह गत वर्ष दी गई सहायता से कितनी न्यूनाधिक है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) जी, हां । एड इंडिया कन्सोर्शियम की बैठक पैरिस में 13 और 14 जून 1974 को हुई थी । इस बैठक में सदस्य इस बात पर सहमत थे कि अप्रैल, 1974 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए बिना शर्त विदेशी मुद्रा सहित लगभग 80 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजना-भिन्न सहायता जो मुख्यत: ऋण में छूट के रूप में होगी और लगभग 60 करोड़ अमरिकी डालर की परियोजना सहायता के बारे में वचनबद्ध होना वांछनीय होगा । अधिकांश सदस्यों ने अपने-अपने योगदान के बारे में संकेत दे दिये थे, किन्तु उन्होंने यह बताया कि यह आवश्यक अनुमोदन पर निर्भर है । अन्य सदस्यों को यह आशा थी कि वह इस वर्ष ऐसा बाद में कर सकेंगे लेकिन उन्होंने सारे कार्यक्रम का समर्थन किया । इस वर्ष जितनी रकम देने का वचन दिया गया है वह 1973–74 की अपेक्षा ज्यादा है । पिछले वर्ष कंसोर्शियम ने अपनी बैठक में 1973–74 के लिए 70 करोड़ डालर की परियोजना भिन्न सहायता तथा 50 करोड़ डालर की परियोजना सहायता देने का वचन देना वांछनीय समझा था ।

कनाडा द्वारा औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात स्थगित किया जाना

737. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कभी कनाडा सरकार ने भारत सरकार को औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात स्थगित करने और अन्य आर्थिक सम्बन्ध भी तोड़ लेंने के अपने इरादे के बारे में संकेत दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका कोई कारण भी बताया गया था; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) 18 मई, 1974 को भारत द्वारा किए गए शांतिपूर्ण न्यूक्लीय परीक्षण के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 22 मई, 1974 को ओटावा में आयोजित प्रेस सम्मेलन में कनाडा के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय विचार विमर्श होने तक न्यूक्लीय सहयोग के क्षेत्र में भारत को सहायता तथा उपस्कर देने बंद कर देने की घोषणा की। जबकि कनाडा ने न्यूक्लीय ऊर्जा विकास के क्षेत्र में और आगे सप्लाइयां बंद कर दी है, खाद्य उर्वरक तथा कृषि संबंधी विकास के क्षेत्र में भारत को उसकी मदद मिलती रहेगी। जहां तक अन्य क्षेत्रों में मदद का संबंध है कनाडा सरकार ने कहा है कि उन सभी प्रस्तावित संविदाओं को, जिनमें विद्यमान ऋण व्यवस्थाओं के अधीन कनेडियाई वित्त पोषण अभीष्ट है, पुनर्विलोकन के लिए पहले कनेडियाई अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कनाडा द्वारा प्रस्तावित द्विपक्षीय विचार-विमर्श 29 से 31 जुलाई, 1974 तक ओटावा में होंगे।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना लागू करना

738. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 रुपये के भुगतान पर 5000 रुपये का अनिवार्य बीमा आरम्भ करने की सिफारिश की है जिस राशि को मृत्यू होने पर अदा किया जाएगा या अदा की गई वास्तविक राशि सेवा निवृत्त होने पर वापस कर दी जाएगी ;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम ने भी सुझाव दिया है कि उक्त योजना के लिए किसी राज सहायता की आवश्यकता नहीं होगी और कर्मचारियों का अंशदान ही योजना चलाने के लिए पर्याप्त होगा ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजना स्वीकार न किये जाने के क्या कारण है जिससे बिना सरकार के किसी वित्तिय दायित्व के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है ; और

(घ) उक्त योजना को कब लागू किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) आयोग ने सिफारिश की है कि ऐसे सभी वर्तमान स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों को, जिन्होंने नियमित संस्थापन में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, इस योजना के अंतर्गत आने का विकल्प दिया जाए, तथा भविष्य में सरकारी नौकरी में आने वाले सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य बना दी जाए।

(ख) जीवन बीमा निगम ने दिल्ली प्रशासन को, उनके अपने कर्मचारियों के संबंध में एक सामूहिक बीमा योजना का सुझाव दिया है, जो तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश से कुछ भिन्न है।

(ग) तथा (घ) तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई योजना, पर संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है उन्होंने इसे इस आधार पर पसन्द नहीं किया है कि इस योजना के अंतर्गत केवल सेवा के दौरान होने वाली मृत्यु का जोखिम ही शामिल है तथा सेवा-निवृत्ति पर (मूल राशि के वापसी की आलावा) इसमें किसी अन्य लाभ की व्यवस्था नहीं है। वे एक ऐसी योजना चाहते हैं जिसमें नौकरी के दौरान मृत्यु होने के समय तथा सेवा-निवृत्ति के समय समान लाभ की व्यवस्था हो। इस प्रकार की किसी भी योजना के अंतर्गत सेवा के दौरान होने वाली मृत्यु पर मिलने वाला 5000 रु० का लाभ स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। इस संबंध में जो वैकल्पिक योजनाएं तैयार की गई है उन पर इस मामले में निर्णय लेने के पूर्व कर्मचारी-पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ अब शीघ्र ही विचार-विमर्श किया जाएगा।

5—21 L.S.S./74

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बोइंग-737 विमानों की खरीद

739. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स चालू वर्ष के दौरान अपने फ्लीट में बोइंग-737 के विकसित चार विमान जोड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो विमान खरीदने में जो लागत आयेगी उसका वित्त पोषण कैसे किया जायेगा ; और

(ग) क्या चार विमानों की वृद्धि से यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां, एक विमान उस बोइंग 737 विमान के बदले में जोकि 31-5-73 को दुर्घटना में नष्ट हो गया था और शेष 3 विमान वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए।

(ख) प्रतिस्थापित विमान की लागत अधिकांशत: नष्ट हुए विमान की बीमा राशि से पूरी की जाएगी। शेष तीन विमानों की कुल प्रायोजना लागत के 10 प्रतिशत की पूर्ति आन्तरिक साधनों से की जाएगी और शेष राशि एक्सिम बैंक एवं अमरीकन वाणिज्यिक बैंकों से ऋणों द्वारा पूरी की जाएगी।

(ग) जी, हां। इन विमानों के आजा ने से मुख्य (ट्रंक) एवं उच्च सघनता वाले अन्य मार्गोंपर अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था हो जाएगी ।

एयर इंडिया द्वारा समूचे विश्व की विमान यात्रा की योजना

740. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री आरविन्द एम० पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **अधिक पर्यटकों** को आकर्षित करने की दृष्टि से एयरइंडिया द्वारा 1000 डालर में समूचे विश्व की विमान यात्रा की योजना लागू किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना को कार्यरुप कब तक दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या ऐसी योजना लागू करने से एयर इंडिया के मुनाफे में भी वृद्धि होगी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) एयरइंडिया का दस-दस यात्रियों के दलों के लिये प्रति यात्री 1000 अमरीकी डॉलर की दर से एक मूश्त ग्रुप विश्व-भ्रमण प्रारंभ करने के लिये शीघ्रही अन्तरष्ट्रिय विमान परिवहन संघ से निवेदन करने का प्रस्ताव है। आई० ए०टी० ए० द्वारा स्कीम को अनुमोदित कर देने के पश्चात ही इसे कार्यान्वित किया जा सकता है इस समय यह बताना कठिन होगा कि यह स्कीम कब से लागू हो सकेगी।

(ग) इस प्रकार की कोई स्कीम प्रारंभ होने से निस्संदेह अतिरिक्त पर्यटक यातयात का सृजन होगा और यह प्रत्याशा की जाती है कि एयर इंडिया को भी इस प्रकार बढ़े हुए अतिरिक्त यातायात में एक भाग प्राप्त होगा जिस से उस के राजस्व में वृद्धि होगी।

लन्दन में नीलामी के लिये निर्यात की गई चाय को वापस लेना

741. श्री सी० जनार्दनन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन में नीलामी के लिये निर्यात की गई चाय को वापस ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धि ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1974 में पहले सात महीनों के दौरान आयात/निर्यात व्यापार की मात्रा

742. श्री सी० जनार्दनन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे की :

(क) वर्ष 1974 के पहले सात महीनों में कुल कितना आयात/निर्यात व्यापार हुआ है;

(ख) निर्यात से कुल कितनी आय हुई; और

(ग) आयात पर हुये व्यय में कुल कितना घाटा हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जनवरी-मई, 1974 के पहले पांच महिनों के दौरान 1244 करोड़ रुपये के आयात किए गए और (मुर्निर्यात सहित) निर्यात 1175 करोड़ रुपयें मूल्य के किए गए, परिणाम स्वरुप 69 करोड़ रुपये का प्रतिकुल व्यापार संतुलन रहा।

भारत द्वारा प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों के संगठन की सदस्यता

743. श्री सी० जनार्दनन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों के संगठन की सदस्यता ग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) उससे क्या विशेष लाभ प्राप्त होंगे ?

वाणिज्य मंत्रायल में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत ने प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों के संगम का सदस्य बनने का निर्णय कर लिया है।

(ख) इस संघ के उद्देश्यों की मोटी रूपरेखा निम्नलिखित है :–

(1) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और विपणन में समन्वय लाना;

(2) सदस्यों के बीच तकनीकी सहयोग को बढावा देना;

(3) प्राकृतिक रबड़ के लिए उचित और स्थिर कीमतें रखना;

(4) उद्योग के सामने आने वाली अल्पावधि तथा दीर्घावधी समस्याओं की समीक्षा करना; और

(5) उत्पादन, विपणन और खपत के संबंध में अनुसंधान तथा विकास को बढावा देना ।

(ग) भारत रबड़ संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें अनुसंधान तथा विकास शामिल है, विश्व के अन्य प्राकृतिक रबड़ उत्पादन देशों द्वारा किये गये अध्ययनों और अवलोकनों का लाभ उठा सकेगा ।

रेल हड़ताल का निर्यात पर प्रभाव

744. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत रेल हडताल का हमारे निर्यात पर प्रभाव पडा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय रेल हड़ताल 8-5-1974 से 28-5-74 तक चली । निर्यातों के संबंध में अद्यतन आंकडे मई, 1974 मास के है । वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक कलकत्ता द्वारा प्रकाशित आंकडों के अनुसार मई, 1974 के दौरान (पुर्ननिर्यात सहित) निर्यात 214 करोडो रुपये मूल्य के रहे जबकि 1973 की उसी अवधि के दौरान के 174 करोड रुपये के थे।

बैंकों द्वारा शाखा विस्तार के लिए तीन वर्षीय आवर्ती योजनाएं बनाया जाना

745. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त** मंत्री त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, आसाम, नागालेण्ड, उडीसा और बिहार में राष्ट्रीयकृत बेंकों की शाखाएं खोलने के बारे में 3 मई 1974 क अतारांकित प्रश्न संख्या 9215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने इस बीच शाखा विस्तार के लिये तीन वर्षीय आवर्ती योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर उत्तर बिहार के जिलों में के संदर्भ में तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बहुत से बैंकों ने 1974-75 में शाखा विस्तार के लिए जहां अगले साल भी चालू रहने वाली आयोजनाएं (रोलिंग प्लान) बनायी है वहां कुछ अन्य बेंकों की सटीक आयोजनाएं अभी तैयार नहीं हुई हैं ।

भारतीय रिझर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उत्तरी बिहार के जिलों के लिए मई 1974 के अन्त तक, वाणिज्यिक बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए 20 लाइसेंस/अलाटमेण्ट पत्र दिये गये थे। इसके अतिरिक्त, जिन बैंकों की रोलिंग आयोजनाएं पहले ही अन्तिम रूप से तैयार हो चुकी हैं, उन्हें इन जिलों में शाखाएं खोलने के लिए 7 और लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं ।

हथकरघा उद्योग सम्बन्धी उच्च शक्ति अध्ययन दल का प्रतिवेदन

746. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री आल इंडिया वीवर फेडरेशन द्वारा ज्ञापन के बारे में 10 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9940 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति अध्ययन दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने डिपो खोले है और वास्तविक उपभोक्ताओं को 28 मार्च, 1974 तक प्रवृत्त मूल्यों पर पर्याप्त धागा मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार रूपरेखा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अध्ययन दल की महत्वपर्ण सिफारिशे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 80/65/74**] अध्ययन दल की रिपोर्ट पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जाना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) तथा (ङ) राज्य सरकार के नामितों द्वारा डिपो खोले जाने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । सूत की कीमतों को 28 मार्च, 1974 के स्तर पर स्थिर रखना मिलों द्वारा सुपुर्दगियों के संदर्भ में है । अतः वास्तविक बुनकरों द्वारा सूत की पूर्तियां 28 मार्च, 1974 की कीमतों पर प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर 'इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम'

747. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने नागर विमानन निदेशालय को बताया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रमेंट लैंडिंग सिस्टम सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के विमानचालकों के भय को दूर करने के लिये इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) अप्रैल 1974 में कुछ विमान कम्पनियों ने नागर विमानन विभाग से शिकायत की कि दिल्ली विमान क्षेत्र पर उपकरण अवतरण प्रणाली (इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम) का ग्लाइड पाथ उपकरण सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। नागर विमानन के महानिदेशक ने मई 1974 में

अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों से रिपोर्ट भेजने के लिये कहा। प्राप्त रिपोर्टों में से 28 से पता चला कि कार्यनिष्पादन सामान्य था जब कि नौ ने बताया कि ग्लाइड पाथ उपकरण का कार्यनिष्पादन सन्तोषजनक नहीं था। नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा की गयी भूमिगत जांचों (ग्राउंडचेक्स) से यह पुष्टि हो गयी है कि उपकरण अवतरण प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही थी तथा तत्पश्चात विभिन्न विमान कम्पनियों से प्राप्त होने वाली निर्देशोत्तर रिपोर्टों (डि-ब्रीफिंग रिपोर्टस्) से भी ऐसी ही पुष्टि हुई है। फिर भी उपकरण अवतरण प्रणाली को कडी जांच एवं निगरानी में रखा जाएगा ताकि अवतरण के लिये सहायक उपकरण के रूप में उस का अचूक एवं विश्वसनीय कार्यचालन सुनिश्चित बना रहे।

वर्ष 1973–74 के लिये इंजिनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के लक्ष्य

748. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 के लिए इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के लक्ष्य पूरे नहीं हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1973–74 के दौरान 200 करोड रुपये के लक्ष्य की तुलना में 180.11 करोड रुपये मूल्य के इंजीनियरी माल के निर्यात का अनुमान है ।

(ख) निम्नलिखित बाधाओं के कारण लक्ष्य प्राप्ति में कसर रह गई :–

(1) एल्यूमिनियम तथा तांबे जैसे मूल कच्चे माल की कमी ।

(2) इस्पात तथा लोह पिण्ड की विभिन्न किस्मों की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि ।

(3) पत्तनों पर तथा रेलवे में हडतालें तथा 'धीमे काम करो' आन्दोलन आदि, जिनसे निर्यात माल की ढुलाई में बाधा आई।

(4) बिजली की कमी ।

(5) नौवहन स्थानाभाव ।

एयर इंडिया द्वारा किरायों में वृद्धि

749. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने इस वर्ष जुलाई से किरायों में और वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो किरायों में कितनी वृद्धि की है तथा गत 9 महीनों में किरायों में सामहिक रूप से कुल कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) ईंधन क मूल्य तथा किरायों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया को लूचा वर्ष में अनुमानतः कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 1 जुलाई, 1974 से समस्त आई० ए० टी० ए० वाहकों के साथ साथ एयर इंडिया ने भी किरायों में निम्नलिखित मार्गों पर 4 प्रतिशत की वृद्धि की है :–

(i) भारत–युरोप/मध्य पूर्व/अफ्रीका

(ii) भारत-भारत दूर पूर्व/आस्ट्रेलिया

(ख) आई० ए० टी० ए० एयरलाइनों द्वारा किरायों में 1 जनवरी, 1974 से 6 प्रतिशत की (कुछ क्षेत्रों में 4 प्रतिशत) तथा मार्च, व अप्रैल, 1974 में विभिन्न तारीखों से 7 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी ।

(ग) ये किराया वृद्धियां आई० ए० टी० ए० द्वारा ईंधन के मूल्यों में वृद्धि को आंशिक रूप में संतुलित करने के लिए अपनाई गयी थीं। पहली जुलाई से लागू हुई 4 प्रतिशत की अंतिम वृद्धि से एयर इंडिया को 4 करोड रुपए के अतिरिक्त राजस्व की आय होने की आशा है । इस से मूल्यों म हुई वृद्धि की पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति नहीं होगी, अपितु उनके अंतर में कमी हो जाएगी।

बेरोजगार विमान चालकों की सेवाओं का उपयोग किया जाना

750. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान कम्पनियों को अनुदेश दिये गये है कि उन बेरोजगार विमान चालकों की सेवाओं का उपयोग किया जाये जिनके पास भूमि पर काम करने के व्यावसायिक श्रेणियोंसे के लाइसेंस हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनुदेशों के अनुसार कोई व्यावहारिक कदम उठाये गय हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इंडियन एयरलाईंस तथा एयर इंडिया दोनों को परामर्श दिया गया है कि वे, जहां कहीं संभव हो, स्थल कार्यों (ग्राउंड ड्यूटीज) पर बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों को भर्ती करें।

(ख) एयर इंडिया ने छः बेरोजगार विमानचालकों को उडान परिचालन अधिकारियों (फ्लाइट आपरेशज आफीसर्स) के रूप में खपाया था, परन्तु उनम से दो न इंडियन एयर लाइंस में विमानचालक के रूप में सेवारम्भ करने के लिए एयर इंडिया को छोड दिया है। इंडियन एयरलाईंस ने 28 विमानचालक भर्ती किए है जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 27 और विमानचालक एक पेनल पर है जिसकी अवधि अब 31 दिसम्बर, 1975 तक वध है ।

पांचवी योजना के दौरान कपड़ा उद्योग सम्बन्धी कर्मी-दल

751. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1973–74 क दौरान रुई का अनुमानित उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या आन्तरिक खपत और निर्यात के लिये धागे और कपडे की अतिरिक्त मांग की प्रति करने के लिये पंचवर्षीय योजना के कपडा उद्योग सम्बन्धी कर्मी दल न सूती कपडा उद्योग को कताई और बुनाई क्षमताओं के पर्याप्त विस्तार की योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971–72 रुई वर्ष 65.64 लाख गांठें ।

1973–74 रुई वर्ष 58 लाख गांठें।

(ख) जी हां ।

(ग) वस्त्र उद्योगों संबंधी कृतिक दल ने 1978-79 तक सूत तथा कपडे की आवश्यकता का अनुमान क्रमश: 130 करोड किया तथा 1,040 करोड मीटर लगाया है । इसके लिए 1972 के स्तरों के अलावा 57.1 लाख अतिरिक्त तकुओं तथा तथा 85,510 अतिरिक्त करघों की आवश्यकता होगी। चतुर्थ योजना अवधि के दौरान पहले ही सिफारिश किये गए तकुओं तथा करघों की क्षमता के विस्तार का हिसाब लगा लेने के बाद, पांचवीं योजना के दौरान सृजित की जाने वाली क्षमता 32.1 लाख तकुए तथा 70,510 करघे होती है ।

भारत में मुद्रास्फीति रोक ने के लिये कार्यवाही

752. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्राजील के आधार पर नई वित्तीय बचत व्यवस्था लागू करके देश में मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो नये प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल नहीं होता ।

रेल हडताल के कारण अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

753. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 में रेल हड़ताल के कारण अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई थीं;

(ख) किन किन वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा; और

(ग) क्या हडताल समाप्त होने के बाद मूल्यों में गिरावट आई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जी, नहीं । सरकारी प्रकाशन में थोक मूल्यों के सूचक अंकों को देखते हुए इस तरह की बात नहीं कही जा सकती।

भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से जारी होने वाले थौक मूल्यों में सूचक अंकों के प्रकाशनों म उपलब्ध मूल्य सूचक अंकों को देखने से पता चलता है कि 4 मई, 1974 से 1 जून 1974 की अवधि में कुल मिलाकर मूल्य सूचक अंक में लगभग 3 प्रतिशत की वद्धि हुई है।

मूल्य सूचकांक में वृद्धि और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

754. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री पीलू मोदी :

श्री भाऊ साहेब धामनकर ।

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 275 तक पहुंच गया था;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से जून, 1974 तक महीनेवार 12 महीने का औसतन मूल्य सूचकांक क्या था;

(ग) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अप्रैल, 1974 से केन्द्रीय सरकार से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तीन और किश्तें देय हो गई है,

(घ) यदि हां, तो क्या महंगाई भत्ते की देय किस्तों का भुगतान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) इसके परिणाम स्वरूप सरकारी कोष पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पडेगा; और

(च) किस अंक तक पहुंचने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जायेगा ?

वितमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) मई, 1974 के महीनें में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 294 था। जनवरी से मई 1974 तक मूल्य सूचकांक का बारह महीनों का औसत निम्नानुसार है :

माह		मूल्य सूचकांक का बारह महीने का औसत
जनवरी	1974	240.50
फरवरी	1974	245.00
मार्च	1974	249.91
अप्रैल	1974	255.08
मई	1974	260.58
जून	1974	आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ग) तथा (घ) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दो और किश्तें देय हो चुकी है, जिनमें से एक अप्रैल 1974 को तथा दूसरी 1 जून 1974 को देय हुई है, इन्हें स्वीकृत करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ङ) 1 अप्रैल, 1974 से स्वीकार्य किश्त के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय पूरे एक वर्ष में लगभग 52 करोड़ रुपये होगा तथा चालू वर्ष में 48 करोड़ रुपये होगा

तथा 1 जून 1974 से स्वीकार्य किस्त के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय पूरे एक वर्ष में 50 करोड रुपये तथा चालू वर्ष में 38 करोड रुपये होगा। किन्तु 'अतिरिक्त परि-लब्धि' (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 के अनुसार, अतिरिक्त महंगाई भत्ते का केवल 50 प्रतिशत ही कर्मचारियों को नकद देय होगा।

(च) फिल हाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विमान चालनों को मितव्ययी बनाने के लिये विमानन नीति में भारी परिवर्तन

755. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री एम० एस० पुस्ती :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विमान ईंधन के मूल्यों में भारी वृद्धि को देखते हुए विमानन नीति में पर्याप्त परिवर्तन करने के सुझाव दिये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इलायची और अरण्डी के तेल के अधिक मात्रा में क्रय के संबंध में भारत और रूस के बीच समझौता

756. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और रूस के बीच 6 दिवसीय बातचीत के परिणाम स्वरूप सोवियत रूस को भारत से अधिक मात्रा में इलायची और अरण्डी का तेल खरीदना है;

(ख) यदि हां, तो अन्य क्या समझोते हुए है; और

(ग) सोवियत रूस द्वारा तेल और पेट्रोलियम के संकट में भारत की सहायता करने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) 1974 के व्यापार संलेख का एक समग्र पुनरीक्षण किया गया था। इलायची तथा अरण्डी के तेल को छोडकर सोवियत संघ को भारत से कुछ अन्य मदों जैसे कि दवाइयां

तथा भेषजीय पदार्थ, रंजक सामग्री तथा मध्यवर्ती पदार्थ, दवाइयों के उत्पादन के लिए कचा माल, मोटरगाडी, अनुषंगी सामान, अंगराग सामग्री, हस्त चुनी व छटी मुंगफली, आदि के निर्यात की व्यवस्थाओं में वृद्धि की गई ।

(ग) सोवियत संघ, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल खोज तथा उत्पादन कार्यक्रम में मदद कर रहा है, और भारत को पैट्रोलजन्य उत्पादों की कतिपय मात्राएं सप्लाई भी कर रहा है।

रोबस्टा काफी पर उत्पादन शुल्क में कमी करना

757. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल या किसी अन्य दक्षिणी राज्य ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि रोबस्टा काफी पर उत्पादन शुल्क कम किया जाये और काफी उत्पादकों को उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों सप्लाई करने में राज सहायता दी जाये;

(ख) क्या काफी बोर्ड ने भी रोबस्टा काफी पर उत्पादन शुल्क को कम करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नही ।

(ख) काफी बोर्ड से ऐसी सिफारिश प्राप्त हुई है।

(ग) काफी बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है जिसके कारणों को 1974 के बजट पर राज्य सभा में 9 मई, 1974 को हुई बहस के दौरान वित्त मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8057/74]**

एशियाई विकास बैंक की ऋण देने संबंधी नीतियों में परिवर्तन

758. **श्री रामवतार शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने वर्तमान उर्जा संकट और विश्वव्यापी मुद्रास्फिति से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों के विकास मे सहायता देने हेतु अपने ऋण देने संबंधी कार्यक्रमों को नया रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या नई योजनाएं बनाई है और हमारे देश द्वारा प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक इस समय ऊर्जा सम्बन्धी संकट की स्थिति पैदा होने तथा चीजों की विश्वव्यापी कमी होने से और मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण विकासशील सदस्य देशों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है, उन पर विचार कर रहा है । बैंक, कई प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर इन देशों की सहायता करना चाहता है । इन कार्यक्रमों में इस समय बैंक द्वारा चलाये जा रहे कुछ कार्यक्रमों की व्यावहारिक दृष्टि से समीक्षा करना और उन्हें नयी दिशा देना शामिल है। विकासशील सदस्य देशों की विदेशी सहायता सम्बन्धी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के

उद्देश्य से बैंक, अन्य अन्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ तालमेल कर ऊर्जा सम्बन्धी वर्तमान स्थिति के परिणाम स्वरूप विकास के लिये धन जुटाने की दृष्टि से निर्मित नये और महत्वपूर्ण साधनों को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता सम्बन्धी सहयोग के प्रयासों के अन्तर्गत लाने का लगातार प्रयत्न कर रहा है। फिर भी भारत ने नीति के तौर पर बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है।

तम्बाकू बोर्ड का गठन

759. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू के उत्पादन, विपणन और निर्यात में समन्वय लाने के लिये एक तम्बाखू बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यह बोर्ड कब स्थापित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जीं हां। तम्बाकू बोर्ड की स्थापना के लिए अपेक्षित विधान शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) संसद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक अधिनियम पारित किये जाने के पश्चात् तथा इसके प्रवृत्त हो जाने पर यथा संभव शीघ्र बोर्ड स्थापित किया जायेगा।

भारतीय रुई निगम द्वारा रुई का आयात

760. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री नारायण चन्द्र पराशर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपडा मिलों नें भारतीय रूई निगम द्वारा रुई के आयात के तरीके पर अप्रसन्नता व्यक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रूई आयात को सरकारी माध्यम को देने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या भारतीय रुई निगम अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में रुई की स्थिति के संबंध में मिलों को परामर्श देने में असमर्थ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने भारतीय रुई निगम के कार्यकरण को सुधारने के लिये क्या उपाय किये है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका को चोरी छिपे अफीम का ले जाया जाना

761. **श्री पीलू मोदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से श्रीलंका को अफीम की तस्करी में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने मामले पकडे गये; और

(ग) तस्करी विरोधी अभियान को और कडा बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) समय समय पर मिलने वाली गुप्त सूचना रिपोर्टों के अनुसार ऐसा लगता है कि भारत से श्रीलंका को अफीम के तस्कर निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) वर्ष 1973 में ऐसे छः मामले हुए है जिनमें तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर अफीम पकडी गई थी। किन्तु चालू वर्ष में जून 1974 तक तामिलनाडु में अफीम पकडने का कोई मामला नहीं हुआ है ।

(ग)(i) नशीलें द्रव्यों के अवैध व्यापार में लगे व्यक्तियों को पकडने के लिये राज्य तथा केन्द्र सरकारों की सभी प्रवर्तन एजेंसियां जैसे––राज्य आबकारी विभाग, पुलिस, औषध नियंत्रण प्रशासन, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरों, नार-कोटिक विभाग, रेलवे सुरक्षा दल आदि हमेशा सतर्क रहते है । देश के भीतरी भागों, सीमाओं तथा तटवर्ती क्षेत्रों पर निगरानी रखी जाती है । तस्कर-व्यापार विरोधी उपायों को सुदृढ़ करने तथा उनमें तालमेल बनाये रखने की दृष्टि से इन संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समय समय पर बैठके आयोजित की जाती हैं।

(ii) तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों में तस्करी विरोधी कार्य के अपेक्षाकृत अच्छे समन्वय के लिए अप्रैल, 1971 से मदुरै में एक नया सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय स्थापित किया गया है । भारत और श्रीलंका के बीच तस्करी व्यापार की समस्याओं का जायजा लेने के लिए भारत और श्रीलंका के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के बीच बैठकें आयोजित की जाती है । पिछला सम्मेलन जनवरी 1974 में मद्रास में आयोजित हुआ था ।

खास कजोरा, परसिया और न्यूसतग्राम के मालिकों द्वारा सार्वजनिक शेयर जारी करके जमा की गई पूंजी

762. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री कोयला खनन कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाने और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा कोयला उद्योग को ऋण के बारे में क्रमवार दिनांक 28 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4269 और 14 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खास काजोरा पारसी और न्यू सतग्राम कोयला कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में शेयर जारी करके सार्वजनिक रूप से कितनी पूंजी एकत्र की;

(ख) कौन कौन सी कोयला खनन कम्पनियों पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां है और 31 मार्च, 1973 में उनकी प्रदत्त पूंजी क्या थी;

(ग) आरक्षणों के एकीकरण और पूंजी-करण के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से शेयर जारी करके कितनी पूंजी एकत्र की; और

(घ) प्रत्येक उपरोक्त कम्पनी के शेयरधारियों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ग) खास काजोरा, पारसी और न्यू सतग्राम कोयला कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक रूप से शेयर जारी करके कोई पूंजी एकत्रित नहीं की है।

(ख) और (घ) सूचना इकटठी की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्व निर्यात में भार के भाग में गिरावट

763. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या विश्व निर्यात में भारत का अंश जो पहिले ही निम्न था 1972 और 1973 में और अधिक गिरा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी गिरावट हुई है; और

(ग) सरकार ने इस गिरावट को रोकने के लिये और विश्वनिर्यात में भारत के अंश तुलनात्मक वृद्धि प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विश्व निर्यातों में भारत का अंश वर्ष 1972 में 0.65 प्रतिशत क उसी स्तर पर बना रहा जो 1971 में था। लेकिन वर्ष 1973 में इस में मामूली सी गिरावट आने स यह 0.63 प्रतिशत रह गया।

(ग) निर्यात बढाने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों में निर्यात अभिमुख उद्योगों के उत्पादन आधार को सुदृढ करना, 1974-75 की आयात नीति को निर्यात संवर्धन के अनुकूल बनाना, नकद मुआवजा सहायता तथा आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों की क्रियाविधि का सरलीकरण आदि शामिल है। आशा है कि इन तथा अन्य उपायों के फलस्वरूप भारत के निर्यातों की वृद्धि दर विश्व निर्यातों की वृद्धि दर के समकक्ष आ जायेगी और विश्व निर्यातों में हमारे अंश में हुई गिरावट उससे पूरी कर ली जायेगी।

टैक्सटाइल निर्यात के आंकड़े

764. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में हमारे टैक्सटाइल निर्यात सदैव से अधिक थे;

(ख) यदि हां, तो 1973 के प्रत्येक मास में और 1972 के उन्ही मासों में कितने मुल्य का निर्यात हुआ; और

(ग) क्या वर्ष 1973 में निर्यात की स्थिति में सुधार हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972 के दौरान हमारे सूती वस्त्रों के निर्यात पिछले किसी भी वर्ष हुए निर्यातों से अधिक रहे।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

1972 तथा 1973 के दौरान भारत से सूती वस्त्रों के मास-वार निर्यात

मास	1972 (करोड रुपये)	1973 (करोड रुपये)
जनवरी . .	11.58	46.13*
फरवरी . .	9.82	
मार्च . .	15.33	
अप्रैल	9.17	7.97
मई	10.97	13.82
जून . .	9.95	10.86
जुलाई . . .	12.72	17.66
अगस्त . .	13.93	14.62
सितम्बर .	17.39	34.92
अक्तूबर	40.91*	26.52
नवम्बर .		24.04
दिसम्बर .		29.81
योग	151.77	226.35

पंजाब के उद्योगों की अधिक क्षमता

765. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्था के विपणन अनुसंधान डिवीजन द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पंजाब के उद्योगों की अधिक क्षमता का पता चला है;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण ने राज्य उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु सिफारिशें/सुझाव दिये है; और

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या है, जिनका सुझाव दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सर्वेक्षण द्वारा उत्पाद विकास, अशोधन तथा विस्तार सम्बंधी सुझाव दिये जाने के अतिरिक्त राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन के लिए सुसंगत संगठन की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है जिसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:—

(1) मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में पंजाब राज्य निर्यात संवर्धन बोर्ड का गठन;

*वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन के महानिदेशक द्वारा अलग से मास–वार आंकड़े प्रकाशित नहीं किये गये है ।

(2) उद्योग निदेशालय में निर्यात संवर्धन स्कन्ध की स्थापना;

(3) पंजाब राज्य निर्यात निगम को फिर से सक्रिय बनाया जाना;

(4) तैयार बाइसिकलों, दस्ती औजारों, छोटे औजारों, मशीनीं औजारों, इंडस्ट्रियल फास्नरों, घरेलू उपस्करों, ऊनी होजरी तथा खेल कूद के सामान जैसी मदों के लिए निर्यात विपणन ग्रुपों की स्थापना।

(5) राज्य के निर्यात अभिमुख एककों को कच्चा माल अपेक्षाकृत अधिक जल्दी जुटाना सुकर बनाने के लिए पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम के कार्य कलापों की पुनर्व्यवस्थित करना।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आस्ट्रेलिया से ग्रीजी ऊन का देर से भिजवाया जाना

766. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होजरी निर्यातकर्ताओं ने आस्ट्रेलिया से विलम्ब से ग्रीजी ऊन भिजवाये जाने के कारण राज्य व्यापार निगम से क्षतिपूर्ति की मांग की है जिससे भारत को विदेशी मुद्रा की भारी हानि उठानी पडी है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदारी का काम ठीक प्रकार से न किये जाने के कारण भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ख) ऐसी किसी क्षति पूर्ति का दावा नहीं किया गया। निर्यातक देश में विद्यमान स्थितियों, नौवहन समस्याओं तथा अन्य तथ्यों के कारण 'ग्रीजी' ऊन के लदान में विलम्ब हुआ था, और इस बीच उन की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आ गई है। हौजरी निर्यातकों तथा ऊनी उद्योग अन्य बातों के साथ साथ मुख्य अनुरोध यह है कि विलम्ब से पहुंचने और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने के कारण अब सप्लाई की जाने वाली ऊन कम कीमतों पर दी जाये। समुचित समाधान ढूंढने के लिएं राज्य व्यापार निगम व उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है।

सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों में वेतन वृद्धि पर प्रतिबन्ध

767. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार द्वारा अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिये कोई वेतन वृद्धि नहीं की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकारी नीति की मुख्य बात क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है तीसरे वेतन आयोग के निर्णय हाल ही में लागू किये गये हैं। इसलिए इनके मामले में वेतन संशोधन करने का समय अभी नहीं आया है। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों मे जो कर्मचारी तीसरे वेतन आयोग के निर्णय के अंतर्गत नहीं आते उनके वेतन उन समझोते व निर्णयों के अंतर्गत आएंगे जो उन पर लागू होते है। अतिरिक्त परिलब्धियों को अनिवार्य रुप से जमा करने के बारे मे हाल में जारी किये गये अध्यादेश का अर्थ यह नहीं है कि वेतन के बारे में जब कभी कोई समझौता किया जाय तो इस बात चीत में कोई रुकावट आये।

वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक

768. **श्री निहार लास्कर :**

श्री तरुण गोगोई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जून, 1974 में वाशिंगटन में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्ट-मण्डल ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के सुधार तथा सम्बद्ध मामलों के विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की समिति (20 की समिति) की बैठक में भाग लिया जो 12-13 जून, 1974 को वाशिंगटन में हुई थी।

(ख) बैठक में लाये गये विचारार्थ विषय तथा उनके बारे में लिये गये निर्णय, बैठक के अन्त में जारी की गयी सरकारी विज्ञप्ति में दिये गये है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8058/74]**

अमरावती में आयकर अधिकारी द्वारा छापा मारा जाना

769. **श्री सरजू पांडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1972 में अमरावती (महाराष्ट्र) के जिला आय कर अधिकारी ने "विजय हौजरी" संत कुंवारम मार्कीट, अमरावती से कई दस्तावेज पकडे थे;

(ख) यदि हां, तो पकडे गये दस्तावेजों का और इस मामले में अब तक की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच के दौरान इस मामले की छानबीन करने के लिये भिन्न भिन्न अधिकारियों को नियुक्त किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिये इस मामले को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन पटल पर रखी जायगी।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

770. **श्री सरजू पांडे :**

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 महीनों के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में इस समय मूल्यों की स्थिति क्या है; और

(ग) मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) पिछले छः महीनों में अलग अलग वस्तुओं के थोक मूल्यों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग वद्धि हुई है। मूल्यों के सूचक अंकों के तुलनात्मक आंकडों का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8059/74]**

(ग) इस बात की रोकथाम के लिये कि मूल्यों में अनुचित वृद्धि न हो और मूल्य वृद्धि-कारी दबाव उत्पन्न न हों, सरकार ने समय समय पर कई मुद्रा संबंधी, राजस्व संबंधी और अन्य उपाय किये हैं और मूल्य वृद्धि कीं रोकथाम के लिए चलाये गये अपने अभियान के रूप में तीन अध्यादेश जारी किये है, जिनमे लाभांशों पर प्रतिबन्ध लगान, अतिरिक्त आय और 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते की अनिवार्य रूप से जमा कराने और अधिक आय वर्ग में आने वाले स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा भी अनिवार्य जमा किये जाने की व्यवस्था है। जून 1974 में एक दूसरा अध्यादेश भो जारी किया गया। ताकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जा सके तथा आम जनता के उपयोग की कुछ वस्तुओं में मुनाफाखोरी और जमाखोरी को रोका जा सके।

आर्थिक उपायों को सुदृढ बनाना

771. श्री सरजू पांडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरन्तर कठिन स्थिति और मुद्रास्फिति को देखते हुए आर्थिक उपायों को और सुदृढ बनाने के लिये हाल ही में कोई उपाय किये गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) आर्थिक उपायों के पहली बार लागू किये जाने से प्रत्येक मंत्रालय मे अब तक कितनी बचत की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सरकार ने देश में मुद्रा स्फीतिकारी स्थिति का सामना करने के लिए पिछले वर्ष में कई उपाय किये।

2. घाटे की वित्त व्यवस्था को यथासंभव सिमित करने के उद्देश्य से सरकार ने आयोजना भिन्न व्यय में किफायत करने के लिए 1973-74 में निम्नलिखित कडे उपाय किये थे :—

'आकस्मिक खर्चों और यात्रा भत्तों में किफायत कार्य संबंधी इमारतों से भिन्न ऐसी इमारतों के निर्माण कार्य को रोका जाना जिनका निर्माण प्लिथ लेवल से ऊपर नहीं हुआ है, कुछ विशेष महत्व वाली इमारतों को छोड कर शेष इमारतों की वार्षिक मरम्मतें तथा रखरखाव के कार्यों को रोक दिया जाना, ऐसे नये पदों के निर्माण पर प्रतिबन्ध जो छः महीने से अधिक समय तक खाली पडे हुए है, सरकार की विभिन्न शाखाओं में अधिकारियों के बारी बारी तबादले का आस्थगन ताकि तबादले के भत्तों की बचत की जा सके, दफ्तर की गाडियों की पैट्रोल की खपत में तथा टेलीफोन कालों में कमी; मनोरंजन और विदेश यात्रा पर व्यय में किफायत; सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा बैठकों के आयोजन में होने वाले खर्च में किफायत; अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों के आयोजन के लिए कम से कम लोगों को निमन्त्रण देना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश देना कि वे दक्षतापूर्वक कार्य करके अधिक आन्तरिक साधन जुटा कर अपनी नकद हानि को कम करें। इसके अलावा यह भी आवश्यक समझा गया कि आयोजना व्यय में किफायत की जाय।

यह किफायत इस प्रकार की गयी कि मुख्य परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर जो कि अर्थ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और पूरे होने ही वाले हैं, इसका प्रभाव न पडे और ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं को जो इतनी अनिवार्य नहीं है और जिनके पूरा होने में अधिक समय लगेगा, उन्हें धीमा कर दिया जाय।

3. आशा थी कि इन उपायों के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 400 करोड रुपये की बचत हो जायगी। किफायत के इन उपायों को मोटे तौर पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू कर दिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1973–74 में की जाने वाली बचत के अनुमान इस विवरण के अनुबन्ध में दिये गये हैं।

4. सरकार के आयोजना-भिन्न प्रशासनिक खर्च में किफायत करने के लिए किये गये कई उपाय 1974-75 में भी बराबर जारी है। कार्य सम्बन्धी इमारतों से भिन्न इमारतों के निर्माण, सरकारी इमारतों की वार्षिक मरम्मत और रख-रखाव के काम को स्थगित करने, नये पदों को बनाने तथा ऐसे पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगाने जो छः महीनों से अधिक समय से खाली रहे हों तथा कागज की खपत और विभागीय मोटर गाडियों की पेट्रोल की खपत में तथा टेलीफोन कालों पर होने वाले खर्च में बचत करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले कदमों पर सख्ती से अमल करने की हिदायतें दी गयी हैं। अस्थायी नक्शों आदि पर अमल करके और जहां सम्भव हो वहां प्लिथ एरिया कम कर के तथा बाहरी और भीतरी सजावट न कर के इमारतों के निर्माण पर होने वाले खर्च में किफायत करने के लिए आदेश जारी किये गये हैं। हाल ही में, दिल्ली और राज्यों की राजधानियां में स्थित प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के आधीन टेलीफोनों की संख्या में कटौती करने के आदेश जारी किये गये हैं।

5. इसके अलावा, आयोजनागत और आयोजना-भिन्न बजेटों की समीक्षा की गयी है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किन-किन मदों के खर्च में और किफायत की जा सकती है।

अनुबन्ध

(करोड रुपयों में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	सूचित की गयी कुल बचत
1.	कृषि	13.84
2.	खाद्य	4.47
3.	सामुदायिक विकास	5.40
4.	सहकारिता	10.13
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	3.87
6.	वाणिज्य	0.34
7.	संचार एवं समुद्रपारीय संचार व्यवस्था	0.02
8.	डाक एवं तार	3.29
9.	शिक्षा	11.76
10.	समाज कल्याण	2.48

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्यां	मंत्रालय/विभाग	सूचित की गई कुल बचत
11.	आर्थिक कार्य विभाग (वित्त)	2.93
12.	बैंकिंग (वित्त)	7.50
13.	व्यय (वित्त)	158.45†
14.	राजस्व और बीमा (वित्त)	3.13
15.	स्वास्थ्य	4.60
16.	परिवार नियोजन	6.25
17.	भारी उद्योग	8.54
18.	गृह विभाग	1.40
19.	औद्योगिक विकास	8.76
20.	सूचना एवं प्रसारण	3.68
21.	सिंचाई एवं बिजली	23.98
22.	श्रम और रोजगार	0.32
23.	पुनर्वास	2.52
24.	पेट्रोलियम और रसायन	15.62
25.	नौवहन और परिवहन	24.41
26.	इस्पात	31.72
27.	खनन	9.71
28.	पर्यटन और सिविल विमानन	4.69
29.	निर्माण और आवास	5.30
30.	विज्ञान टेकनोलाजी	2.25
31.	प्रधान मन्त्री का सचिवालय	0.02
32.	राष्ट्रपति का सचिवालय	0.02
33.	उच्चतम न्यायालय	0.01
34.	योजना आयोग	0.06
	जोड़	381.47

बम्बई पत्तन से अखबारी कागज की खेप को न उठाने के कारण विलम्ब शुल्क

772. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन से अखबारी कागज की खेप समय पर न उठाने के कारण सरकार को हाल में विलम्ब शुल्क देना पडा; और

(ख) यदि हां, तो माल उठाने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

†इसमें केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता में 93.98 करोड रुपयों की बचत रोजगार योजनाओं में 34 करोड़ रुपयों की बचत और पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अग्रिम कार्रवाई में 30 करोड़ रुपयों की बचत शामिल है।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम को विलम्ब शुल्क के रूप में 27,392.78 रु० देने पड़े।

(ख) खेप उठाने में कोई ऐसी देरी नहीं हुई जिसे कि टाला जा सकता था। इस अवधि के दौरान और जलयान भी थे जिनमें अखबारी कागज था जिसे उठाया जा रहा था और बम्बई पत्तन पर काफी घिचपिच भी थी।

अतिरिक्त उपलब्धि (अनिवार्य जमा) अध्यादेश का सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव

773. **श्री वरके जार्ज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त उपलब्धि (अनिवार्य जमा) अध्यादेश जारी करने से सरकारी कर्मचारियों को होने वाली और अधिक कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) सरकार का सरकारी कर्मचारियों की, जो अत्यधिक बढ़ती हुई कीमतों से बुरी तरह प्रभावित हैं, स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) मूल्यों में निरन्तर वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, उनके बारे में सरकार को जानकारी है। वेतन तथा महँगाई भत्तों में समय-समय पर किये गये समायोजन से अतीत में केवल मुद्रास्फिति प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। अतिरिक्त वेतन तथा महँगाई भत्ते की 50 प्रतिशत राशि को अवरुद्ध करने का निर्णय मुद्रा सप्लाई को कम करने तथा इस प्रकार मूल्य वृद्धि को रोकने संबंधी "पैकेज" कार्यक्रम का एक अंग है। "पैकेज" उपायों के अन्तर्गत निस्संदेह समाज के विभिन्न वर्गों को अस्थायी अवधि के लिये कुछ त्याग करना होगा। तथापि सरकार को यह आशा है कि इन उपायों से अर्थ व्यवस्था को स्थायित्व मिलेगा और समाज के सभी वर्गों को दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे।

लखनऊ हवाई अड्डे से होकर जाने वाली दिल्ली और कलकत्ता के बीच विमान सेवाएं

774. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कलकत्ता के बीच लखनऊ हवाई अड्डे से होकर कोई भी विमान सेवा नहीं है ;

(ख) क्या इस प्रकार की विमान सेवा बन्द कर देने से जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) उस को बन्द करने के कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) से (ग) वर्तमान समयसारणी के अनुसार दिल्ली और कलकत्ता के बीच लखनऊ से होकर कोई विमान सेवा नहीं है। 1974-75 की शीतकालीन समयसारणी में दिल्ली-लखनऊ-पटना-कलकत्ता बोइंग विमान सेवा शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय हवाई अड्डों पर तौलियों और साबुनों का उपलब्ध न होना

775. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न भारतीय अड्डों के शौचालयों में अब तौलियों और साबुन की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा संधारित दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विमानक्षेत्रों तथा नागर विमाजन विभाग द्वारा संधारित सभी अन्तर्देशीय विमानक्षेत्रों पर साबुन और तौलिये उपलब्ध हैं। किन्तु हाल में वाराणसी विमानक्षेत्र पर दो सप्ताह के लिये साबुन उपलब्ध नहीं रहा क्योंकि बाजार में साबुन उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा था, अब यह उपलब्ध करा दिया गया है।

मोटी किस्म के कपड़े की बिक्री

776. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न आय समूह के व्यक्तियों को मोटी किस्म के कपड़े की बिक्री के सम्बन्ध में कोई नियम अथवा विनियम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस कपड़े की उचित बिक्री किस प्रकार से सुनिश्चित की जाती है ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के निर्धन वर्गों के लोगों को इस लाभ से अधिकतर वंचित रखा जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस बारे में कोई काननी नियम नहीं बनाये गये हैं परन्तु राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त सुझाये गय हैं।

(ख) तथा (ग) खुदरा स्तर पर नियंत्रित कपड़े का वितरण करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हैं। इस कपड़े के वितरण के लिए स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक प्रत्येक सरकार के अपने-अपने मानक हैं। किन्तु, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे उनको राशन / घरेलू कार्डों आदि के आधार पर नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिए एक पद्धति बनानी चाहिए तथा आवधिक रूप से प्रति परिवार बेची जाने वाली कपड़े की अधिकतम मात्रा भी तय की जाये। यह भी सलाह दी गई है कि वे उनको नियंत्रित कपड़े की बिक्री को एक निर्दिष्ट आय स्तर तक के व्यक्तियों तक ही सीमित रखें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों के वेतनमानों को युक्तिसंगत बनाने के लिये नियुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

777. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों के वेतनमानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 30 मई, 1974 को पेश की।

इस समिति ने उन सिद्धान्तों की जांच की जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के अफसरों के वेतन मानों पर लागू होने चाहिए और इस बारे में एक स्टैंडर्ड वेतन-ढांचे की सिफारिश की है जो मोटे तौर पर अफसरों के कैडर में जिम्मेवारियों के समान स्तर के आधार पर बनाया गया है। इस समिति ने बैंक में अफसरों की जिम्मेवारियों और उनके कर्तव्यों के आधार पर उनको विभिन्न श्रेणियों को आंकने व उनको प्रस्तावित ग्रेडों में से किसी भी एक ग्रेड में रखने के लिए कुछ निर्देश भी सुझाये हैं। इसने महंगाई भत्ते और दूसरे भत्तों जैसे यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि और अन्य सुख सुविधाओं को जो बैंक के अफसरों को मिलती हैं, स्टैंडर्ड करने का सुझाव भी दिया है। जहां तक अफसरों का एक बैंक से दूसरे

बैंक में तबादला करने का सवाल है, समिति ने इस बारे में अपनाये जाने वाले कुछ सिद्धान्त निर्धारित करने के बाद यह राय जाहिर की है कि प्रबन्धकीय ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करने वाले अफसरों का एक बैंक से दूसरे बैंक में तबादला करना वांछनीय होगा।

समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

बिहार राज्य को विकास कार्यों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना

778. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और 1973 में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य को विकास कार्यों के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) क्या बिहार राज्य सरकार ने वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये जीवन बीमा निगम से अतिरिक्त ऋण देने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने ऋण की मांग की गई है ; और

(घ) इस बारे में जीवन बीमा निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वित्तीय वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान बिहार राज्य में 200.00 लाख रुपये तथा 570.00 लाख रुपये के (अनन्तिम) ऋणों का वितरण किया गया। परन्तु इन रकमों में आवासीय तथा वाणिज्यिक मकानों के लिये अलग-अलग तथा निगमित निकायों को जारी किये गये बन्धक ऋण शामिल नहीं है। वित्तीय वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा वितरित राज्य-वार ऋणों के संबंध में दो विवरण-पत्र संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8060/74]**

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण

779. श्री भोला मांझी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में 1 नवम्बर, 1973 से पुनरीक्षण किया है ;

(ख) क्या उन आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की युनियन के नेताओं ने अपील की है कि उन भत्तों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 जनवरी, 1973 से दिया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) आदेश कार्यालय ज्ञापन के रूप में हैं। सामान्यतः इस प्रकार के कार्यालय-ज्ञापनों को सभा-पटल पर रखने की परम्परा नहीं है।

(ग) तीसरे वेतन आयोग ने नगर प्रतिपूर्ति तथा मकान किराया भत्तों के संबंध में संशोधित आदेशों को, 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी बनाने की सिफारिश नहीं की है। किन्तु कर्मचारी पक्ष की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें उसी तारीख से प्रभावी बनाया जाय।

(घ) सरकार ने यह संभव नहीं पाया है कि वह इस मांग से सहमत हो सके।

सिक्योरिटी कागज का उत्पादन

780. **श्री भोला मांझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में करैंसी नोट छापने के लिये कागज की मांग को पूरा करने के लिये सिक्योरिटी कागज का उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 में सिक्योरिटी कागज के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) 1973-74 में 1 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये के नोटों के लिये लगभग 240 लाख रुपये की कुल लागत के करैंसी नोट पेपर के आयात के लिए आर्डर दिये गए थे, जिसमें 154 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल थी।

(ग) हाल में ही सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में श्रमिक असन्तोष में सुधार हुआ है, और जिससे 1974-75 में उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव हो जाएगा। इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड और देवास में बने नए बैंक नोट प्रेस की छपाई सम्बन्धी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने करैंसी और बैंक नोट पेपर के उत्पादन के लिये एक नयी सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना की रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है।

बैंकों में समयोपरि भत्ते का भुगतान

781. **श्री भोला मांझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों में समयोपरि भत्ते के रूप में काफी बड़ी रकम का भुगतान कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार समयोपरि भत्ते का भुगतान बंद कर देने का है ताकि बेरोजगार शिक्षित युवकों को बैंकों में रोजगार मिल सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) बैंकों के कर्मचारियों को काम के सामान्य घण्टों के बाद किये जाने वाले काम के लिए दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते की अदायगी का विनियमन बैंकों के प्रबन्धकों और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए आपसी समझौतों द्वारा किया जाता हैं और ये समझौते विभिन्न राज्य सरकारों के दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियमों के अधीन होते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1972 और 1973 में अदा किये गये समयोपरि भत्ते की रकम, जिसकी जानकारी बैंकों द्वारा दी गयी है, अनुबन्ध में दी गयी है।

बैंकों ने सामान्यतः यह सूचित किया है कि यद्यपि कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देना बिल्कुल बन्द करना तो सम्भव नहीं है, फिर भी वे विभिन्न उपाय करके समयोपरि काम को कम करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं जैसे पर्यवेक्षण में कड़ाई लाना, प्रति कार्यालय और प्रति कर्मचारी समयोपरि भत्ते की उच्चतम सीमा निर्धारित करना, जन-शक्ति का अधिक कारगर ढंग से उपयोग करना और कर्मचारी संघों के नेताओं से बातचीत करना, आदि।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	1972	1973 (अनन्तिम)
1	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	94.50	108.00
2	बैंक आफ इण्डिया	83.82	104.62
3	पंजाब नैशनल बैंक	103.66	127.31
4	बैंक आफ बड़ौदा	88.69	104.16
5	यूनाइटेड कमर्शल बैंक	63.05	77.28
6	कनारा बैंक	36.98	47.83
7	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	48.88	46.69
8	देना बैंक	35.99	45.00
9	सिण्डीकेट बैंक	12.40	16.79
10	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	40.99	46.57
11	इलाहाबाद बैंक	35.90	40.00
12	इण्डियन बैंक	22.73	25.30
13	बैंक आफ महाराष्ट्र	19.08	24.85
14	इण्डियन ओवरसीज बैंक	24.69	31.09
15	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	410.63	450.35
16	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	32.70	38.81
17	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	36.90	55.71
18	स्टेट बैंक आफ इन्दोर	13.20	16.00
19	स्टेट बैंक आफ मैसूर	11.63	16.09
20	स्टेट बैंक आफ पटियाला	14.48	19.08
21	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	16.21	20.66
22	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	11.02	13.85

गत 14 महीनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये मंजूर किया गया महंगाई भत्ता

782. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 महीनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की कितनी किश्तें मंजूर की गई हैं ; और

(ख) उस पर कितना अतिरिक्त खर्च होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) अभी तक महंगाई भत्ते की पांच किश्तें मंजूर की गई हैं। ये पहली मई, 1973, पहली अगस्त, 1973, पहली अक्तूबर, 1973, पहली जनवरी, 1974 और पहली फरवरी, 1974 से प्रभावी हुई। सरकार द्वारा पूरे वर्ष में प्रत्येक किश्त के लिए 50 करोड़ रु० के लगभग अतिरिक्त राशि व्यय किये जाने का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

783. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1974-75 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोले जाने की मंजूरी दी गई है; और

(ख) ये शाखायें किन-किन स्थानों पर खोली जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों पर 30 जून, 1974 तक 25 नयी शाखाएं खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास लाइसेंस/अलाटमेंट थे :--

जिले का नाम	स्थान
चम्बा	पांगी (किला) उदेपुर
कांगड़ा	मैलोदगंज बरसर रानीताल बनखण्डी नगरोट सूरियां
कुल्लू	नग्गर जरी चौवाई कुल्लू कटरियों मनाली
मण्डी	पहाड़ी औत ड्रांग धरमपुर मण्डी (2 शाखाएं)
सोलन	सोलन नालागढ़
लाहौल और स्फिति	कजा
सिरमौर	राजबन
शिमला	शिमला (पूर्व)
ऊना	ऊना

भारतीय रुपये की क्रय शक्ति

784. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपये की क्रय शक्ति (मूल्य) वर्ष 1959 से ही कम होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1959 को आधार वर्ष मानकर इस समय पैसों के रूप में रुपये का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) मूल्य वृद्धि की अवधि में मुद्रा की आन्तरिक क्रय शक्ति अवश्य ही घटती रहती है और भारतीय मुद्रा इस नियम का अपवाद नहीं है। इस प्रकार अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार 1949-100) के हिसाब से रुपये की क्रय शक्ति 1959 से घटती रही; किन्तु केवल 1969 में पहले वर्ष के मुकाबले रुपये का मूल्य कुछ बढ़ा था। 1959 को आधार मानकर रुपए का मुल्य मई 1974 में 33.9 पैसे बैठता है।

बीमा नियंत्रक कार्यालय को शिमला से दिल्ली में लाना

785. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा नियंत्रक कार्यालय को शिमला से दिल्ली में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को किन कारणों से लाना पड़ा;

(ग) क्या बीमा नियंत्रक कार्यालय के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जीवन तथा विविध, दोनों प्रकार के, सभी बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण होने से नियंत्रक के व्यवस्थापकीय कार्य काफी हद तक कम हो गये हैं। इस के साथ ही, इस सम्बन्ध में सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बीमा निगमों पर उचित निदेशात्मक नियंत्रक के रूप में उसको अपने विवेकाधीन अधिकारों के पूर्ण प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस पृष्ठभूमि के आधार पर निर्णय किया गया है कि बीमा नियंत्रक के कार्यालय को धीरे धीरे बन्द किया जाय और सरकार के इन निदेशात्मक कार्यों का उचित निष्पादन करने के लिए बीमा पक्ष में तकनीकी अधिकारियों को लेकर राजस्व तथा बीमा विभाग में वृद्धि की जाय। यह विभाग केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को बीमांकीय सलाह देने के कार्यों को भी करेगा तथा उन अन्य कार्यों को भी करेगा जो पहले बीमा नियंत्रक करता रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं कि कर्मचारियों को कम से कम इधर उधर करना पड़े और इन में से जो कर्मचारी दिल्ली आना नहीं चाहते उन को जहां तक सम्भव हो सके शिमला तथा शिमला के आसपास के अन्य कार्यालयों में खपा लिया जाय।

एक्स सर्विसमैन एयर-लिंक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सेदार

786. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्स सर्विसमैन एयर-लिंक ट्रांसपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सेदार कौन-कौन हैं;

(ख) क्या दिल्ली में इस प्रकार के ठेके के लिये समाचारपत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया था; और

(ग) बम्बई में कम्बाटा की मासिक आय क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इस समय समस्त इक्विटी शेयर भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के पास हैं।

(ख) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यह ठेका बिना टेंडर मंगाए मैसर्स एक्स सर्विसमैन एयर-लिंक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (प्रा०) लिमिटेड को दिया था क्योंकि उनके आवेदन का अभिसमर्थन रक्षा मंत्रालय में पुनर्वास के महानिदेशक द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए किया गया था। ऑफर भेजने वाली दो अन्य पार्टियां भी थीं परन्तु उपर्युक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी शर्तें सबसे अधिक अनुकूल थीं।

(ग) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास मैसर्स कम्बाटा को बम्बई में पोर्टरेज सेवाओं से हुई आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आम का निर्यात

787. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या है जो आम का आयात कर रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय आम की मांग बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की राशि क्या है; और

(घ) देश में अधिक आम का उत्पादन करने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से प्रोत्साहन दिये गये है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बहरीन द्वीप, दुबई, फ्रांस, मलयेशिया, मस्कत, नेपाल, कतार, जर्मनसंघीय गणराज्य, सिंगापुर, ब्रिटेन, कुवैत, दक्षिण यमन, सऊदी अरब तथा अन्य।

(ख) जी हां,।

(ग)

वर्ष	एफ० ओ० बी० मूल्य (लाख रु०)
1971-72	26.08
1972-73	50.01
1973-74 (जनवरी,74 तक)	51.25

(घ) पांचवीं योजना के दौरान आम के संबंध में पेकेजिंग प्रोग्राम के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना अनुमोदित की गई है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में प्रोग्रामों के लिए लगभग 75 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

छोटे सिक्कों की कमी

788. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

श्री गजाधर मांझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामिण क्षेत्रों में छोटे सिक्कों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अलीपुर (कलकत्ता), बम्बई और हैदराबाद के तीनों कारखानों द्वारा सभी मूल्यों के सिक्के बनाये जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हाल के महीनों मे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) यह सवाल नहीं होता ।

(ग) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में डाली गयी रोजगारी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

संख्या (हजारों में)

मूल्यवर्ग	1972-73	1973-74
50 पैसे	14,16,16	15,33,70
25 पैसे	38,72,82	43,08,88
10 पैसे	76,08,00	80,94,62
5 पैसे	48,22,80	47,44,50
3 पैसे	18,85	..
2 पैसे	26,12,10	23,26,60
1 पैसा	4,91,40	..

रुपए का मूल्य

789. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1960 से रुपये का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और 1960 से लेकर प्रति वर्ष के अन्त में रुपये का मूल्य क्या रहा; और

(ग) 1973 और 1974 में प्रति मास रुपये का मूल्य कितना कितना रहा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण): (क) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता सूचक अंक (आधार 1949=100) के वार्षिक औसत के हिसाब से रुपये का मूल्य 1960 से गिरा है किंतु 1969 में यह पहले के वर्ष के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा था।

(ख) रुपए का मूल्य गिरने का कारण उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक बढ़ता है। अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार 1949=100) के अनुसार 1960 से प्रत्येक दिसम्बर के अंत तक के अपेक्षित आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	रुपये का मूल्य (1949 में पैसे)
दिसम्बर 1960	80.6
दिसम्बर 1961	78.1
दिसम्बर 1962	75.2
दिसम्बर 1963	71.4
दिसम्बर 1964	61.0
दिसम्बर 1965	57.8
दिसम्बर 1966	50.8
दिसम्बर 1967	46.7
दिसम्बर 1968	48.1
दिसम्बर 1969	46.5
दिसम्बर 1970	44.2
दिसम्बर 1971	42.2
दिसम्बर 1972	39.2
दिसम्बर 1973	31.6

(ग) प्रतिमास के बारे में अपेक्षित आंकड़े इस प्रकार है :

महीना	रुपए का मूल्य (1949 में पैसे)	
	1973	1974
जनवरी	39.2	31.2
फरवरी	38.6	30.8
मार्च	38.0	29.9
अप्रैल	37.2	29.1
मई	36.1	28.0
जून	35.3	
जुलाई	33.9	
अगस्त	33.9	
सितम्बर	33.2	
अक्टूबर	32.4	
नवम्बर	31.7	
दिसम्बर	31.6	

मयीथूरा में एक हवाई अड्डे के निर्माण संबंधी निर्णय

790. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण करने पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर एल्लपि तथा कोचीन के बीच मयीथूरावेली में एक हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ; और

(घ) अधिकारियों को रिपोर्ट को मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) कोचीन के निकट एक सिविल हवाई अड्डे के संभावित निर्माण के लिए विभिन्न स्थानों के बारे में, जिन में मयीथूरा वेली भी सम्मिलित है सर्वेक्षण रिपोर्टों का इंडियन एयरलाइंस के परामर्श से नागर विमानन विभाग द्वारा अभी मूल्यांकन किया जा रहा है। शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंचने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्टों का संबंध मुख्य रूप से स्थलों की भौतिक विशिष्टताओं, सुविधाओं की उपलब्धता आदि से है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों को दिया गया ऋण

791. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने उन विभिन्न कम्पनियों तथा संगठनों को ऋण दिया है जो बड़े औद्योगिक गृहों के स्वामित्व में है तथा उन्ही द्वारा नियंत्रित है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं तथा बैंकों ने प्रत्येक कम्पनी या फर्म को वर्षवार कितनी कितनी राशि दी है; और

(ग) वर्ष 1973 और 1974 में इन कम्पनियों में से प्रत्येक के जिम्मे कितनी कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण): (क) से (ग) बैंकों में प्रचलित कानून, व्यवहार और प्रथा के अनुसार और बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये अपने घटकों के बारे में सूचना देना संभव नहीं है। फिर भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गयी सुचना के अनुसार जून, 1973 के आखिरी शुक्रवार को बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गए अग्रिमों की कुल बकाया रकम 568.79 करोड़ रुपये थी ।

1973-74 में बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिष्ठानों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा दी गयी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के संबंध में तथा 31 मार्च, 1973 को इन प्रतिष्ठानों की और बकाया रकम के बारे में सूचना क्रमश: अनुबन्ध 1,11 और 111 में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 8061/74]** इसी तरह की सुचना भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के बारे में इकट्ठी की जा रही है और वह जिस सीमा तक और जैसी उपलब्ध होगी सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विभिन्न मंत्रालयों के वित्तीय क्रियाकलापों के बारे में लेखा-परीक्षा टिप्पणियों की संख्या में वृद्धि

792. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों के वित्तीय क्रिया कलापों के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या में वर्ष 1970 के बाद से काफी वृद्धि हुई है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आंकड़ों का वर्ग-वार और मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इतने अधिक वर्षों से उनका समाधान न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गत वर्ष यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को निर्यात किये गये माल का कुल मूल्य

793. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की निर्यात में वृद्धि करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ख) क्या विशेष रियायतों को प्राप्त करने के लिए वार्तायें की गई हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। युरोपिय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ साथ व्यापार पर लगे टेरिफ तथा गैर-टेरिफ बाधाओं को समाप्त/कम कराने से संबंधित हमारे प्रयत्न, वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम, व्यापार प्रतिनिधिमंडल आमंत्रितकरना व भेजना, संयुक्त आयोग की बैठकें आदि शामिल है। हमारे प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप विगत में समुदाय से कई रियायतें हासिल की गई है, यथा पटसन तथा कयर करार के अन्तर्गत हासिल की गई टेरिफ सम्बन्धी भार कटौतियां, भारत के निर्यात हित की अनेक मदों पर लगने वाले टेरिफ का हटाया जाना। वाणिज्यिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर, अधिमान की सामान्यीकृत प्रणाली संबंधी योजना का और आगे उदारीकरण आदि।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों में मंडियों संबंधी सर्वेक्षणों का किया जाना

794. **श्री एस० आर० नामाणी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये विदेशों में मंडियों संबंधी सर्वेक्षणों की मुख्य बातें क्या हैं और इन सर्वेक्षणों के आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ाने की क्या क्या सम्भावनायें है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से इस मंत्रालय द्वारा अबतक विदेशों में मंडियों संबंधी कोई सर्वेक्षण नही किए गए हैं। तथापि, अगस्त 1974 से अप्रैल 1975 की अवधि के दौरान विदेशी मंडियों संबंधी तीन सर्वेक्षण करने के लिए जून 1974 में भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच निर्यात राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच निर्यात विकास हेतु गवेषणा तथा सर्वेक्षण संबंधी एक परियोजना दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये गये।

वर्ष 1972-73 के दौरान पालिसी धारियों द्वारा वार्षिक प्रीमियम की जमा की गई गैर-समायोजित राशि

795. **श्री मधु दन्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान पालिसीधारियों द्वारा वार्षिक प्रीमियम के जमा किये गये एक भाग का जीवन बीमा निगम ने समायोजन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो 1972-73 में समायोजित की गई राशि की प्रतिशतता कितनी थी;

(ग) वर्ष 1970–71 और 1971-72 में इसी अवधि की प्रतिशतताओं के साथ इसकी तुलमात्मक स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त आवर्ती गैर-समायोजन के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) 1970–71, 1971-72 और 1972-73 के अन्त तक जमा की गई समायोजित राशि और कुल वार्षिक प्रीमियम आय की प्रतिशतत: का विवरण निम्नलिखित :—

जमा कि गई गैर-समायोचित राशि

वर्ष	राशि (करोड रुपयों में)	वार्षिक प्रीमियम आय की कुल प्रतिशतत:
1970-71	33.17	11.51
1971-72	34.05	10.25
1972-73	36.58	9.60

(घ) गैर-समायोजित प्रीमियम के कारणों में निम्नलिखित कारण शामिल हैं :—

(एक) पूरी प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई ।

(दो) विलम्ब शुल्क, आदि दिये बिना अनुग्रह दिनों की समाप्ति के पश्चात प्राप्त राशियां ।

(तीन) गलत पालिसी संख्याओं अथवा पालिसी संख्याओं के बिना प्राप्त राशियां ।

दिल्ली में पर्यटक होटल

796. श्री मोहम्मद शरीफ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की : दिल्ली में इस समय कितने पर्यटक होटल हैं और 1973 तथा 1974 के वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने नये पर्यटक होटल खोले गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : इस समय दिल्ली में पर्यटन विभाग द्वारा अनमोदित 25 होटल हैं । 1973 और 1974 के दौरान तीन होटलों को इस सूची में जोड़ा गया था ।

पश्चिम बंगाल के बुनकरों को सूत की सप्लाई

797. डा० रानेन सेन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बुनकरों को उनकी मांग के अनुसार सूत सप्लाई नही किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है; और

(ग) 1973-74 के दौरान और जुलाई, 1974 तक उनकी सूत की कुल मांग कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सूत की मतों तथा वितरण पर कानूनी नियंत्रण मार्च, 1973 में लागू किया गया था। नियंत्रण स्कीम के अंतर्गत पूर्तियोंहेतु विभिन्न राज्यों से जो मांगे प्राप्त हुई वे उत्पादन की तुलना में काफी अधिक थी । इसके अलावा, विभिन्न मिलों ने वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किये गए रिलीज आदेशों के विरुद्ध न्यायालयों से रोक आदेश प्राप्त कर लिए। अत: विभिन्न राज्यों को 1973-74 के दौरान उनकी मांग के अनुसार सूत के आवंटन / पूर्तियां नही की जा सकी । यह भी कहा जा सकता है कि सूत पर लगे कीमत तथा वितरण नियंत्रण में जुलाई 1973 से के आगे लिए धीरे धीरे छुट दी गई और बुनकरों अनियंत्रित किस्मो की खरीद खुले बाजार से करनी पड़ी।

2 सूत पर लगे कीमत तथा वितरण नियंत्रण को मार्च, 1974 तक पूर्णत: हटा दिया गया । अब केवल राज्य सरकारों के नामितों शीर्ष, सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा/शक्ति चालित करघा निगमों को मिलों से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार माल उठाने के लिए सहायता दी जाती है । इसके बदले इन संगटनों से अपेक्षा की जाती है कि यथासंभव सीमा तक वे बुनकरों की मांगों को पूरा करें ।

3. पश्चिम बंगाल ने 1973-74 के दौरान अपनी आवश्यकताए प्रतिमास 15-24 लाख कि०ग्राम हेंक यानी और 22.14 लाख कि०ग्रा० कोन यार्न बताई थी । 1974-75 के दोरान उन्होने अपनी आवश्यकताओं को संशोधित किया है जो कि प्रतिमास 39.18 लाख कि० ग्रा० हैंक यार्न और 84.37 कि० ग्रा० कोन-यार्न हैं ।

सरकारी व्यय में मितव्ययता बरतने का सुझाव देने के हेतु एक समिति की नियुक्ति

798. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी व्यय में मितव्ययता बरतने का सुझाव देने तथा व्यय की मदों के लिये प्राथमिकता अनुसूची तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का है : और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) देशमें व्याप्त मुद्रा के भारी फलाव की स्थिती को देखते हुए सरकारी खर्च में सम्भव मितव्ययता का पता लगाने के लिए सचिवों के दो दल गठित किये गये है जो मंत्रालयों के क्रमशः आयोजनागत और आयोजना-भिन्न बजटों की समीक्षा करेंगे । दलों का काम लगभग पूरा होनेवाला है ।

सोवियत संघ के कपास का आयात

799. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1974-75 के दौरान सोवियत संघ से कपास का आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं, फिर भी, संभाव्यताओं का क्या पता लगाया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुद्रास्फिति रोकने के लिये कार्यवाहियां

800. श्री राजा कुलकर्णी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-1973 और 1974 वर्षों के दौरान मुद्रास्फीतिक प्रवृत्तियों तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य कौन-कौन से उपाय किये गये थे; और

(ख) ये उपाय क्यों असफल रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कुछ ऐसे कारणों से कीमतें बढ़ी हैं जैसे 1971-72 और 1972-73 में कृषि उत्पादन में कमी हो जाना, 1973 में औद्योगिक उत्पादन लगभग स्थिर रहना, कुछ प्रमुख वस्तुओं जैसे पैट्रोलियम और पैट्रोलियम से बनी वस्तुओं, उर्वरकों और धातुओं के आयात मूल्य में तेजी से वृद्धि हो जाना। जमाखोरी और सट्टाबाजारी की मनोवृत्तियों ने भी कीमतों को बढ़ाया है। यदि ऐसे उपाय (जो संलग्न विवरण में दिये गये हैं) न अपनाये जाते तो कीमतें और भी तेजी से बढ़ती ।

विवरण

1972 से अपनाये गये प्रमुख मुद्रा संबंधी उपाय नीचे दिये गये हैं:

(क) बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 31 मई, 1973 से 7 प्रतिशत और 23 जुलाई, 1974 से 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ख) कानूनी तौर पर प्रारक्षित नकदी का अनुपात 1973 में तीन बार बढ़ाया गया था जो 29 जून, 1973 से 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत; 8 सितम्बर, 1973 से 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 6 प्रतिशत ; और 22 सितम्बर, 1973 से 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत किया गया। लेकिन 29 जून, 1974 से इस अनुपात को 7 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया।

(ग) कानूनी भुगतान-साधन अनुपात 1972 और 1974 के दौरान अब तक 4 बार बढ़ाया गया था जिसे अगस्त 1972 के पहले शुक्रवार से 28 प्रतिशत से बढ़ा कर 29 प्रतिशत कर दिया गया; 17 नवम्बर, 1972 से 29 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत, 8 दिसम्बर, 1973 से 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत; और 29 जून, 1974 से 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया गया था।

(घ) निवल भुगतान-साधन अनुपात 1972 और 1974 के दौरान अब तक 4 बार बढ़ा कर 34 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दिया गया जिसे 17 नवम्बर, 1972 से 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत ; 30 मार्च, 1973 से 36 प्रतिशत से बढ़ा कर 37 प्रतिशत; 29 जून, 1973 से 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 प्रतिशत और 8 सितम्बर, 1973 से 39 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया।

(ङ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की न्यूनतम दर (छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर) पहली जून, 1973 से 10% निश्चित की गयी पहली दिसम्बर, 1973 से यह दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत कर दी गयी। 23 जुलाई, 1974 से इसे 11 प्रतिशत से बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया।

(च) जमाखोरी और सट्टेबाजारी को अनुत्साहित करने के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आधार पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले उधार की न्यूनतम दर 23 जुलाई, 1974 से 2 प्रतिशत बढ़ा दी गयी अर्थात जो भी दर विभिन्न श्रेणियों पर लागू होती हो उसके अनुसार वह 13% से बढ़ा कर 15% या 12% से बढ़ा कर 14% कर दी गयी।

(छ) पहली अप्रैल, 1974 से, बचत खाते पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दी गयी और जमा करायी जाने वाली रकमों की अन्य श्रेणियों के संबंध में ब्याज की दर में वृद्धि 0.25 प्रतिशत स 1 प्रतिशत के बीच हुई। इसी के अनुरूप डाकघर बचत जमा, सावधि जमा और आवर्ती जमा तथा बचत पत्रों और लोक भविष्य निधि में रकमों पर भी ब्याज की दरों में वृद्धि की गयी। सावधि जमा खातों में जमा करायी जाने वाली रकमों की दरें उनकी परिपक्वता की अवधि के अनुसार, 23 जुलाई से और अधिक बढ़ा दी गयी हैं; 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जमा रकमों के लिये अधिकतम दर 10% है।

2. हाल के वर्षों में सरकार की वित्तीय नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि विकासात्मक और विकास-भिन्न, इन दोनों प्रकार के खर्चों के लिए अधिक कर लगा कर बाजार से अधिक ऋण लेकर, छोटी बचतों से अधिक रकम एकत्रित करके इस ढंग से साधन जुटाये जांये जिससे मूल्य वृद्धि न हो। साथ ही, घाटे की वित्तव्यवस्था पर रोक लगाने के

विचार से सरकारी खर्च में कमी करने के उपाय भी किये गये। जिन विशिष्ट क्षेत्रों में आयोजना-भिन्न खर्चों में कटौतियां की गयी है वे इस प्रकार हैं: आकस्मिक व्यय और यात्रा भत्तों में कमी; ऐसी गैर कार्यात्मिक इमारतों के निर्माण को रोकना जो अभी कुर्सी (प्लिथ) के स्तर से आगे नहीं बनी है; नये पदों के निर्माण पर प्रतिबंध और ऐसे पदों को न भरना जो छ: महीनों से अधिक अवधि से भरे न गए हों, अफसरों के बारी-बारी से होने वाले तबादलों का स्थगन विभागीय मोटरगाड़ियों की पेट्रोल की खपत में कमी; टेलीफोन कालों में कमी; आवभगत और विदेश यात्रा के खर्च में कमी; सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों में कटौती; सम्मेलन आदि के आयोजन के खर्च में कमी; अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिये कम से कम नियंत्रण दिया जाना विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को यह कहा जाना कि वे अपने नियंत्रण के अधीन काम करने वाले सरकारी उपक्रमों को यह निर्देश दे कि वे अपना काम कुशलता से चला कर अधिक आंतरिक साधन उत्पन्न करें और इस प्रकार अपनी नकद हानियों को कम से कम रखें ताकि इस कारण जो बजट व्यवस्था की जाती है उसमें कटौती की जा सके।

3. 1972 में जो एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वह था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों को दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा समाप्त कर दी। मई, 1972 के शुरू में किसी भी राज्य को, सात कार्यदिवसों की अस्थायी अवधि को छोड़ कर रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने की अनुमति नहीं दी जाती। घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करने के लिए उठाये गये एक बड़े कदम के रूप में, सरकार ने अगस्त, 1973 में अपने (आयोजना गत और आयोजना-भिन्न) खर्च में 400 करोड़ रुपये की कटौती करने का फैसला किया लेकिन साथ ही इस बात का सुनिश्चियन करने के लिये सावधानी बरती कि धन की कमी के कारण बुनियादी महत्व की परियोजनाओं और ऐसी परियोजनाओं पर बुरा असर न पड़े जिन्हें पूरा करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है। इस के अलावा 1974-75 के बजट में घाटे की वित्तव्यवस्था केवल 125 करोड़ रुपये तक सीमित कर दी गयी और इस सीमा को बनाये रखने के लिये पूरी पूरी कोशिश की जा रही है।

4. हाल में ही सरकार ने अर्थव्यवस्था में से अधिक भुगतान साधनों (लिक्विडिटी) को खींचने के लिए कई कदम उठाये हैं जो निम्नलिखित हैं:

(i) मजदूरियों और वेतनों में होनी वाली वृद्धियों को एक वर्ष तक के लिए और 6 जुलाई, 1974 के बाद देय महंगाई भत्ते की आधी राशि को दो वर्ष तक चलन में आने से रोकना (ii) कम्पनियों द्वारा लाभांशों के वितरण पर प्रतिबंध और (iii) ऐसे सभी करदाताओं द्वारा अनिवार्य जमा जो व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार या निजी स्वैच्छिक ट्रस्टों के ट्रस्टी है और जिनकी कृषि-भिन्न और कृषि से प्राप्त आय, यदि कोई हो, 15000 रुपये वार्षिक से अधिक हो। इस प्रकार की जमा की जाने वाली रकमें भी चलन में नहीं आएंगी और बजट साधन के रूप में सरकार को भी 15000 प्राप्त नहीं होंगी।

5. इन वित्तीय और मुद्रा संबंधी उपायों के अलावा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए और भी कदम उठाये गये। अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि को रोकने और उनका वितरण, खास तौर से समाज के कमजोर वर्गों में, उचित ढंग से करने के लिये प्रशासनिक नियंत्रण किये गये। जहां भी संभव हुआ दोहरी मूल्य नीति अपनायी गयी। जैसे कि चीनी के मामले में किया गया था। वितरण की कुशल प्रणाली तैयार करने के लिये योजना आयोग ने एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसकी सरकार जांच कर रही है। कृषि की उपज और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये तथा जहां तक सम्भव हुआ देश में उपलब्ध माल की मात्रा में विदेश से माल मंगाकर वृद्धि करने के लिये भी कई उपाय किये गये। जून, 1974 में एक अध्यादेश इस उद्देश्य से जारी किया गया

ताकि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों को कारगर ढंग से लागू करने की पक्की व्यवस्था की जा सके जिससे कि आम लोगों की खपत में आने वाली मुख्य चीजों जैसे अनाज, खाद्य तेल और तिलहन, दवाओं और सूती और ऊनी कपड़े आदि की जमाखोरी और मुनाफा-खोरी से निपटा जा सके।

इंडियन एयरलाइंस में बिना काम के कर्मचारी

801. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स को प्रति दिन 5 लाख रुपये की हानि हो रही है;

(ख) क्या कर्मचारियों की अधिक संख्या के कारण इंडियन एयरलाइन्स में 5 से 6 हजार कर्मचारी बिना काम के हैं;

(ग) यदि हां, तो इस हानि के कारण क्या हैं; और

(घ) हानि को आगे रोकने के लिये तथा फालतू श्रम बल तथा कर्मचारियों का उपयोग करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ग) इंडियन एयरलाइंस ने अनुमान लगाया है कि विमानन टरबाइन ईंधन के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि के कारण उन्हें 1974-75 के दौरान 16.5 करोड़ रुपए की हानि होगी। इसका मतलब यह होगा कि प्रतिदिन लगभग 4.52 लाख रुपए की हानि होगी।

(ख) अपव्ययी कार्य प्रणालियों को समाप्त करने के लिए कई उपाय किये जाने के परिणामस्वरुप स्वीकृत संख्या को कुछ विभागों में पर्याप्त समझा गया है जबकि कुछ अन्य विभागों में आवश्यकता से अधिक पाया गया है। ऐसी अधिमात्र संख्या की मात्रा का "संगठन, एवं प्रणाली दल" नाम की एक उच्चाधिकार समिति द्वारा मुल्यांकन किया जा रहा है। फालतू कर्मचारियों को भविष्य के विस्तार कार्यक्रम में खपा लिया जाएगा।

(घ) इंडियन एयरलाइंस ने अपने वाइकाउंट तथा डाकोटा विमानों को, जिनकी परिचालनान्मक लागत असह्य थी, क्रमश: सेवा से निकाल दिया है। उन्होंने कई स्टेशनों के लिए सेवाएं रद्द कर दी हैं तथा कुछ अन्य स्टेशनों के लिए आवृत्तियों में कमी कर दी है। जहां कहीं सम्भव हुआ है खर्चे में कमी करने के उपाय भी किये गये हैं। हानियों की पूर्ति करने अथवा उन पर काबू पाने के लिए भी कुछ अन्य ऊपाय किए जा रहे हैं।

देश में वित्त निगमों का कार्यकरण

802. **श्री एम० कत्तामुत्तु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय देश में अनेक वित्त निगम बन गये हैं जो जनता से पर्याप्त धन उधार लेते हैं और ब्याज की बहुत ऊंची दरों पर कर्मचारियों को उधार दे देते हैं तथा उस धन का उपयोग आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) लिमिटेड कम्पनियां कितनी रकम जमा के लिए स्वीकार कर सकती हैं, इस विषय पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934 के अन्तर्गत आदेश जारी कर रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। बैंकिंग कमीशन ने "वित्तीय कम्पनियों/निगमों" के कार्य की समीक्षा कर इन कम्पनियों पर नियंत्रण की वर्तमान योजना के ढांचे को फिर से तैयार करने के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर विचार करने पर सरकार ने सिद्धान्त रुप से निर्णय किया है कि सभी अनिगमित गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा जमा के लिए रकमें स्वीकार करने पर पाबन्दी लगाने के लिए संविधिक शक्तियां प्राप्त की जांए और उनके अंतर्गत वर्तमान नियमों और आदेशों को मजबूत किया जाय। इस विषय की गहराई से जांच करने और आगे की कार्रवाई के लिए खास तौर पर सिफारिशें करने के विचार से रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन दल का गठन किया है जिसका काम अभी जारी है।

कपड़े के निर्यात में कमी

803. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान कपड़े के निर्यात में अत्याधिक कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें तथा कारण क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हालांकि अप्रैल, 1974 से सूती वस्त्रों के निर्यात की दर में पूर्ववर्ती तिमाही में हुए निर्यातों के मुकाबले गिरावट आई है। फिर भी जनवरी-जून, 1974 में लगभग 118.96 करोड़ रु० के सूती वस्त्रों के निर्यात हुए जबकि वर्ष 1973 की उसी अवधि में 78.79 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे।

(ख) सूती वस्त्रों की अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलु कीमतों के बीच अन्तर प्रमुखतः भारत में रुई की कीमतें अपेक्षाकृत ऊंची होने के कारण है जिससे हमारे उत्पाद अप्रतियोगी हो जाते हैं, विभिन्न देशों द्वारा भारी भंडार जमा होने और मुद्रास्फीती रोकने के उपायों के परिणाम-स्वरुप खरीद में कमी किये जाने से हाल ही के महीनों में सूती वस्त्रों के हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

OVERDRAFTS BY STATES

804. **Shri Purushottam Kakodkar:**

Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amounts advanced at present by Reserve Bank of India through overdrafts to the various State Governments;

(b) the minimum and maximum limits for drawing amounts through overdrafts by State Governments; and

(c) Government's future scheme and policy in regard to not allowing drawal through overdrafts over the maximum limit?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) As on 20th Juy, 1974 only the Government of Bihar was running an overdraft of Rs. 36·89 crores with the Reserve Bank.

(b) & (c) Under the procedure evolved in consultation with the Planning Commission and the Reserve Bank of India and which has come into effect from 1st May, 1972, no State is allowed to use overdraft as a budgetary resource. There is no change in the Government's policy in this regard.

दक्षिण दिल्ली में चल रहे प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कारखाने द्वारा आयकर न दिया जाना

805. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि गत पांच वर्षों के दौरान संघ दक्षिण दिल्ली में प्लास्टिक का सामान बनाने वाले लगभग 1000 कारखाने चल रहे हैं; और

(ख) क्या प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कारखानों के मालिक कोई बिक्री कर तथा आय कर सरकार को नहीं देते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) दक्षिण दिल्ली स्थित ग्यारह प्लास्टिक औद्योगिक, यूनिटों पर आय-कर लगाया जा रहा है। ऐसे भी कुछ व्यक्ति है जिनके पास एक या दो छोटी मशीनें हैं, जो उजरत के आधार पर कार्य करते हैं तथा उनकी आय आय-कर लगने योग्य नहीं मालूम होती।

जहां तक बिक्री कर का सम्बन्ध है, फिलहाल दक्षिण दिल्ली के दो प्लास्टिक निर्माताओं के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग में कार्यवाही चल रही है। बिक्री कर की अदायगी नहीं किये जाने का कोई अन्य मामला जानकारी में नहीं आया है। वह विभाग जांच भी कर रहा है और यदि कोई व्यापारी ऐसा पाया गया जिसने अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

इंडियन एयरलाइन्स में अपव्यय को रोकने में प्राप्त सफलता

806. **श्री भान सिंह भौरा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने गत वर्ष निगम में अपव्यय सम्बन्धी श्रम प्रथाओं को समाप्त करने तथा उन्हें कम करने के लिए कोई प्रयास किए थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफलता मिली है, तो उसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) अपव्ययी कार्य प्रणालियों को समाप्त करने के परिणामस्वरुप हुए सुधारों की कु विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(i) अनुशासन तथा उपस्थिति के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है;

(ii) 1973-74 के लिये समयोपरि भत्ता 382 लाख रुपये (बजट में निर्धारित) से घट कर 264 लाख रुपये पर आ गया है। 1974-75 में यह व्यय 30 लाख रुपये होने की संभावना है;

(iii) कैलेंडर वर्ष 1973 के कार्य निष्पादन की तुलना में जोकि अधिकतम 45.16 प्रतिशत था, 1974 के पहले पांच महीनों में यह 64.77 प्रतिशत हो गया है;

(iv) उड़ान कर्मीदल के मामले में रात्रि विश्रामों की संख्या, जोकि तालाबंदी से पहले प्रणाली अनुसार प्रतिदिन 35 थी, 18-3-74 के पश्चात् जब से नई अनुसूची लागू की गयी थी, घटा कर प्रतिदिन 12 कर दी गयी है; और

(v) कर्मचारियों की वर्तमान मानक संख्या को कई विभागों में पर्याप्त समझा गया है तथा अन्य विभागों में कुछ फालतू कर्मचारियों का पता चला है। फालतू कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है।

भारत और सेनेगल के बीच व्यापार समझौता

807. **श्री भानसिंह भौरा : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेनेगल के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत तथा सेनेगल के बीच एक पंचवर्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देश व्यापार की जिन मदों के लिये सहमत हुये थे, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत और सेनेगल के बीच एक व्यापार करार पर 22 मई 1974 को हस्ताक्षर हुए करार को जनता के सामने लाने तथा उसे प्रवृत्त करने से पहले उसे अपनी अपनी सरकारों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

Seizures of Silver from A truck in Delhi

808. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Laxminarayan Pandeya :

Shri M. C. Daga :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether silver slabs in substantial quantity were seized from a truck in Delhi in the second fortnight of May, 1974; and

(b) if so, the value in Indian currency of the silver seized and the number of persons against whom action was taken indicating the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) On 26th May, 1974, Customs authorities in Delhi seized 150 slabs of silver weighing about 4,500 kgs. from a truck intercepted near Filmistan Cinema in Delhi. The truck worth about Rs. 1 lakh was also seized.

(b) The approximate value of the seized silver in Indian currency was Rs 54 lakhs. 4 persons have so far been arrested and subsequently released on bail by the magistrate. Further investigations are in progress.

Loss Suffered by Ministries on Various Services performed by them

809. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether his Ministry had asked all the Union Ministries and Departments to give a report by the last week of June, 1974 after making a detailed study, on the possibilities of reducing the loss being suffered by them on the various services being rendered by them?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : In order to effect maximum possible economies in Governmental expenditure in the context of the highly inflationary situation prevailing in the economy, Ministry of Finance has requested all the Ministries/Departments of the Government of India to undertake an immediate review of all cases of subsidies, including grants/loans on account of cash losses, repayment and interest payment liabilities of the public sector undertakings. The object of the exercise is to identify to what extent such subsidies can be eliminated or reduced to the minimum. The review is being expedited.

प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

810. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख वस्तुओं के निर्यात की योजना में कुछ गड़बड़ी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गयी है कि योजना को कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी नहीं। इसके विपरित वर्ष 1973-74 के दौरान निर्यातों की हमारी बहुत सी प्रमुख वस्तुओं के निर्यात उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों को पार कर गये हैं। कोई सुधारात्मक कार्यवाही तो आवश्यक नहीं है, फिर भी सरकार की यह नीति है कि उन सभी वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाया जाए जिनकी सम्भाव्यता मौजूद है और जिनके विषय में घरेलू मांग में अनुचित अवरोध पैदा किये बिना जिस देशी माल का सृजन किया जा सकता है।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा बोनस की मांग

811. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड के कर्मचारी बोनस की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) रबड़ बोर्ड के कर्मचारी बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत बोनस पाने के हकदार नहीं हैं।

केरल को वित्तीय सहायता

812. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की राज्य सरकार ने उस वित्तिय सहायता को जारी रखने के लिये अभ्यावेदन दिया है जो उस राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये वर्ष 1973-74 के दौरान दी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा केरल राज्य को कितनी सहायता दी गयी है तथा आदिवासी क्षेत्रों में कितना राहत कार्य किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केरल राज्य की सरकार को 1973-74 में राहत कार्यों के लिये जो वित्तीय सहायता दी गयी थी उसे जारी रखने के लिए उसने केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए यह सवाल नहीं होता।

केरल में पर्यटन स्थलों का विकास

813. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केरल में पर्यटक स्थलों के विकास के लिये, योजनावार, चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा खर्च की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में केरल में पर्यटन योजनाओं पर 145.83 लाख रुपये व्यय किये गये। योजनावार व्यय नीचे दिया गया है :--

योजना का नाम	अनुमोदित राशि	व्यय की गई राशि
	(लाख रुपयों में)	
पर्यटन विभाग		
1. त्रिवेन्द्रम में युवा होस्टल . . .	2.85	0.94
2. कोवालम का विकास . .	31.81	31.81
भारत पर्यटन विकास निगम		
3. कोवालम होटल (4-स्टार)	115.00	73.77
4. कोवालम ग्रोव (कुटीरें) . .	20.00	39.31
	169.66	145.83

पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा धन का नियतन

814. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी का निवेश करने के लिये कुछ धन का नियतन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसने 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान केरल के पिछड़े क्षेत्रों में कितनी कितनी राशि का निवेश किया गया है; और

(ग) 1974-75 के दौरान इन क्षेत्रों में और किन किन विशेष परियोजनाओं पर यह पूंजी निवेश करना चाहता है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। राज्यों में जीवन बीमा निगम के अधिकांश निवेश विभिन्न राज्य स्तरीय अभिकरणों के माध्यम से किये जाते हैं और वे ही इस बारे में निर्णय कर सकते हैं कि जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध किये गये धन में से राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में कितना धन खर्च किया जाना चाहिये।

(ख) तथा (ग) जीवन बीमा निगम ने 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान केरल में निम्नलिखित रकमों का निवेश किया है :

	लाख रुपयों में
1971-72	1197
1972-73	1325
1973-74	1341†
1974-75	अभी उपलब्ध नहीं है।

Export of Coffee

815. **Shri Ramavtar Shstri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for export of coffee during 1974-755; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the amount of foreign exchange to be earned therefrom?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) The estimated export of coffee during the fiscal year 1974-75 will be of the order of 55,500 tonnes valued at Rs. 48·00 crores, however, depending on unit value realised.

मुद्रा सप्लाई में कमी करने के बारे में अर्थ शास्त्रियों द्वारा दिए गए सुझाव

816. **श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अर्थशास्त्रीयों ने सरकार को सुझाव दिया है कि जमा राशि को बाहर न निकलने देकर तथा अधिक मूल्य के नोटों के बदले बांड जारी करके मुद्रा सप्लाई में लगभग 25 प्रतिशत तक कटौती की जाये;

(ख) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वोरा एण्ड कम्पनी बम्बई-2 द्वारा प्रकाशित "सप्लीमेंट टू दि अकानॉमिस्टस इंटाइटिल्डस में सेमिबोम्बोला—जून 1974" में अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा सप्लाई में स्थायीत्व लाने के लिए जिन तरीकों का सुझाव दिया है, सरकार उनसे सहमत नहीं है।

सोना रखने की अधिकतम सीमा

817. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पति पत्नी के लिये 10 तोला सोने और कन्या के लिए 5 तोला सोने की अधिकतम सीमा निर्धारित करके, जैसा कि योजना आयोग ने सुझाव दिया है, सामाजिक सुधार लाया जायेगा तथा देश में गम्भीर आर्थिक स्थिति का मुकाबला किया जा सकेगा।

†इस रकम की लेखा-परीक्षा होनी है।

(ख) इस तरीके से सरकार द्वारा रुपये में कितने मूल्य का सोना एकत्र किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या देश में चोरी-छिपे लाया गया लगभग 7000 करोड रुपये का सारा सोना बाहर आ जायेगा; और

(घ) यदि हां तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि कोई कानून लागू होने से पूर्व भारत में पहले ही चोरी-छिपे से लाया गया सोना पुनः चोरी छिपे बाहर न चला जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) प्रति परिवार 10 तोले तथा प्रति कन्या 5 तोले सोने की अधिकतम सीमा लागू करने के लिये योजना राज्य मंत्री द्वारा दिया गया सुझाव विचाराधीन है। इस प्रक्रिया द्वारा जो रकम एवं सोने का मूल्य उपलब्ध होगा वह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति के पास रहनेवाली अतिरिक्त मात्रा को कैसे एकत्र किया जाता है।

चम्बल परियोजना के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता

818. **श्री राज सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चम्बल परियोजना के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई तथा उस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारत और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बीच 19 जून 1974 को चम्बल सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना के लिए लगभग 39 करोड़ रुपये (5.2 करोड़ अमरीकी डालर) के ऋण के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस ऋण की रकम का उपयोग, राजस्थान राज्य के चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई सुविधाओं, सड़क सुधार, वनरोपण और भूमि-कटाव नियंत्रण उर्वरक मंगाने, जालीय घातपात नियंत्रण, फार्म पर खेती विकास के संबंध में कर्मचारियों के प्रशिक्षण जलविज्ञान अध्ययन, तालाओं को बनाये रखने और उनके इस्तेमाल नालियों की डिजाइन, फार्म पर तामीरी के काम पर किये जाने वाले निर्माण पर किया जायगा। इस ऋण पर 7.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा। यह ऋण 30 वर्षों में, जिसमें 7 वर्षों की रियायती अवधि शामिल है वापस चुकाया जाना है।

पालम (दिल्ली) के निकट होटल के निर्माण का प्रस्ताव

819. **श्री राम कंवर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पालन के निकट सरकारी क्षेत्र में एक और होटल का निर्माण करने का है;

(ख) क्या प्रस्तावित परियोजना के ब्यौरे को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसका काम कब तक आरम्भ हो जाएगा तथा इसमें कुल कितना धन लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता

820. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अरब देशों से प्राप्त आयातित अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरुप उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त सहायता देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी अतिरिक्त सहायता की मांग की है, और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत ने मई 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 23.5 करोड़ डालर (221.40 करोड़ रुपये) के एस० डी० आर० विभिन्न मुद्राओं में निकाले। यह रकम तेल और दूसरी वस्तुओं तथा उपकरणों की कीमतें बढ़ जाने के कारण पैदा होने वाली स्थिति को देखते हुए निकाली गयी।

पश्चिम यूरोपीय देशों में भारतीय बुनती वाले उनी कपड़ों की काफी मांग

821. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम यूरोपीय देशों में भारतीय बुनती वाले ऊनी कपड़ों की व्यापक मांग है और इन उत्पादों की इतनी अधिक मांग है कि इनका निर्यात बढ़ाया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने बुनाई वाले ऊनी कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के बारे में किये गये मुख्य सुझावों में से कौन-कौन से सुझाव स्वीकार किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मौजूदा मामूली निर्यातों को देखते हुए पश्चिमी युरोपीय बाजारों में भारतीय ऊनी निटवियर के लिए भारी गुंजाइश है। किंतु यह बाजार सुरुचिसम्पन्न और फैशन के विषय में काफी जागरूक है और उत्पादन का वर्तमान पैटर्न अभी उस दिशा के अनुरूप नहीं है।

(ख) तथा (ग) सरकार ऊनी निटवियर के निर्यातक एककों के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित सुझावों पर विचार कर रही है।

चाय निर्यात अभियान

822. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई चाय निर्यात अभियान आरम्भ किया है;

(ख) क्या इस बारे में कोई प्रतिनिधिमंडल विदेश भी भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) चाय का निर्यात बढ़ाने के विचार से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) 1 मार्च, 1970 से चाय पर निर्यात शुल्क की समाप्ति।

(2) 15 अप्रैल, 1970 से, निर्यात करते समय कीमतों के अनुसार उत्पादन शुल्क में विविधरूपी छूट।

(3) विभिन्न परम्परागत तथा नये बाजारों को भारतीय चाय के निर्यात की और अधिक संभाव्यताएं बनाने हेतु लन्दन, न्यूयार्क, काहिरा, ब्रुसेल्स तथा सिडनी में स्थापित चाय बोर्ड के कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक कार्य कलाप।

(4) स्थानीय ब्लैण्डरों/पैकरों के सहयोग से विदेशों में कुछ चुने हुए बाजारों में भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन।

(5) विदेशों में प्रचार के समुचित माध्यमों द्वारा विज्ञापन।

(6) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(7) चाय के हित का संवर्धन करने हेतु व्यापारियों तथा विशेषज्ञों के दौरों का आदान-प्रदान।

(8) पैकेटवाली तथा ब्लण्डेड चाय के निर्यात हेतु सरकारी क्षेत्र में एक चाय व्यापार निगम की स्थापना।

(9) अन्य अमादक पेयों की तुलना में एक पेय के रूप में चाय की खपत बढ़ाने हेतु अन्य चाय उत्पादक देशों तथा आयातक देशों में स्थानीय चाय व्यापार के साथ मिल कर सामान्य संवर्धन में भाग लेना।

2. भारतीय चाय की मांग के स्वरुप का अनुमान लगाने हेतु एक त्रिसदस्यीय, प्रतिनिधि मण्डल ने मार्च-अप्रैल, 1974 में अफ्रीकी देशों अर्थात एल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा लीबिया का दौरा किया। मोरोक्को तथा एल्जीरिया में मुख्यतया हरी चाय की मांग है। ट्यूनीशिया तथा लीबिया प्रमुखतः काली चाय के बाजार हैं। चाय उत्पादकों तथा निर्यात व्यापार, जिसमें भारतीय चाय व्यापार निगम भी शामिल है, के सहयोग से अनुवर्ती कार्यवाही की गई है

Purchase of Jute by J.C.I. in Bihar

823. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether the Forbesganj Branch of Jute Corporation of India in Bihar State had shown high handedness towards the jute producers while purchasing jute;

(b) whether the officials of the said Corporation purchased jute from the big businessmen instead of purchasing direct from the farmers and it happened almost in all the Centres of Bihar, and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No complaint of high handedness having been shown by Forbesganj Branch of Jute Corporation of India has been received.

(b) & (c) According to the instructions of the Jute Corporation of India, the Departmental Purchase Centres are to buy jute only from the growers failing which from small farias and not from the traders. Certain complaints about purchase from the traders at Forbesganj and Murliganj were received, on the Jute Corporation is taking appropriate action.

साबरीमाला (केरल) का विकास

824. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकारने दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध तीर्थयात्री केन्द्र साबरीमाला के विकास के हेतु केन्द्रीय सहायता देने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) केरल सरकार के इस अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) परिसीमित साधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के कारण, साबरीमाला में तीर्थाटन सुविधाओं का विकास केन्द्रीय क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है, विशेषतया इस लिये भी कि यह मुख्यतया राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। साबरीमाला में तीर्थ यात्रियों के लिये आवास तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये "केरल पर्यटन विकास निगम" की पांचवीं योजना में 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बिलों/चैकों का भुगतान रोकने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया को जारी किये गये निदेश

825. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसकी सहायक बैंकों को केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बिलों/चैकों का भुगतान रोक देने के निदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से तैयार की गयी प्रक्रिया के अन्तर्गत जो पहली मई, 1972 से लागू है कोई भी राज्य लगातार सात दिन से अधिक ओवरड्राफ्ट नहीं ले सकता। चूंकि केरल सरकार लगातार ओवरड्राफ्ट लिये जा रही थी इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक की हिदायतों के अनुसार राज्य सरकारों की ओर से की जाने वाली अदायगियों 4 मई, 1974 से रोक दी गयी थी लेकिन ओवरड्राफ्ट का हिसाब साफ कर दिये जाने के बाद 8 मई, 1974 से फिर अदायगियां शुरू कर दी गयी थीं।

सरकारी वाहनों का प्रयोग करने पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागाध्यक्षों तथा अन्य कार्मिकों पर प्रतिबंध

826. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर स्पिरिट और स्नेहकों के मूल्यों में भारी वृद्धि के बाद सरकारी वाहनोंका प्रयोग करने पर अथवा सरकारी खर्च पर वाहनों का प्रयोग करने पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागाध्यक्षों तथा अन्य कार्मिकों पर क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं;

(ख) क्या इस कारण व्यय में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो प्रतिमास कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस बारे में क्या मितव्ययता की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) स्टाफ कार नियमों की और अधिक कड़ाई से लागू करने के अलावा, अगस्त, 1973 में मंत्रालयों को अनुदेश दिये गये थे कि जिन स्टाफ कारों तथा अन्य विभागीय वाहनों का प्रचालन संबंधी प्रयोजनों के लिए अथवा क्षेत्रीय कार्यों के लिये इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनमें वे पेट्रोल का उपभोग, वर्ष 1972-73 के दौरान खर्च की गई पेट्रोल की मात्रा के 75 प्रतिशत तक सीमित कर दें। किन्तु, वर्ष 1973-74 के दौरान, यह उपभोग 85 प्रतिशत तक ही सीमित किया जाना था क्योंकि यह प्रतिबंध केवल वर्ष के एक भाग तक ही लागू होना था। तथापि, विभिन्न प्रकार की अपरिहार्य मांगों के कारण समग्र व्यय को नियंत्रित करने में एक अनिश्चितता का तत्व अंतर्निहित है; और मेलों, सम्मेलनों, विदेशी प्रतिनिधिमण्डल को यात्रा जैसी विशेष क्रियाओं को इन अनुदेशों से बाहर रखने की प्रकल्पना स्वयं आदेशों में ही की गई है। आदेशों के जारी किए जाने के बाद पेट्रोल तथा चिकनाने वाले तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि भी हुई है।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के लिए विभिन्न मंत्रालयों / विभागों की स्टाफ कारों के संबंध में उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़ों से प्रकट होता है कि अगस्त, 1973 में लगाये गये मात्रात्मक प्रतिबंध का कुल मिलाकर अनुपालन किया गया है। वर्ष 1972-73 की तुलना में वर्ष 1973-74 के दौरान लगभग 1.40 लाख लिटर पैट्रोल की अनुमानित बचत हुई है। यदि यह बचत न की जाती तो वर्ष 1973-74 में पेट्रोल पर हुए कुल व्यय में, लगभग 5.51 लाख रुपये की वृद्धि हो गई होती, किंतु उल्लिखित आदेशों के परिणाम स्वरुप व्यय में होने वाली वृद्धि पर काबू पाना तथा इसे 2.41 लाख रुपये (अथवा प्रति माह लगभग 20,000 रु०) तक सीमित करना संभव हो सका है।

करो की बकाया राशि

827. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर अपवंचन न्यूनतम करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) 30 जून, 1974 तक करों की बकाया राशि कितनी थी;

(ग) बड़े पैमाने पर कर अपवंचन के लिये उत्तरदायी कराधान उपायों, कानूनों और अन्य व्यवस्थाओं में त्रुटियों को दूर करने के लिये और क्या उपाय किये जायेंगे; और

(घ) चालू वर्ष में 30 जून 1974 तक करो की कितनी बकाया राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार कर अपवंचन को रोकने के लिए बहुत से उपाय करती रही है। विधायी पक्ष में, कानून की खामियों को दूर करने तथा विभागीय तन्त्र को मजबूत करने के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों में कई संशोधन किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा हाल ही में किये गये विधायी उपायों में से कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार है—न्यून मूल्यांकित अचल सम्पत्तियों को अभिग्रहण करने का अधिकार, बेनामी कारोबार को रोकने का उपबन्ध, और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा लागू मूल्यांकन तन्त्र को मजबूत बनाने के उपाय, कर-प्रयोजनों के लिए कृषि जन्य आय तथा कृषि भिन्न आय को आंशिक रूप से मिलाना जो वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा लागू किया गया तथा कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा किये गये प्रस्ताव, जो संसद की प्रवर समिति के समक्ष हैं। प्रशासनिक पक्ष में, तलाशी तथा माल पकड़ने और सर्वेक्षण की तथा इस्तगासे की कार्यवाहियां को तेज कर दिया गया है। आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के आसूचना एककों को मजबूत किया जा रहा है। कुछ बड़े औद्योगिक गृहों के मामलों की जांच के लिए एक विशेष कक्ष भी स्थापित किया गया है।

(ख) 30 जून, 1974 को आय कर (निगम कर सहित), धन कर, दान कर तथा सम्पदा शुल्क की बकाया रकमों के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु इन करों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

	सकल बकाया रकमें	शुद्ध बकाया रकमें
	(करोड़ रुपयों में)	
आयकर (निगम कर सहित)	815.70	471.45
धन कर . .	29.37	18.13
दान कर . .	3.65	2.07
सम्पदा कर	15.86	9.51

(ग) कर कानूनों की खामियों को दूर करने के लिए तथा प्राधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने के लिए कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 1973 में, जो संसद की प्रवर समिति के समक्ष है बहुत से उपबन्ध निहित हैं जिससे कर अपवंचन को अधिक कारगर रूप से रोका जा सके।

(घ) अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कर की बकाया रकमों तथा चालू मांग में से चालू वित्तीय वर्ष में 30 जून 1974 तक हुई वसूलियां निम्न प्रकार से हैं :

	करोड़ रुपयों में
आय कर (निगम कर सहित) . . .	137.30
धन कर . . .	2.11
दान कर	0.75
सम्पदा शुल्क . .	1.70

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार के लिए पैरिस में बैठक

828. **श्री मधु दंडवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विशेषज्ञों की 9 मई, 1974 को पैरिस में हुई बैठक में विश्व मुद्रा प्रणाली में एक अन्तरिम सुधार किए जाने के प्रस्ताव पर व्यापक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली और तत्सम्बन्धी मामलों के गवर्नरों के बोर्ड के सहायकों (बीस देशों की समिति) की बैठक 7-9 मई, 1974 को पैरिस में हुई जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी सुधार की रूप रेखा के संशोधित मसौदे पर विचार किया गया ताकि उसे निर्णय के लिए उक्त बीस देशों की समिति

को प्रस्तुत किया जा सके। उक्त समिति की छटी और अन्तिम बैठक 12-13 जून, 1974 को वाशिंगटन में हुई। इस बैठक में उक्त समिति सुधारो के प्रस्तावों पर सहमत हो गयी जिसकी मुख्य-मुख्य बातें बैठक के अन्त में जारी की गई विज्ञप्ति में दी गई है। इस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8062/74]**

काले धन का पता लगाने के उपाय

829. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियो, राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों, संसद सदस्यों और मंत्रियों सहित प्रत्येक व्यक्ति, कम्पनी के बैंक, होटल आदि स्थानों पर रखे सभी लाकरों को सील करने का प्रस्ताव है जिससे काले धन, लेखा बाहृय धन तथा चोरी-छिपे लाया गया और निर्धारित सीमा से अधिक सोना नियंत्रित किया जा सके;

(ख) क्या सरकार का काले धन को रोकने हेतु 100 रुपये के मुद्रानोटो का विमुद्रीकरण करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार कानून बना कर सोने पर और कड़ा नियंत्रण लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) लाकरों की सीलबन्दी तथा तलाशी केवल तभी की जा सकती है जब यह विश्वास करने के लिए कोई कारण हो कि इन लाकरों में तस्करी का माल, निर्धारित सीमा से अधिक सोना अथवा अघोषित आय परिसम्पत्तियां रखी गयी है। ऐसे स्थानों का पता लगाने के लिए सूचना इकट्ठी करने तथा उनकी तलाशी लेने के जोरदार प्रयत्न लगातार किये जाते हैं। सरकार यह नहीं समझती कि काले धन को रोकने का सही हल विमुद्रीकरण से उपलब्ध हो जायेगा क्योंकि काला धन विभिन्न रूपों में रखा जाता है, जैसे नकदी, सोना चांदी, वास्तविक सम्पदा आदि। फिलहाल ऐसा समझा जाता है कि सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियन्त्रण) तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक (संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में किये गये संशोधनों से स्वर्ण नियन्त्रण कानून को पर्याप्त बल मिला है

आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था

830. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य जन को व्यापक वितरण व्यवस्था के जरिए उचित नियंत्रित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से विशिष्ट निर्णय किये गये है; और

(ख) क्या वेतन के स्थिरीकरण को सफल बनाने के लिये एक प्रभावी तरीके के रूप में मूल्यों को स्थिर बनाये रखने के बारे में सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं; और

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) देश के गरीब तथा कमजोर वर्गों को अनाज कपड़े की नियन्त्रित किस्में, चीनी और मिट्टी का तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से लोक वितरण व्यवस्था को हाल के वर्षों में बनाये रखा गया है और समय-समय पर उसे और भी सुदृढ़ किया गया है।

(ख) सरकार ने वेतन स्थिरीकरण (वेजफ्रीज) अथवा मूल्य स्थिरीकरण (प्राईजफ्रीज) के बारे में विचार नहीं किया है।

मकान किराए की रसीदों की छूट के लिये निर्धारित राशि की सीमा बढ़ाना

831. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान किराए की रसीदों की छूट के लिए निर्धारित राशि की सीमा बढ़ा दी गई है ताकि कम से कम नए वेतनमानों में प्रति मास 1,000 रुपये तक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं तथा उनके हितो को संरक्षण देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) संशोधित वेतन मानों में 750 रु० तक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी किराये की रसीदें पेश किये बिना मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हैं। 750 रु० से ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारी उस स्थिति में मकान किराया भत्ता प्राप्त कर सकते हैं, यदि उनके द्वारा वस्तुत: अदा किये गये किराये से इसका औचित्य सिद्ध होता हो।

चूंकि मकान किराया भत्ते का आशय सरकारी कर्मचारियों को उस ऊंचे किराये के लिए आंशिक रूप से मुआवजा देना है जो उन्हें किराये के आवासीय मकानों के लिए देना पड़ता है, इसलिए अदा किये गये किराये के सत्यापन की आवश्यकता उस योजना में ही निहित है। वस्तुत: तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि मकान के किराये की रसीदों का सत्यापन अनिवार्य बना दिया जाय। किन्तु, सरकार ने एक विनिर्दिष्ट वेतन-स्तर तक किराया रसीदों को देखे बगैर मकान किराया भत्ता प्रदान करने की पुरानी परिपाठी जारी रखने का निर्णय किया है और इस प्रयोजन के लिए 750 रु० की वेतन सीमा निर्धारित की गई है, जो मोटे तौर पर 620 रु० की पुरानी सीमा के अनुरूप है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के व्यापारियों को ऋण

832. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (एक) खाद्यान्न व्यापारियों (दो) वनस्पति व्यापारियों (तीन) चीनी व्यापारियों (चार) तिलहन व्यापारियों (पांच) तेल मिलरों और (छ:) चावल और गेहूं मिलरों को राज्यवार दिये गये ऋणों के अद्यतन आंकड़े क्या हैं;

(ख) बैंकों द्वारा किसानो को राज्यवार दिये गये ऋणों के अद्यतन आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या छोटे किसानो को ऋण देने के लिए सावधानी बरती गयी है; और

(घ) यदि हां, तो बड़े तथा छोटे किसानों को दिये गये ऋणों के आंकड़े क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के चयनात्मक ऋण नियंत्रणो के अन्तर्गत संवेदनशील वस्तुओं के लिए 29 मार्च, 1974 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना विवरण I में दी गई है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8063/74]**

(ख) विभिन्न राज्यों में कृषि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा दिसम्बर 1973 तक सीधे दिये ऋणों की बकाया रकम विवरण ii में दी गई है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8063/74]**

(ग) और (घ) कृषि के लिए अग्रिम देते समय सरकारी क्षेत्र के बैंक छोटे किसानों की जरूरतों का उचित ध्यान रखते हैं, जैसा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को सीधे दिये गये अग्रिमों के विवरण iii के जोतवार आंकड़ों से स्पष्ट होता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8063/74]**

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को अनुग्रह-अनुदान देना

833. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और "पश्चिमी पाकिस्तान" से आये भारतीय निष्क्रान्त व्यक्तियों द्वारा अपनी सम्पत्तियों को "शत्रु सम्पत्ति" घोषित कर दिये जाने के कारण अनुग्रह-अनुदान के बारें में किये गये दावों के लिए अतिरिक्त राशि दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो दोनों क्षेत्रों के दावाकर्ताओं के स्वीकृत (एक) अतिरिक्त और (दो) कुल दावे की राशि के नवीनतम आंकड़ों के बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) दोनों क्षेत्रों के अनिर्णित दावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके दावों को पूरा करने में अतिरिक्त विलम्ब से बचने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है और इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जिन भारतीयों राष्ट्रिकों/कम्पनियों ने भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति गंवा दी थी उन्हें मार्च, 74 से अनुग्रह अनुदान के रूप में 22.15 लाख रु० की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अब तक उन्हें दिया गया कुल अनुग्रह अनुदान 2,07,39,000 रु० है। इसी प्रकार, पश्चिम पाकिस्तान से आये दावेदारों को मार्च, 74 से 7.81 लाख रु० का भुगतान किया जा चुका है और उन्हें दिया गया कुल अनुग्रह अनुदान, 1,26,21,000 रु० है।

(ग) लगभग 4500 आवेदन पत्र विचार हेतु लम्बित हैं जिनमें से 80 प्रतिशत पूर्व पाकिस्तान से आये दावेदारों के हैं और 20 प्रतिशत पश्चिम पाकिस्तान से।

(घ) जो दावेदार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं उनके लिए ऐसे दावों की शीघ्रतापूर्वक जांच करने के प्रयोजनार्थ एक पैनल स्थापित किया गया है।

कलकत्ता हवाई अड्डे से जाने वाली कलकत्ता हवाई अड्डे पर आने वाली तथा वहां से होकर जाने वाली आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में सुधार

834. **श्री समर गुह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे से जाने वाली तथा कलकत्ता हवाई अड्डे पर आने वाली और वहां से होकर जाने वाली आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कलकत्ता से दिल्ली आने जाने वाली तथा कलकत्ता से पूर्वी क्षेत्रों में अन्य स्थानों को जाने वाली उड़ानें उक्त क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो सेवाओं में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कलकत्ता को, कलकत्ता होते हुये अथवा कलकत्ता से परिचालित उड़ानों की संख्या में 18 प्रति सप्ताह की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) कलकत्ता व दिल्ली के बीच की उड़ानों को वर्तमान यातयात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त समझा गया है। इंडियन एयरलाइन्स को पूर्वी क्षेत्र में सर्दियों में और अधिक वहनक्षमता तथा कुछ नई सेवाओं की व्यवस्था करने की आशा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये रिक्त पद

835. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा क्लर्कों तथा अधिकारियों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार चुने गये थे;

(ख) क्या प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्कों तथा अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा भरा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास भर्ती के सम्बन्ध में सब से ताजा उपलब्ध जानकारी 1973 के कैलेंडर वर्ष की है और यह संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) बैंकों ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए निर्धारित कोटा इन जातियों से उचित उम्मीदवार के न मिलने के कारण नहीं भरा जा सका।

(ग) नौकरियों में इन जातियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने बैंकों निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा है :—

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए निचले स्तर की अर्हताएं तथा अर्हता के मानक निर्धारित करना;

(2) भर्ती के लिए दिये गये विज्ञापन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए निर्धारित प्रतिशतताओं के बारे में स्पष्ट उल्लेख करना;

(3) जब कभी भी बड़े पैमाने पर भर्ती की जाय तो भर्ती के बाद निदेशक-मण्डल के सम्मुख एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें बैंक द्वारा भर्ती किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के भर्ती किये गये उम्मीदवारों की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता में कमी, यदि कोई हो, और कोटा पूरा न किया गया हो तो उसके कारण दिये जायें।

(4) सरकार की हिदायतों के अनुसार आरक्षित पदों के लिए खाली जगहों का व्यापक प्रचार करना;

(5) बैंकों को यह हिदायत भी की गयी है कि वे अपने कार्यालयों को सलाह दें कि वे भर्ती सम्बन्धी परीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के भर्तीपूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ सम्पर्क स्थापित किया करें; और

(6) खाली जगहों को भरने के लिए उम्मीदवारों के बारे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्य में लगी संस्थाओं/विशेष संगठनों को उचित नाम भेजने के लिए कहा करें।

कुछ बैंकों ने केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए विशेष भर्ती की है।

विवरण

जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक की अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत विवरण

बैंक का नाम	अधिकारी	लिपिक
1. सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया	..	104
2. बैंक आफ इंडिया	6	139
3. पंजाब नेशनल बैंक	7	145
4. बैंक आफ बड़ौदा	4	409
5. यूनाइटिड कमर्शियल बैंक	11	44
6. केनरा बैंक	5	131
7. यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया	4	49
8. देना बैंक	..	140
9. सिण्डीकेट बैंक	1	169
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया	10	113
11. इलाहाबाद बैंक	..	47
12. इण्डियन बैंक	15	170
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	1	25
14. इंडियन ओवरसीज बैंक	19	139
जोड़	83	1824

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेश मण्डल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

836. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशकों के नाम क्या है ;

(ख) प्रत्येक बैंक के लिए निदेशक मण्डल का संगठन किस तिथि को किया गया तथा किस तिथि को इसका पुनर्गठन किया जायेगा ;

(ग) क्या इन बैंकों के निदेशक मण्डल में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधित्व है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में ऐसे प्रतिनिधियों के नाम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रत्येक बैंक के मौजूदा निदेशकों के नाम अनुबन्ध "क" में दिये गये है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8064/74]**

(ख) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रत्येक बैंक के निदेशक मण्डल का गठन 11 दिसम्बर 1972 को पहली बार राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबन्ध) योजना, 1970 के खण्ड 3 के उपबन्धों के अनुसरण में किया गया था । योजना में इस बात की व्यवस्था है कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मण्डल में नियुक्त रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के अधिकारी तब तक उस पद पर काम करेंगे जब तक केन्द्रीय सरकार की इच्छा हो, प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबन्ध निदेशक के पद की अवधि पांच साल से ज्यादा नहीं होगी और यह केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मामले में निश्चय करेगी और बाकी निदेशक तीन साल से ज्यादा अवधि तक उस पद पर काम नहीं करेंगे। अतः विभिन्न निदेशकों की पदावधि अलग अलग है और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बोर्ड एक ही वक्त में पुनर्गठित नहीं किया जाएगा । जैसे और जब निदेशक की कार्य अवधि खतम होने वाली हो अथवा किसी के जीवित न रहने या इस्तीफा आदि देने के कारण जगह खाली हो जाए तो केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना के उपबन्धों के अनुसार ऐसे खाली पदों के भरने के प्रश्न पर विचार किया जाता है ।

(ग) और (घ) जी, हां । विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के मौजूदा निदेशकों के नाम अनबन्ध "ख" में दिये गये है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8064/74]**

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

837. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे और अधिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है जिनकी परिसम्पत्तियां 50 करोड़ रुपये से अधिक है ; और

(ख) उन बैंकों के नाम क्या है जिनका राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ?

(ख) यह सवाल नहीं होता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

838. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कितना है ; और

(ख) इनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 15 प्रतिशत तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में 31-12-73 को स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8065/74]**

(ख) सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को निम्नलिखित विशेष उपाय करने का परामर्श दिया है :—

(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए योग्यता और अर्हता का अपेक्षाकृत नीचा मानदण्ड निर्धारित करना ;

(2) अधीनस्थ कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्तियां केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों में से करना ;

(3) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की भर्ती के लिए तय की गयी प्रतिशतताओं का विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करना ;

(4) सरकार की हिदायतों के अनुसार आरक्षित पदों का व्यापक रूप से प्रचार करना ;

(5) हर बड़ी भर्ती के बाद निदेशक बोर्ड के सम्मुख एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें यह बताया गया हो कि बैंक द्वारा भर्ती किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है और उनकी प्रतिशतता में, यदि कोई कमी हुई है तो कितनी हुई है तथा वे कारण बताये गये हों कि पूरा कोटा क्यों नहीं भरा गया;

(6) बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे अपने भर्ती कार्यालयों को हिदायत करें कि वे भर्ती संबंधी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए खोले गए विभिन्न राज्यों में भर्तीपूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्पर्क स्थापित करें ;

(7) बैंकों को कहा गया है कि वे आरक्षित पदों की सूचना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कल्याण कार्यों में लगी संस्थाओं/विशेष संगठनों को दें और उनसे अनुरोध करें कि वे योग्य उम्मीदवारों को भेजें ।

बैंकों की सेवाओं में इन जातियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ बैंकों ने केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों में से ही विशेष रूप से उम्मीदवार भर्ती किये हैं ।

छूट राज सहायता योजना वापिस लिये जाने के सम्बन्ध में हथकरघा बुनकरों द्वारा दिया गया ज्ञापन

839. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेस ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ छूट राज सहायता योजना (रिबेट सबसीडी स्कीम) वापिस लिये जाने का अनुरोध किया गया है जिसका कागज सहकारी समितियों तथा भ्रष्ट अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेस द्वारा दिए गए प्रस्तावों तथा सुझाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस समय किस चरण पर इन पर विचार हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां । इस संबंध में सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ख) हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा कपड़े की बिक्री पर दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में इमदाद राज्य सरकारें अपने वार्षिक योजना परिव्यय में से देती हैं । इसलिए छूट संबंधी इमदाद के वापिस लेने के प्रश्न पर विचार करना तथा इस योजना के लिए नियत निधि का अन्य हथकरघा विकास योजनाओं के लिए उपयोग करना राज्य सरकारों का काम है । किन्तु, हथकरघा के बारे में उच्च-शक्ति अध्ययन टीम द्वारा जिन प्रश्नों पर विचार किया गया है उनमें से यह एक प्रश्न है तथा टीम की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा ।

आबंटन में कटौती का भारतीय पर्यटन विकास निगम के विकास संबंधी योजनाओं पर प्रभाव

840. श्री धामनकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास संबंधी आबंटन में कटौती करने के परिणामस्वरूप भारतीय पर्यटन विकास निगम के विकास संबंधी योजनाओं पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन योजनाओं को स्थगित किया जा रहा है तथा आबंटन में कटौती करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) साधनों के सीमित होने के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का बजट आबंटन काफी कम कर दिया गया है । परिणामत: चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली कुछ प्रस्तावित स्कीमों को आस्थगित कर दिया गया है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना

841. श्री धामनकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के प्रश्न पर गहराई से विचार करने तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिये एक राष्ट्रीय नीति निश्चित करने हेतु एक समिति की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : फिलहाल सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विभिन्न उद्योगों तथा केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को ऋण दिया जाना

842. श्री वयालार रवि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विभिन्न उद्योगों तथा केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को कुल कितनी राशि दी है ; और

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके लिए केरल से ऋण के लिए आवेदन-पत्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास अनिर्णित पड़े हैं तथा उन पर निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) सम्भवतः सूचना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा केरल में औद्योगिक कम्पनियों को दी गयी वित्तीय सहायता के बारे में मांगी गयी है पिछले तीन वित्त वर्षों अर्थात् 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने केरल में विभिन्न औद्योगिक कम्पनियों को जो वित्तीय सहायता स्वीकृत की और वितरीत को उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च)	वित्तीय सहायता	
	स्वीकृत	वितरित†
1971-72 .	267.94	168.37
1972-73 . . .	698.12	241.92
1973-74 . . .	337.61	398.24
जोड़ .	1303.67	808.53

उपर्युक्त वित्तीय सहायता में से केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित प्रवर्धित पांच औद्योगि इकाइयों को सीधे स्वीकृत की गयी तथा वितरित की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वित वर्ष (अप्रैल-मार्च)	वित्तीय सहायता	
	स्वीकृत	वितरित †
1971-72 . . .	80.00	8.00
1972-73 . . .	73.70	7.88
1973-74 . . .	25.00	103.09
जोड़ .	178.70	118.97

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8066/74]**

†वितरित की गई रकमों में पहले की स्वीकृतियों के सम्बन्ध में किये गये भुगतान भी शामिल है ।

इलैक्ट्रानिक उपकरणों का निर्यात

843. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश से इलैक्ट्रानिक उपकरणों का निर्यात बहुत बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि हम बहुत कम लागत पर ऐसे उद्योगों के विकास के लिए केरल राज्य में विद्यमान अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठायें; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा पहले ही की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इलैक्ट्रानिक उपस्करों के निर्यात में वृद्धि का रुख है। 1972-73 के दौरान हुए 4.69 करोड़ रु० के निर्यातों की तुलना में 73-74 का अनुमानित निष्पादन 9.21 करोड़ रु० का है। इलैक्ट्रानिक माल का निर्यात एक उपर्युक्त स्वदेशी उत्पादन आधार पर निर्भर करता है। निर्यात नीति के संबंध में विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है जैसे कि प्रौद्योगिकी स्तर, कच्चा माल प्राप्यता, श्रम संबंधी प्रभार, उत्पादन की कुल लागत आदि।

केरल सरकार ने राज्य में इलैक्ट्रानिक उद्योगों के संवर्धन हेतु एक इलैक्ट्रानिक विकास निगम की स्थापना की है। निगम को बहुत सी किस्म के इलैक्ट्रानिक संघटक/उपस्कर के विनिर्माण के लिए अनेक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं। इन एककों में से कुछ निर्यात अभिमुख होंगे। इस निगम को अनुसंधान तथा विकास एकक के रूप में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में पंजीकृत भी किया गया है।

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

844. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया गया है; और आगामी महीनों में इसके निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ; और

(ख) नई नीति से प्राकृतिक रबड़ का मूल्य स्थिर करने में और छोटे उत्पादकों को कहां तक सहायता मिली है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हाल ही में 3000 मीटरी टन प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया गया है। और अधिक निर्यात के अवसर अच्छे नहीं हैं, क्योंकि प्राकृतिक रबड़ का विश्व बाजार के मूल्य स्वदेशी बाजार के मूल्य से कम हैं ; और

(ख) रबड़ के छोटे उत्पादकों को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य मिल रहा है।

सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी विमानों का उपयोग

845. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के अधिकारी विदेशों में जाते हुए अनेक बार एयर इंडिया विमान सेवाओं का उपयोग न कर विदेशी विमान सेवाओं का उपयोग करते हैं; और

(ख) क्या विदेशी विमान कम्पनियां यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अवैध रूप से भारी रियायत देती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) ऐसे निर्देश विद्यमान हैं कि विदेश जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को यथा संभव एयर-इण्डिया की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए । तथापि, जिन स्थानों के लिए एयर-इण्डिया अपनी सेवाएं परिचालित नहीं करते अथवा जब एयर-इण्डिया की सेवाओं पर सीटें पहले ही बुक हो चुकी हों तो विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा यात्रा करने की अनुमति दे दी जाती है ।

(ख) ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां यातायात को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये अनुमोदित किरायों में अनुचित रुप से कटौती करती हैं ।

पांचवीं योजना में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

846. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग को वर्ष 1971-72 और 1972-73 में कुछ लाभ हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये योजनायें तैयार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) पर्यटन विभाग एक वाणिज्यिक उद्यम नहीं है । ऐसे वाणिज्यिक कार्य भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए जाते हैं जोकि भारत सरकार द्वारा गठित एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है । इस निगम ने 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान (ग्रेच्युटी रिजर्व से पूर्व) क्रमशः 1.69 लाख रुपए तथा 29.64 लाख रुपए का लाभ कमाया ।

(ख) जी, हां ।

पुस्तकों का निर्यात उचित माध्यम द्वारा करने संबंधी योजना

847. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकों का निर्यात उचित माध्यम से करने सम्बन्धी योजना में कोई ठोस प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पुस्तकों का निर्यात मार्गीकृत करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन एयर लाइन्स में 'एयर बस' सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव

848. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स में, 'ए 300 यूरोपियन एयर बस' सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विमान प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयर-लाइंस के विमान-बेड़े की अभिवृद्धि करने के लिए खरीदे जाने वाले अतिरिक्त विमानों के प्रकार तथा संख्या के प्रश्न की जांच की जा रही है, तथा इस प्रक्रिया के दौरान अन्य विमानों के साथ-साथ ए 300-बी जैसे चौडी-बाडी वाले विमानों का भी अध्ययन किया जायगा ।

दिल्ली में सोना पकड़ा जाना

849. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक साहूकार के घर से 5 लाख रुपये की कीमत का सोना पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(ग) क्या देश में अन्य लोगों के पास गैर-कानूनी रूप से छिपा सोना पकड़ने के तरीकों का पता करने के लिये एक जांच समिति की स्थापना की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दिल्ली में एक व्यक्ति के निवास स्थान से 2 जुलाई, 1974 को स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 4,64,430 रु० मूल्य के कुल 86,500 ग्राम शुद्ध सोना तथा 14,309.000 ग्राम सोने के आभूषण पकड़े गये थे । अब तक की गयी पूछताछ से यह संकेत नहीं मिलता कि यह व्यक्ति महाजनी का काम करनेवाला है ।

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

850. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से नया ऋण प्राप्त होगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता भारत को कब तक प्राप्त होने की संभावना है ;

(ग) उक्त ऋण का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जायेगा; और

(घ) राजस्थान में उक्त ऋण का कितना हिस्सा व्यय किया जायेगा और वह राशि किन विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (घ) संभवत: माननीय सदस्य का संकेत, राजस्थान की दोनों परियोजनाओं अर्थात्, चम्बल सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना और राजस्थान नहर सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना के लिए भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मांगी गयी सहायता की ओर है । पहली परियोजना के लिए 3.39 करोड़ रुपये (5 करोड़ 20 लाख अमरीकी डालर) के एक ऋण के लिए 19 जून, 1974 को बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे । इस ऋण की रकम का उपयोग राजस्थान राज्य के चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्र (जो कोटा और बुन्दी जिलों में पड़ता है) में मौजूदा सिंचाई सुविधाओं, सड़क सुधार, वनरोपण और भूमि कटाव नियंत्रण, उर्वरक प्राप्ति, जलीय घास-पात नियंत्रण, फार्म पर उसके विकास के संबंध में कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जलविज्ञान अध्ययन, तालाबों के बनाये रखने और उनके इस्तेमाल , नालियों की डिजाइन और फार्म पर तामीरी के काम के निर्माण पर किया जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, दूसरी परियोजना के लिए लगभग 62.25 करोड़ रुपये (8.30 करोड़ अमरीकी डालर) का ऋण देने के लिए राजी हो गया है। किन्तु ऋणकरार पर अभी हस्ताक्षर किये जाने हैं। इस ऋण की रकम का उपयोग, राजस्थान नहर परियोजना के सिंचाई क्षेत्र (जो गंगानगर जिले में पड़ता है) में भूमि विकास, नहरों के भीतरी किनारों पर अस्तर देने, वनरोपण, सड़क निर्माण, उर्वरक प्राप्ति, सफाई के लिए जलपूर्ति की व्यवस्था के निर्माण, सहायक सेवाओं की व्यवस्था, कृषि-अनुसंधान और विस्तार को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जायेगा। आशा है कि यह परियोजना, 30 जून, 1980 तक पूरी हो जायेगी।

अकाल राहत कार्यों के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता

851. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को अकाल की स्थिति का मकाबला करने के लिये दी गई वित्तीय सहायता और अनुदानों का अद्यतन ब्यौरा क्या है ;

(ख) राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य कोष से कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) क्या राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में स्थायी किस्म के कुछ विकास कार्य किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त योजनाओं पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) राजस्थान सरकार को सूखा तथा बाढ़ से राहत पाने के सम्बन्ध में खर्च के लिए 1972-73 और 1973-74 में कुल 49.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गयी थी जिसमें से 17.62 करोड़ रुपया अनुदान के रुप में तथा 31.88 करोड़ रुपया ऋण के रुप में है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उसने 1972-73 और 1973-74 में सूखा सहायता कार्यों पर 58.14 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उसने 1972-73 और 1973-74 में केवल सहायता कार्यों पर ही कुल 48.95 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। राज्य सरकार ने सूखा कार्यों के बारे में जो स्थायी प्रकार के कार्य हाथ में लिये हैं उनकी मुख्य मदें ये थीं--राजस्थान नहर परियोजना, लघु सिंचाई, वन पालन, भू-संरक्षण, कुओं का गहरा करने, नलकूप आदि की खुदाई के काम में अतिरिक्त लोगों को रोजगार उपलब्ध करांना।

विदेशों में कॉफी का निर्यात

852. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेटिन अमरीकी देशों ने विदेशों को कॉफी का निर्यात बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों को कॉफी का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) समाचार है कि कुछ लेटिन अमरीकी देशों ने कॉफी के निर्यात इस आधार पर बन्द करने का विनिश्चय किया है की काफी की कीमतें गिर रही हैं ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जा रही है और कीमत की पर्याप्तता से संगत रहते हुए भारत से कॉफी के निर्यात बढ़ाने के लिए हर कोशिश की जाएगी ।

ब्रिटेन को चाय के निर्यात में गिरावट

853. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान ब्रिटेन को चाय का निर्यात स्थिर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चाय के निर्यात में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) किस देश/देशों से भारतीय चाय को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) ब्रिटेन को चाय का निर्यात बढ़ाने हेतु उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(1) ब्रिटेन में प्रमुख पैकरों द्वारा बेचे जाने वाले प्रमुख रूप से भारतीय चाय ब्लेंडों का संवर्धन करने हेतु ब्रिटेन स्थित उक्त पैकरों के साथ मिलकर संयुक्त संवर्धनात्मक योजनाएं आरंभ की गई है ।

(2) लंदन चाय केन्द्र को एक संवर्धनात्मक केन्द्र के रूप में और अधिक उत्पादक बनाने हेतु उसका पुनः सुधार करने के विचार से एक सलाहकार की नियुक्ति ।

(3) राष्ट्रमण्डल-सचिवालय से कहा गया है कि वे चुने हुए बाजारों, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, चाय-संवर्धन का लागत-लाभ-अध्ययन करने की परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था करें ।

हाल के कुछ महिनों में लन्दन में हुई नीलामियों में भारतीय चाय की कीमतों में पर्याप्त वृद्धी हुई है और आशा की जाती है कि इससे, ब्रिटेन को निर्यात किये गये चाय से और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होगी । अन्य उत्पादक देशों के साथ मिलकर मिले-जुले प्रयास भी किये जा रहे हैं ।

(ग) भारतीय चाय को अन्य चाय उत्पादक देशों जैसे कि श्रीलंका, केन्या तथा इंडोनेशिया से प्रतियोगिता करनी होती है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बचत बैंक अधिनियम, सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, आय बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम के अधीन प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं ।

सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाक घर बचत बैंक (तीसरा संशोधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 506 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) डाक घर बचत बैंक (चौथा संशोधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 530 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) डाक घर बचत बैंक (पांचवां संशोधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 584 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) डाक घर बचत बैंक (छठा संशोधन) नियम, 1974, जो भारत राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 735 में प्रकाशित हुए थ ।

(पांच) डाक घर बचत बैंक (सातवां संशोधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 736 में में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये। दखिए संख्या एल० टी० 8046/74]

सरकारी बचत-प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत प्रमाण-पत्र (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 737 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 8047/74]**

सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 1535 जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जून, 1974 में प्रकाशित हुआ था ।

9—21 LSS/74

(दो) सां० आ० 1660 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सां० आ० 771 (ङ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 8048/74]

सामान्य सीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्त करण तथा पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 (अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति) जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 326(ङ) तथा दिनांक 29 जून, 1974 के भारत के राजपत्र (हिन्दी संस्करण) में सां० आ० 1607 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 8049/74]**

भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 62 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सहायक बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) नियम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 400 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 8050/74]**

आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 388 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 389(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 8051/74]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक एक प्रति :—

(एक) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यक्रम तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) युनाइटेड कर्मशियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छ) कनारा बैंक के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) सिन्डिकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) यूनियन बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) इन्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्संबंधी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 8052/74]

मन्त्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 39	चौथा सत्र, 1968
(दो) विवरण संख्या 34 . . .	पांचवां सत्र, 1968
(तीन) विवरण संख्या 35 . . .	सातवां सत्र, 1969
(चार) विवरण संख्या 35 . . .	आठवां सत्र, 1969
(पांच) विवरण संख्या 35 . . .	नवां सत्र, 1969
(छ:) विवरण संख्या 38	दसवां सत्र, 1970
(सात) विवरण संख्या 24	ग्यारहवां सत्र, 1970
(आठ) विवरण संख्या 28 . . .	बारहवां सत्र, 1970

पांचवी लोक सभा

(नौ) विवरण संख्या 30 . . .	दूसरा सत्र, 1971
(दस) विवरण संख्या 20 . . .	तीसरा सत्र, 1971
(ग्यारह) विवरण संख्या 21 . .	चौथा सत्र, 1972
(बारह) विवरण संख्या 15 . .	पांचवां सत्र, 1972
(तेरह) विवरण संख्या 13 . .	छटा सत्र, 1972
(चौदह) विवरण संख्या 14 . . .	सातवां सत्र, 1973
(पंद्रह) विवरण संख्या 8	आठवां सत्र, 1973
(सोलह) विवरण सख्या 6	नौवां सत्र, 1973
(सत्रह) विवरण संख्या 3, 4 और 5 . . .	दसवां सत्र, 1974

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8053/74**]

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, the Committee on Government Assurances had given its ruling some months back that the assurances given by the Government must be implemented within three months. I had asked a question on 1st August last year and it was stated in response to that question that the information was being collected. I again asked that question on 21st of November, 1973. It was stated then that the information is very voluminous and it was being collected. The question was asked initially on 1st of August, 1973 and complete one year has elapsed since then. I would most humbly request you, Sir, that you should give strict direction that unless permitted by the speaker, all the assuarnces must be implemented within three months. You may extend this period, if you think that more time is absolutely necessary.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : पिछले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर रात डेढ़ बजे तक चर्चा हुई थी, उस वक्त उन रेल कर्मचारियों की समस्या पर प्रकाश डाला गया था, जिनकी नौकरी समाप्त कर दी गई थी या जिन्हें जेल की सजा दी गई थी। तब रेल मंत्री ने यह स्पष्ट और दृढ आश्वासन दिया था कि रेल कर्मचारियों को परेशान नहीं किया

जायेगा। सामान्य स्थिति को फिरसे लाने के लिए सर्वसम्मत्ति से हड़ताल 28 मई, को वापस ले ली गई थी। हमें कल परसों पता चला कि उन आश्वासनों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप रेल मन्त्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहें कि आश्वासनों को पूरा क्यों नहीं किया गया। मैं संसदीय कार्य मन्त्री से भी अनुरोध करूंगा कि वह मन्त्री महोदय को हमारी भावनाओं से अवगत करायें।

Shri Madhu Limaye : Sir, you have not given your ruling on the issue raised by me?

Mr. Speaker : I would have to give a thought to it first.

श्री के० रघुरमैया : किसी मन्त्री विशेष के बारे में प्रश्न होने से उसे स्थगित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम तीन महीने की अवधि मे आश्वासनों को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं, परन्तु कुछ मामलों में यह सम्भव नहीं हो पाता। हम ऐसे मामलों मे शीघ्र कार्यवाही करने का ध्यान रखेंगे।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 22 जुलाई, 1974 की अपनी बैठक में भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 23 जुलाई 1974 की अपनी बैठक में रामपुर रजा पुस्तकालय विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रुप में
BILL, AS PASSED BY RAJYA SABHA

महासचिव: श्रीमान्जी मैं निम्नलिखित विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1974

(2) रामपुर रजा पुस्तकालय, विधेयक, 1974

अविलंबीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में आदिवासियों पर अत्याचार के समाचार

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर गृह मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में आदिवासियों को अपनी कृषि भूमि से जबरन बेदखल किये जाने तथा उन पर पुलिस अत्याचार का समाचार"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार धूलिया जिले की दो बन डिवीजनों में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। 15 जुलाई, 1974 को इन दो बन डिवीजनों में लगभग 7719 एकड़ बन भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया था। बन विभाग द्वारा उस क्षेत्र को खाली करने के सभी प्रयास असफल रहे। अतः वन विभाग ने राज्य आरक्षित पुलिस की सहायता से 2023 एकड़ भूमि खाली करवा ली। अनाधिकार प्रवेश आवासीय उद्देश्य के लिए नहीं था और इसलिए किसी भी आदिवासी परिवार को उसके निवास स्थान से बेदखल नहीं किया गया। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि राज्य आरक्षित पुलिस द्वारा दमन की कार्यवाही का समाचार निराधार है। राज्य सरकार उन लोगों के लिए, जिन्होंने वनभूमि में अनाधिकार प्रवेश किया है, रोजगार तथा जीविका जमीन की व्यवस्था कर रही है। उस क्षेत्र में सड़क निर्माण, भू संरक्षण, वनरोपण आदि की 21 लाख रुपये की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

सरकार को इस क्षेत्र में आदिवासी लोगों की भूमि के हस्तांतरण की समस्या का पता है। राज्य सरकार ने हमे सूचित किया है कि वह महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता को समुचित ढंग से संशोधन करने का विचार कर रही है ताकि आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा हो सके।

पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में धरग्राम क्षेत्र के आदिवासी लोगों को उनकी कृषि भूमि से बेदखल करने के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी प्रेषित करें।

श्री मधु दण्डवते : महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के बेदखल किये जाने और उन पर पुलिस के अभुतपूर्व अत्याचार और दमन से जो गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है, उसका माननीय मंत्री के वक्तव्य से पता नहीं चलता। महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों जैसे चंद्रपुर जिला और धुलिया जिले में आदिवासियों का गम्भीर आन्दोलन चल रहा है।

26 अप्रैल, 1974 को विषय 377 के अधीन महाराष्ट्र के विदर्भ जिले के मानिकगढ़ में आदिवासियों, हरिजनों और अन्य जनजातियों पर अत्याचार का मामला उठाया था। उस समय मैंने यह मांग की थी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के केन्द्रीय आयुक्त उस क्षेत्र के आदिवासी, हरिजनों के आन्दोलन का मौके पर जाकर अध्ययन करें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति को भी मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए।

उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि श्री दण्डवते ने बहुत रचनात्मक सुझाव दिया है। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का उल्लेख किया है। आयुक्त को कुछ जिम्मेदारियां हैं और उन्हे अपना काम करना चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने मौके पर जाकर जांच की। मुझे अफसोस है कि मंत्री महोदय ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त से सम्पर्क करने को कोई परवाह नहीं की है। अगर उन्होंने आयुक्त से सम्पर्क किया होता, तो वह सदन में इस प्रकार का गलत वक्तव्य नहीं देते।

16 जुलाई, 1974 के नागपूर टाइम्स के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने चन्द्रपूर जिले के मानिकगढ़ क्षेत्र की वनभूमि से तथाकथित अवैध

गब्जा करने वाले व्यक्तियों को बेदखल करने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय की आलोचना की। श्री माने ने कहा कि इस प्रश्न पर माननीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। श्री माने ने कहा कि 2068 परिवार उस भूमि पर रहते हैं, जो 51 ग्रामों में हैं। इनमें से 617 परिवार अनुसूचित जातियों के हैं, 12 अनुसूचित जनजातियों के और 543 अन्य आदिम जातियों के हैं। सरकार ने स्कूलों, कुंओं, पंचायतों आदि की व्यवस्था करके उन्हें बस्तुतः मान्यता दे रखी है और मतदाता सूचियों में उनके नाम दर्ज हैं। जंगल के ठेकेदारों ने जंगलात को वन अधिकारियों की सांठ-गांठ से बरबाद कर दिया था। वहां वे लोग तो बाद में बसे।

एक वन अधिकारी जब एक झोंपड़ी को उजाड़ने गया, तो उसने एक गर्भवती महिला को घसीटा। इसके परिणामस्वरूप वह औरत और नवजात शिशु दोनों की ही मृत्यु हो गयी। एक ट्रक में अनुसूचित जातियों और हरिजनों को भर कर ले जाया जा रहा था, तो एक हरिजन महिला का एक बच्चा ट्रक में नहीं चढ़ पाया। एक वन अधिकारी ने ट्रक से कुद कर अपने बूटों तले रौंद कर उस बच्चे को मार डाला। आन्ध्र सीमा के पास जब उन्हें छोड़ दिया गया, तो एक बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर मर गया।

महाराष्ट्र टाइम्स के विशेष प्रतिनिधि श्री दीनू रणदिवे ने जलाये गये और नष्ट किये गये मकानों के बारे में 17 और 18 जुलाई को दो विशेष लेख लिखे हैं। पुलिस ने जो अत्याचार किये ह, उनका भी उन्होंने ब्यौरा दिया है।

मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि जब इस मामले को नियम 377 के अधीन उठाया गया था, तो फिर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा की गई जांच पड़ताल को सदन के समक्ष क्यों नहीं रखा गया और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने इस समस्या की जांच क्यों नहीं की ?

महाराष्ट्र के धुलिया जिले में समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जबर्दस्त आन्दोलन चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के धुलिया जिले में 4000 आदिवासी परिवारों को 20,000 एकड़ सरकारी वन भूमि से बेदखल किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने दो विशिष्ट तहसीलदारों को नियुक्ति करके आदिवासी क्षेत्र की जमीन के हस्तान्तरण का सर्वेक्षण कराया है, परन्तु उस रिपोर्ट को उन्होंने भेजा नहीं है।

मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि व्यापक जानकारी देने के बजाय संक्षिप्त ब्यौरा उन्होंने क्यों प्रस्तुत किया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से उन्होंने भेंट क्यों नहीं की? क्या वह अगली बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे और क्या उक्त समिति इस मामले की जांच करेगी। अगर सरकार निष्क्रिय रहती है, तो आदिवासी अपने संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे, जब तक उन्हें न्याय की प्राप्ति नहीं हो जाती। पश्चिम बंगाल के बारे में मेरे माननीय मित्र श्री समर गुह समस्या को उठायेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : चन्द्रपुर जिले और कुछ अन्य क्षेत्रों की घटनाओं का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। मेरा वक्तव्य मुख्यतः धुलिया जिले की घटनाओं के बारे में है। यहां मामला उठाये जाने के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने मानिकगढ़ और अन्य आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया था। उनके वहां दौरे के तत्काल बाद मैं उनसे मिला था। मैं आज सुबह भी उनसे मिला

[श्री राम निवास मिर्धा]

था। हम घटनाओं से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं। श्री माने ने मुख्य मन्त्री को एक पत्र लिखा है। एक संयुक्त समिति की मीटिंग के सिलसिले में जब मैं बम्बई गया तब मैंने वहाँ के अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा की थी कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या वैधानिक, प्रशासनिक और अन्य उपाय जरूरी है। जैसा कि मैंने अपने विवरण पत्र में बताया कि आदिवासियों से गैर आदिवासियों को भूमि के हस्तान्तरण करने के बारे में भूमिकर कानून में कुछ त्रुटियां थीं। हमें उनसे सूचना मिली है कि वैधानिक त्रुटियों को अध्यादेश जारी करके दूर करने का विचार है।

मैंने उन उपायों का भी उल्लेख किया है, जो निष्कासित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किये जा रहे हैं। हमने उन्हें यह बता दिया है कि अगर उन्हें सरकारी जमीन से निष्कासित किया जाता है, तो वैकल्पिक जमीन और रोजी रोटी का साधन उपलब्ध किया जायेगा।

अत्याचारों के बारे में मैं विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। (**व्यवधान**) पुलिस को भी पीटा गया है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उनसे इस मामले पर फिर बातचीत करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कुछ भी न किया जाये, जिसमें आदिवासियों के स्वाभीमान को चोट पहुंचे। उन्हें सभी प्रकार का संरक्षण दिया जायेगा और उनका पुनर्वास किया जायेगा।

श्री मधु दण्डवते : अध्यक्ष पीठ के निर्देशानुसार मन्त्री महोदय ने आयुक्त की रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। आदिवासियों को इस सदन में सरंक्षण नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय : आप इतने भावुक क्यों हो जाते हैं ? मंत्री महोदय पहले ही कह चुके है कि अधिनियम का संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया जायेगा और प्रत्येक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है।

श्री मधु दण्डवते : मंत्री महोदय कृपया इतना आवश्य बताएं कि जैसाकि उपाध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट रूप से उसका उत्तर दे दिया है।

श्री मधु दण्डवते : सभी सदस्यों की मांग है कि सभा में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

श्री राम निवास मिर्धा : मुझे ज्ञात नहीं है कि उपाध्यक्ष महोदय ने सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बारे में कोई निदेश दिया था। मैं माननीय सदस्यों के इस सुझाव के बारे में कि आयुक्त को घटनास्थल पर जाकर जांच करनी चाहिये, यह बताना चाहता हूं कि आयुक्त समय-समय पर घटनास्थल पर जाकर बहुत से पहलुओं से जांच करता है। तथा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करता है। इस बारे में मैंने आयुक्त से विचार-विमर्श किया है . . . । वह राज्य सरकारों को भी बहुत से पत्र लिखता है। मैं आयुक्त से इस सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श करूंगा कि वह इस घटना का उल्लेख अपने प्रतिवेदन में करें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि आयुक्त की साथ बातचीत की गई है। प्रश्न यह कि इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाये? क्या मंत्री महोदय राज्य सरकार राज्य में नियुक्त आयुक्त तथा सरकार इन सभी के वक्तव्यों को पढ़कर सुनाया करें? क्या ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? मंत्री महोदयने बताया है कि मैंने आयुक्त से सम्पर्क स्थापित किया है। आप इससे अधिक क्या चाहते हैं?

श्री मधु दण्डवते : मेरा कहना यह है कि आयुक्त तथा महाराष्ट्र सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये। सम्भवतः आपने वह वक्तव्य नहीं पढ़ा है। उसमें मानिकगढ़ का उल्लेख तक नहीं है। मानिकगढ़ के बारे में न महाराष्ट्र सरकार के रवैये के बारे में कुछ कहा गया है और न केन्द्रीय सरकार के रवैये के बारे में।

श्री रामनिवास मिर्धा : जैसा कि मैंने कहा है यह वक्तव्य धुलिया के बारे में है क्योंकि मैं समझता था कि माननीय सदस्य सम्भवतः इसी से सम्बन्धित तथ्यों को जानना चाहेंगे। वास्तव में आयुक्त का दौरा मानिगकढ़ के बारे में है न कि धुलिया के बारे में। इसीलिये मैंने कहा था कि आयुक्त ने घटनास्थल का दौरा किया है तथा महाराष्ट्र सरकार से विचार-विमर्श किया है।

श्री समर गुह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह मानिकगढ़ के अत्याचारों के बारे में श्री मधु दण्डवते द्वारा उठाये गये मामले पर आयुक्त से परामर्श करेंगे तथा आयुक्त के साथ किये गये विचार-विमर्श की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत करेंगे? महोदय! आप को याद होगा कि यह प्रस्ताव मंगलवार को स्वीकार किया गया था, यदि सरकार चाहती तो टेलीफोन या तार द्वारा पूरी जानकारी उपलब्ध कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी अपने अधिवेशन में समाजवाद के समर्थन में सराहनीय संकल्प पारित करती है किन्तु वह आदिवासियों का कोई कल्याण नहीं करना चाहती। आदिवासियों की उस क्षेत्र में अत्यन्त दुर्दशा है। झारग्राम क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है तथा यह वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सैंकड़ों आदिवासियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित किये गये नए भूमि अधिनियम के फलस्वरूप वहां के काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है। उनको भूमि समझौता अधिनियम के अन्तर्गत अपने नाम दर्ज नहीं कराने दिया जा रहा है। क्या इस प्रकार उनका कोई कल्याण किया जा सकता है?

आदिवासी 10–15 वर्षों से काश्त कर रहे थे। वन लगाने का बहाना करके इन लोगों को भूमि से वंचित किया जा रहा है। उन्हें पौधे नहीं लगाने दिया जा रहा तथा उनके पौधों को नष्ट किया जा रहा है। उनको कहीं अन्य स्थान पर भी भूमि नही दी जा रहीं है।

मैंने उस दिन कहा था कि इस सम्बन्ध में वहां आन्दोलन हो रहे हैं। अतः क्या सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को यह निदेश देगी कि आदिवासियों को भूमि के लिये अपने नाम लिखाने की अनुमति दी जाए। तथा उनपर पुलिस द्वारा अत्याचार न किया जाये? क्या पश्चिम बंगाल सरकार को यह भी निदेश दिया जाएगा कि जब तक आदिवासियों को वैकल्पिक भूमि न दी जाए तब तक उनसे उनकी यह भूमि न छीनी जाये।

श्री राम निवास मिर्धा : हमने पश्चिम बंगाल सरकार को तार दिया था किन्तु हमें वहां से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। श्री समर गुह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आधार पर हमने पश्चिम बंगाल सरकार को सवेरे टेलिफोन भी किया था। हम इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को जानकारी दे देंगे। राज्य सरकार को इस बात के लिये राजी किया जाएगा कि भूमि सुधार कार्यक्रम को उपयुक्त रूप से लागू किया जाये तथा आदिवासियों के सम्बन्ध में निर्धारित नीति का अनुसरण किया जाये।

Shri M.C. Daga (Pali) : The nature of steps taken by the Government in respect of *Adivasi* cannot be regarded as non-violent. If Government are unable to protect the interest of the *Adivasis* they have every right to protect their interest themselves.

May I know the number of Adivasis who were allotted land and the time by which the remaining Adivasis will be allotted land ? How many Adivasis families have been evicted? May I also know from the hon. Minister whether the Government of Maharashtra will make suitable amendments in the law to facilitate the Adivasis and if so the time by which it is likely to be done? I also want to know the number of *adivasis* who have been given employment so far by the Maharashtra Government?

Shri Ram Niwas Mirdha : It is not possible for me to give details regarding the total land allotted to the Adivasis at this stage. However, the figures in this regard have been given several times in the House. So far as the question of amendments in the land reforms law is concerned the Government of Maharashtra wants to issue an ordinance in this regard through which legal lacunae in the law would be removed shortly.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति से यह जानना चाहता हूं कि वह इस बीच क्या करती रही है?

कुछ माननीय सदस्य : यह समिति **

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नहीं जानता कि यह ** क्या इस समिति ने उन स्थानों का दौरा किया है जहां अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों पर अत्याचार किये गये हैं?

Mr. Speaker : This remark will not go on record.

श्री ज्योतिर्मय बसु : नागरी, तवादपुर और सहाडल नामक तीन स्थानों पर आतंक फैला हुआ है। आदिवासी तीन से 12 वर्षों की अवधि से वहां भूमि जोत रहे हैं तथा सरकार उनसे लगान भी लेती रही है। कांग्रेस सरकार ने अब उन लोगों को वहां से हटाना आरम्भ कर दिया है। उनकी फसल को नष्ट कर दिया गया है। आदिवासियों की महिलाओं के साथ बलात्कार तक किया गया है। इसके साथ-साथ 198 आदिवासियों के विरूद्ध मामले दर्ज किये गये हैं तथा यह प्रचार किया जा रहा है कि वहां एक समानान्तर सरकार स्थापित की गई है। सरकार ने 500 पुलिस वाले तैनात किये हैं जो भारी अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने उनकी झोंपड़ियां गिरा दी हैं तथा 10-12 वर्ष के बच्चों को भी नहीं बख्शा। लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया है। इस प्रकार वहां पर पुलिस राज्य है।

पुरुषोत्तम सेना के रखरखाव के लिये गन्ना उत्पादकों से कर लिया जा रहा है। उन्होंने 12 कमाण्डर, 100 हवल्दार, 1300 वाचमैन आदि भर्ती किये हैं तथा इस सेना पर भारी धनराशि खर्च की जा रही है।

धुलिया (महाराष्ट्र) में लगभग 2,61,000 व्यक्ति भूमिहीन हैं।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार सभा के कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न आदिवासियों की बेदखली के बारे में है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी हां। मैं महाराष्ट्र के आदिवासियों से जबरन कृषि भूमि छीनने के बारे में कह रहा हूं। **(व्यवधान)** क्या धुलिया बंगाल में नहीं है? श्री भागवत झा आझाद जी **(व्यवधान)** क्या धुलिया बंगाल में है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रकार किसी को उत्तेजित नहीं कर सकते। यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री भागवत झा आझाद मेरे मित्र हैं। किन्तु जब उन्होंने कहा कि धुलिया पश्चिम बंगाल में नहीं है तब मैंने उनसे ऐसा कहा।

श्री भागवत झा आजाद : उनके कहने का ढंग अपमानजनक था **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। श्री बसु ने अनावश्यक रूप से उत्तेजना उत्पन्न की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री भागवत झा आझाद मेरे मित्र हैं। यदि उन्होंने इसे मज़ाक के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मुझे इस बात का खेद है।

धुलिया जिले में 37 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है। इस क्षेत्र में भूमिसुधार सम्बन्धी कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया। वहां पर आदिवासियों और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को उनकी भूमि से वंचित किया गया है। अन्य लोगों ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया हैं तथा उसे अपने नाम लिखा लिया है। सत्राकुट में भी बड़े पैमाने पर उन लोगों को उनकी भूमि से वंचित किया गया है। हमारी मांग है कि एस० आर० पी० को वहां से तुरंत वापस बुलाया जाये तथा आदिवासियों को वह भूमि तुरंत वापस दिलाई जाये जिसे वे जोतते आ रहे हैं। कृषि के विकास के लिये उन्हें बीज खाद आदि भी उपलब्ध कराया जाये।

पश्चिम बंगाल के पुरलिया और रानीबन्ध क्षेत्र में आदिवासियों का दमन किया गया है। हजारों आदिवासियों को वहां से हटा दिया गया है तथा उन्हें भिखारी बना दिया गया है। झारग्राम आदि क्षेत्रों में भी उनके साथ यही व्यवहार किया जा रहा है। त्रिपुरा गोमती परियोजना से 15000 व्यक्तियों को हटाया गया है। टाइम्स आफ इण्डिया के सम्बाददाता को अधिकारियों ने केवल इस अपराध में हथकड़ी पहना दी कि उन्होंने आदिवासियों पर हुए अत्याचारों का उद्घाटन कर दिया।

श्री राम निवास मिर्धा : आदिवासी महिला के साथ बलात्कार के आरोप के बारे में राज्य सरकार ने बताया है कि इस बारे में न संबद्ध महिला ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है और न किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी शिकायत की है।

पैरा मिलट्री फोर्स के बारे में महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस सेना को बनने नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने धुलिया के जिला मजिस्ट्रेट को निदेश दिया है कि हथियारों के लिये नये लाइसेंस न दिए जाएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया पुरुषोत्तम सेना के बारे में स्पष्ट उत्तर दीजिये।

श्री राम निवास मिर्धा : राज्य सरकार ने कहा है कि इस सेना को हथियारों के लिये नए लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। भूमि संबंधी कानूनों के प्रस्तावित संशोधनों से वे कठिनाइयां दूर हो जाएंगी जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। जिन व्यक्तियों को सिंचाई परियोजनाओं के कारण हटाया गया है उनको पुनः बसाया जाएगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार 2,023 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया तथा एस० आर० पी० की सहायता से आदिवासियों को वहाँ से हटा दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि किन्तु आदिवासियों को उनके मकानों से नहीं निकाला गया। इन वक्तव्यों में कहां तक न्यायसंगति है? आदिवासी जहाँ खेती करते हैं वहीं अपने मकान भी बना लेते हैं। अतः यह उत्तर असंतोषजनक है।

प्रतिदिन समाचारपत्रों में प्रायः यही समाचार मिलते हैं कि आमुक स्थान पर हरिजनों या आदिवासियों पर अत्याचार किये गये। क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी का यह कथन कि उनको सरकार दिन प्रति दिन मजबूत होती जा रही है इन्हीं उपलब्धियों पर आधारित है?

पश्चिम बंगाल में स्थान-स्थान पर हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस पर लज्जा आनी चाहिये। संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में किसी भी आदिवासी को भूमि नहीं छीनी गई थी किन्तु अब उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

मैं जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिये बनी समिति तथा आयुक्त ने क्या काम किया है? सभा में अनेक बार यह मामला उठा है किन्तु किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये वर्तमान आयुक्त श्री माने की इन जातियों के कल्याण कार्यों में पूरी निष्ठा है। माननीय सदस्यों को वास्तविक स्थिति जाने बिना उनके बारे में कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहना चाहिये। यह जानकारी राज्य सरकार ने दी है कि आदिवासियों से केवल उनकी कृषि भूमि ही खाली कराई गई है न कि उनके मकान भी। यह उनसे सुनिश्चित कर लिया गया था इसलिये उन्होंने हमें सूचना दी थी।

त्रिपुरा के आदिवासी तथा अन्य हरिजनों और जनजातियों के संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें उनकी कठिनाइयों और अत्याचारों को दूर करने के लिए कदम उठा रही हैं।

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक

NATIONAL LIBRARY BILL

(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन की व्यवस्था करने तथा अन्य संबंध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ

(दो) साक्ष

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन तथा अन्य सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि 29 जुलाई, 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य किया जायेगा ।

1. आज की कार्य सूची में से आगे ले जाये गये शेष सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार करना।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना :—

(क) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(ख) तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 ।

(ग) मुख्य पोत न्यास (संशोधन) विधेयक, 1974 ।

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974 पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करना तथा पारित करना।

4. वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974 पर विचार करना तथा पारित करना।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं आपका ध्यान 25 जुलाई के स्टेट्स मैन (कलकत्ता संस्करण) में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। इसम नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है और दो कालम का समाचार भी दिया गया है। इस संबंध में मैं कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से मिला था जिन्होंने नेताजी जांच आयोग के निष्कर्षों को बताने से इन्कार कर दिया था।

मैं नहीं जानता कि श्री खोसला ने शहानवाज खां समिति के निष्कर्षों का समर्थन किया है या नहीं। आश्चर्य है कि श्री खोसला ने जांच आयोग का कार्य करने के साथ साथ प्रधान मंत्री की जीवनी लिखी। वे आयोग के कार्य के संबंध में विदेशों की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री के लिए लिए उपहार लाते रहे, उन्होंने केवल बना-बनाया प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

मुझे विश्वास है कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई है। यह विश्वास करने के लिए मेरे पास अनेक कारण हैं कि नेताजी अभी भी जीवित हैं। मैं आपके द्वारा गृह मंत्री महोदय को अल्टीमेटम रहा हूँ कि वे नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन अगले सप्ताह तक प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मैं ऐसा कदम उठाऊँगा जो संसदीय और तरीके के अनुरुप नहीं होगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में श्यामलाल कालेज के प्रबंधकों द्वारा तीन प्राध्यापकों को कालेज से गैर-कानूनी रूप से मुअत्तल करने से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया है। शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय की सहमति के बिना प्राध्यापकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, परन्तु इस मामले में श्यामलाल कालेज के प्रबन्धक अधिक शक्तिशाली लगते हैं, मैं इस प्रबंधक वर्ग के विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान को गोलमाल करने के बारे में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय को प्रबंधक वर्ग से निपटने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन करने हेतु एक विधेयक भी लाया जाना चाहिए।

श्री पी० के० देव (कालाहंडी) : उड़ीसा में इस महीने वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समय रोपाई की जाती है परन्तु पौधे सूख गए हैं। हीराकुण्ड जलाशय और तालापुर जलाशय में पानी नहीं भरा है जिसके कारण बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है। कृषि श्रमिक अन्य स्थानों को जा रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने यह मामला केन्द्रीय सरकार के साथ उठाया है अतएव एक केन्द्रीय दल वहां स्थिति का आकलन करने हेतु भेजा जाना चाहिए। मंत्री महोदय को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 22 लाख से अधिक कर्मचारियों को चिन्तित कर रखा है। वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक के बढने पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अनुसार मंत्री महोदय इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि 1-5-1974 और 1-6-1974 से महंगाई भत्ते की दो किस्तें सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी। अध्यादेश के लागू होने से पूर्व ही यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों को देय हो गया था। श्री गणेश को यहां घोषित करना चाहिए कि महंगाई भत्ते का शीघ्र भुगतान किया जायेगा तथा उसे अध्यादेश के अन्तर्गत नहीं लाया जायेगा।

दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री महोदय को भविष्य निधि के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण को स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। वित्त मंत्री महोदय को शीघ्र घोषित करना चाहिए कि कर्मचारियों को और मिलने वाला महंगाई भत्ता बिना किसी कटौती के उन्हें दिया जाता रहेगा।

Shri R.R. Sharma (Banda) : Shri B.D. Gupta, a Correspondent of Banda of the statesman who was voicing the cause of harijans, was arrested by the Government under D.I.R. he was not only arrested but was also humiliated.

The hon. Home Minister should make a statement in this regard.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में आयुक्त के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में सभा में तथा सभा के बाहर बहुत चर्चा करते रहते हैं। परन्तु हमने अभी तक 1970-71 के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The labour Minister should make a statement regarding the employee working in Provident Fund office. Previously, the labour Minister accepted the recommendation of Board of Trustees to make a revision of the Pay-scales. But now they are backing out from their assurance. This has been agitating the minds of the employees. I entered into correspondence with the Finance Minister but he is not going beyond the recommendations of the Third Pay Commission. Lastly it is a wrong step to transfer the setting up of tractor factory in Uttar Pradesh from Bihar.

श्री जगन्नाथराव जोशी पीठासीन हुए

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI *in the chair*

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं अहमदाबाद में शोचनीय आवास स्थिति के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। टैक्सटाइल क्षेत्रों तथा विशेषकर ओल्ड चमनपुरा कालोनी में मकानों के दोनों ओर से उच्च शक्ति वाली ग्रीड तारें गुजरती हैं, विशेषकर मानसून के दिनों में

इससे खतरा बना रहता है। अतएव इन तारों को वहां से हटा दिया जाये अथवा लोगों को अपने मकान इस प्रकार बनाने की अनुमति दी जाये जिससे वे खतरे से अपने आपको सुरक्षित रख सकें।

गुलबो टेकरा जैसे क्षेत्रों में लाखों की संख्या में लोग झोपडियों में रह रहे हैं इन लोगों के लिए कोई उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यह वस्तुतः नरक बना हुआ है जहां अनेक वर्षों से आवश्यक सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस समस्या के हल के लिए सरकार को गंदी बस्ती हटाओं बोर्ड को धन देना चाहिए, इसके अतिरिक्त अहमदाबाद के पुराने शहर में रहने वाले लोगों को अपने मकानों की मरम्मत के लिए सीमेंट देना चाहिए ताकि वे अपने जर-जर मकानों की मरम्मत करा सकें। मुझे आशा है कि गुजरात प्रशासन इस दिशा में कदम उठायेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सरकार को शीघ्र ही महंगाई भत्ते के भुगतान के बारे में घोषणा करनी चाहिए। यदि केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया तो राज्य सरकारें भी उनका अनुसरण करेंगी। महंगाई अभी भी बढ़ रही है। श्री के० आर० गणेश को इस संबंध में शीघ्र ही घोषणा करनी चाहिए।

सरकार ने आश्वासन दिया था कि कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक विधेयक लाया जायेगा। मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई विधेयक इस सत्र में लाया जायेगा या नहीं। अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में बिजली की स्थिति बहुत गंभीर है। बड़े, मध्यम तथा बहुत लघु उद्योगपतियों को इससे बड़ी हानि हो रही है। सामान्य उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल रही है। इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार ने कोई तात्कालिक कदम नहीं उठाये हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस संबंध में भी एक वक्तव्य दे।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The famine conditions in eastern India should be discussed here during next week. Starvation deaths are taking place in Assam and Bihar. The hon. Minister should make a statement on this issue. In Bombay those railway workers are not being taken back who were dismissed earlier. This has resulted in the dislocation of running of local trains. The hon. Minister should make a statement thereon.

Shri Karpuri Thakur, who is in Bhagalpur jail in connection with the agitation in Bihar, is being ill-treated. False charges have been levelled against Shri Surendra Mohan, the General Secretary of our Party. Regarding the dearness allowance, I would lkke to say that there is need to change the All India Price Index. Also the due D.A. should be paid to the workers.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) ; On getting assurance from the Government the Bihar, the Agro Industries Development Corporation in collaboration with H.M.T., Pinjore, made a headway in setting up a tractor factory in Bihar. A sum of Rs. 25-30 lakhs has been spent. But now it learnt that there is a proposal to shift the factory to Uttar Pradesh. Bihar is a poor state and facing man problems. The hon. Minister may clarify the position in this regard.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Talks between this Government and Sheikh Abdullah are going on. This has created doubts in the mind of the people. Kachhativu has also been given in Bhoodan. The Government should disclose the contents of talks.

Excesses have been committed on the Railway employees. Their families have been harassed. We should be given achance to disuss this matter here. Many employees have been dismissed. The break in service has been imposed in the cases of 5 lakhs and 81 thousand employees. I want that all their matters should be discussed next week. The incidences of atrocities on harijans has been increasing. The report of the Commission for 171-72 should also be discussed. Action should be taken in connection with above incidents.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : It is a matter of regret that after making much headway in the setting up of the Tractor factory in Bihar, the same is now being shifted to Uttar Pradesh. It is a great injustice. We will mobilise the people to oppose this move.

The Principal of Jesus Mary school has withheld the results of some students on the plea of short lectures. The reason is that there was some altercation between the Principal and the guardians of a student. The Education Minister should make a statement in this respect.

The Government wants to demolish the houses of harijans in Parsa Village under Mahagma block of Santhal Pargana on the plea that there have been built on the pastur land. I have written to all concerned authorities but nothing has been done. I want that the Poor harijans should not be harassed in this way.

Shri Ram Chandra Vikal (Bagpat): Previously ban on the manufacture of khoya, and cream used to be imposed for two months in Delhi Gurgaon, Bulandsahar and Meerut areas but this year the ban is for four months. Thousands of small farmers and harijans are engaged in milk supply. They have been badly affected. Assurance was given that ban would be lifted on the arrival of rains. Although rains have started many days ago, nothing has been done in this respect. The plea given daily is that the Gazette in this respect is being issued to-day but nothing comes out. I cannot understand how the Government machinery is working? The hon. Minister should better throw some light on this matter.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चालू सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी। सभा को कार्य सूची तैयार करते समय हम निश्चय ही माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : सच है कि सरकार महंगाई भत्ते की दो किस्तें क्रमशः पहली अप्रैल और पहली जून से लागू करना चाहती है ताकि इसे अध्यादेश के अन्तर्गत लाया जा सके। ऐसा करने से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय किया जायेगा।

सभापति महोदय : वित्त मंत्री इस बात को ध्यान में रखेंगे।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक

DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक पुनःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूँ।

सभापति महोदय : सभा स्थगित होती है और पुनः 3 बजे म० प० को पुनः समवेत होगी।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये तीन बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch title fifteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा तीन बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at two minutes past Fifteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

42 वां प्रतिवेदन

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि यह सभा गैर–सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 42 वें प्रतिवेदन से, जो 24 जुलाई, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 42 वें प्रतिवेदन से, जो 24 जुलाई 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक
TRADE UNIONS (AMENDMENT) BILL

(धारा 2 का संशोधन, धारा 3क आदि का अन्तः स्थापन)

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 का और संशोधन करने वाला विधयक पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री पी० एम० मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक
PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL

(धारा 2, 4 आदि का संशोधन)

श्री पी० एम० मेहता : मैं उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

10—21 LSS/74

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री पी० एम० मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि (संशोधन) विधेयक

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND AND FAMILY PENSION FUND (AMENDMENT) BILL

(धारा 1, 2 आदि का संशोधन)

श्री पी० एम० मेहता : मैं कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री पी० एम० मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

पंजाब शुफा (दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त) निरसन विधेयक

PUNJAB PRE-EMPTION (AS IN FORCE IN THE UNION TERRITORY OF DELHI) REPEAL BILL

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to repeal the Punjab Pre-emption Act, 1913, as in force in the Union territory of Delhi.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब शुफा अधिनियम, 1913 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रणबहादुर सिंह . . . वे यहां उपस्थित नहीं है। श्री चन्द्रप्पन।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

[नये अनुच्छेद 83 (क) का अन्तःस्थापन]

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं भारत के संविधान का और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 75 का संशोधन)

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री विभूति मिश्र : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

लाभ की अधिकतम सीमा विधेयक

CEILING ON PROFITS BILL

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : I beg to move : "That leave to introduce a Bill to provide for the fixation of ceiling on profits of certain business houses, concerns, undertakings, etc."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कतिपय कारबारी गृहों, समुत्थानों , उपक्रमों आदि के लाभ की अधिकतम सीमा नियत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Yamuna Prasad Mandal : I introduce the Bill.

विदेशी कम्पनियां विनियमन विधेयक

FOREIGN COMPANIES REGULATION BILL

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"That leave to introduce a Bill to consolidate and amend the laws regulating the operation of foreign companies in India for the conservation of the foreign exchange resources of the country and the proper utilisation thereof in the interest of the economic development of the country leading to self-reliance."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण तथा देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित प्रयोग हेतु ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके, भारत में विदेशी कम्पनियों के प्रचालन के विनियमन संबंधी विधियों का समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye :] I intoroduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 297 का संशोधन)

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"That leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

विदेशी उपाधियां तथा पुरस्कार (विनियमन) विधेयक

FOREIGN HONOURS AND AWARDS (REGULATION) BILL

श्री समर गुह (कंटाई) : म प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारतीय राष्ट्रिकों को विदशी उपाधियों तथा पुरस्कारों का प्रदान विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय राष्ट्रिकों को विदेशी उपाधियों तथा पुरस्कारों का प्रदान विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

भारत में विदेशी प्रचार (विनियमन और नियंत्रण) विधेयक

FOREIGN PROPAGANDA IN INDIA (REGULATION AND CONTROL) BILL

श्री समर गुह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत में विदशों के सहेतक राजनीतिक प्रचार को निर्बन्धित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में विदेशों के सहेतुक राजनीतिक प्रचार को निर्बन्धित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ।

चीनी उद्योग के लिये दूसरी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें विधेयक—जारी

SECOND WAGE BOARD RECOMMENDATIONS FOR SUGAR INDUSTRY BILL—contd.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : इस मजूरी बोर्ड की सिफारिशें 1-11-1969 को लागू की गई थी परन्तु उनको बहुत धीमी गति से क्रियान्वित किया जा रहा है। उड़ीसा में इसको वर्ष 1970 में क्रियान्वित किया गया था। कुछ राज्यों में वर्ष 1971 में और कुछ में 1972 में क्रियान्वित किया गया था। यदि सरकार और श्रम मंत्रालय श्रमजीवी वर्ग को कुछ लाभ पहुंचाना चाहता है तो उन्हें इसको सभी स्थानों पर वर्ष 1969 से लागू करना चाहिये सरकार कह सकती है कि चीनी उद्योग बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सकेगा परन्तु सरकार ने इस उद्योग को कुछ लाभ पहुंचाए हैं और मूल्यों में वृद्धि भी की गई है और उन्होंने इस वर्ष अधिक लाभ अर्जित किया है।

यह वचन दिया गया था कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। सरकार को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये।

मंत्री महोदय को भार्गव समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करना चाहिये जिसने इस समग्र विषय पर ब्यौरेवार विचार किया है। सभा को इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये। सरकार को बताना चाहिये कि वह चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी नीति को कहां तक स्वीकार करती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक मजूरी बोर्ड ने सिफारिशें की है परन्तु कारखानों के मालिकों ने उन्हें क्रियान्वित नहीं किया। सरकार ने कहा था कि इस संबंध में कानून बनाया जायेगा। ताकि मजूरी बोर्ड के पंचार ऐसे मामलों में अनिवार्य बनाया जा सके जिन मामलों पर इसकी सिफारिश की जाये। इस मामले में 8-7-1970 में सिफारिश की गई थी और इसको 1-11-69 से लागू किया जाना था। चीनी मिल मालिकों ने मजदूर संघों द्वारा बार-बार अभ्यावेदन भेजे जाने के बावजूद इसे क्रियान्वित नहीं किया। उड़ीसा में एक दायगाड़ा फक्ट्री है जहां इसको अभी तक क्रियान्विति नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इसको वर्ष 1969 से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

भार्गव समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाये तो अनेक तथ्यों का पता चलेगा कि चीनी की मिलों के मालिक किस प्रकार गन्ना उत्पादकों का शोषण करते हैं और किस प्रकार श्रमिकों और उपभोक्ताओं के 50-60 लाख रुपये की हेराफेरी करते हैं। मिल मालिक गन्ना उत्पादको को हर वर्ष कोई ब्याज नहीं देते। सरकार उदासीन है और वे कोई कार्यवाही नहीं करती मिल मालिक कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा कर के उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। सरकार उनकी लूट रोकने का कोई प्रयत्न नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर लेती? इसका कारण यह है चीनी मिल मालिक कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिये करोड़ों रुपये देते हैं। अब चीनी के कारखानों के मालिक चीनी के निर्यात से असाधारण लाभ कमा रहे हैं। वस्तुत: राष्ट्रीयकरण से ही राष्ट्र को लाभ हो सकता है क्योंकि चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का क्षेत्र चीनी उद्योग में श्रमिकों की मजूरी के संबंध में मजूरी बोर्ड द्वारा की गई कुछ सिफारिशों तक सीमित है अतः माननीय सदस्य इसी विषय पर बोले और चीनी संबंधी नीति तथा अन्य विस्तृत मामलों के बारे में अपने विचार प्रकट न करें क्योंकि समय भी बहुत कम है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : चीनी उद्योग समृद्ध उद्योग है और इसका लाभ गन्ना उत्पादनों और श्रमिकों को भी पहुंचाता है। चीनी उद्योग के श्रमिकों ने गत कई वर्षों से कभी हड़ताल नहीं की। वे परिश्रम करते हैं और इसी लिये हमारा उत्पादन 10 लाख टन से बढ़ कर 45 लाख टन हो गया है। इसका श्रेय निश्चित ही सरकारी नितियों, श्रमिकों की वफादारी और गन्ना उत्पादकों के उपज बढ़ाने संबंधी प्रयत्नों को है। वर्ष 1969 में मजूरी बोर्ड के सिफारिशें की थी और एक या दो की छोड़ कर शेष सभी सहकारी चीनी कारखानों ने उनको क्रियान्वित कर दिया था। चीनी मिलों और विशेषकर प्राइवेट कारखानों को इन सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित करना चाहिये अन्यथा श्रमिक हड़ताल का दास्ता अपना सकते हैं क्योंकि उनका अधिकार है। सरकार को ऐसे कारखाना मालिकों को मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजूरी देने पर मजबूर करना चाहिये ताकि आगामी पिराई के मौसम में कोई बाधा न पड़े। यदि वे ऐसा नही करते तो उनके पिराई आरम्भ करने के लाइसेंस रद्द कर दिये जाने चाहियें। यदि वे फिर भी ऐसा नही करते तो सरकार को ऐसे कारखाने अपने हाथ में ले लेने चाहिये। मंत्री महोदय को वह सुनिश्चित करना चाहिये कि श्रमिकों को पिछली तारीख से भुगतान किया जाये और उनको 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज दिया जाय क्योंकि रुपये का मूल्य दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है।।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मिल मालिक श्रमिकों की खून और पसीने की मेहनत से उत्पादन बढ़ा पाये हैं और उनको उनकी उचित मजूरी का भुगतान तक नहीं किया गया है। आये दिन चीनी का मूल्य बढ़ जाता है और उपभोक्ताओं को विवशता में वह मूल्य देना पड़ता है। मिल मालिक गन्ना उत्पादकों के साथ भी धोखा करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ना उत्पादकों को लगभग 54 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करता हैं। मुझे खेद है कि सरकार निष्क्रिय हो कर यह तमाशा देख रही है। चीनी मिलों के श्रमिकों की स्थिति भूमिहिन कृषि श्रमिकों से भी खराब है, सरकार भी इन श्रमिकों की समस्याओं के बारे में उदासीन है। शासक दल के सदस्यों ने भी सरकार की चीनी संबंधी नीति को गलत बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मिल मालिकों का साथ दती है। उसकी कथन और करनी में भारी अन्तर है। हम वर्ष 1969 से सुन रहे हैं कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में विधान सभा के हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस के मंत्रियों ने राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर बल दिया था परन्तु सरकार ने इस दिशा में बिलकुल कोई कार्यवाही नहीं की। वस्तुतः शासक दल मिल मालिकों को नाराज नहीं करना चाहता ताकि वे उनके चुनाव संबंधी व्यय पूरा करते रहें।

सितम्बर, 1970 में सरकार ने चीनी उद्योग की व्यापक रूप से जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय आयोग बनाया था। इस आयोग ने 27 फरवरी, 1974 की अपना सुविचारित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था परन्तु सरकार ने अभी तक उसकी प्रति सभा-पटल पर नहीं रखी। इस में विलम्ब का कारण यह है कि आयोग ने बिना मुआवजा दिये चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की है। जब तक इस आयोग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता तब तक मिल

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रुपान्तर।

Summarised translated version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

मालिक श्रमिकों को उचित मजरी नहीं देंगे। सरकार आये दिन अध्यादेश जारी करती है। मैं पछना चाहता हूं कि मिल मालिक से गन्ना उत्पादन का दय 54 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल करने के लिय और मजूरी बोर्ड की शिफारिशों को क्रियान्वित करवाने के लिये राष्ट्रपति का अध्यादेश क्यों नहीं जारी किया जाता।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये और यदि इसमें कुछ समय लगेगा तो सरकार को एसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे श्रमिकों को मजूरी बोर्ड की सिफारिशो के अनुसार मजूरी का भुगतान हो। यदि सरकार आवश्यक समझती है तो इस प्रयोजन के लिये इसी सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित कर सकती है।

श्री के० सूर्यनारायण (एलस) : मैं पूछना चाहता हूँ कि मजूरी बोर्ड द्वारा वर्ष 1969 में की गई सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं? हम जो कानून पास करते हैं उसे गम्भीरतापूर्वक क्रियान्वित नहीं करते। मुझे चीनी का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में 14 वर्ष लगे है। सरकार मिल मालिकों की मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्यों नहो कहती? मैं यह सुन कर हैरान रह गया हूँ कि सरकार पंजीवादी कम्पनियों को विस्तार करने की अनुमति देती है। दक्षिण भारत में मदुरा से एक करोड़पति ने एक कारखाना खरीदा है। उसकी कई मिल हैं और वह मजरी बोर्ड की सिफारिशो को क्रियान्वित भी कर सकता है। परन्त उसने इसकी बजाये कारखाना छोड़ दिया है और सरकार ने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब सरकार ने कर की कुछ बकाया राशि वसूल करने के लिये उसको नीलाम कर दिया है। उसने किसानों का 10-15 लाख रुपया देना है। यह हालत है। इसी लिय हम चाहत हैं कि सरकार चीनी उद्यागो का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर द ताकि श्रमिको और किसानों की कठिनाइयां दूर हो जायें। कम से कम सरकारी समितिया बना दी जायें। जो इन कारखानो को चलाये और श्रमिक तथा किसान स्वयं मालिक बन जाये। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिये कि उसको राष्ट्रीयकरण से हानि होगी।

मंत्रिमंडल को भार्गव समिति के प्रतिवेदन पर तुरन्त करना चाहिये। इसमें विलम्ब की क्या आवश्यकता है। चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण सरकार की नीति और हमारे दल के कार्यक्रम के अनुसार है। अतः इसको अवश्य क्रियान्वित करना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I welcome this Bill moved by Shri Panda. Government does not force the sugar magnates to implement the recommendations of the Wage Board because she is in league with them as they provide funds as and when the ruling party called them to do so. I would like to suggest that Government should introduce a legislation whereby such mill-owners should be sent to prison if they do not implement the recommendations of the Wage Board. I urge that strict action should be taken against the mill-owners who have not implemented the aforesaid recommendations. The workers are being exploited. In order to improve the situation, the workers should be allowed to participate in the management. I am not in favour of nationalisation. I want that this industry should run on Co-operative basis. The workers should also have their share in the industry. A big amount of money has not been paid by the mill-owners to the farmers. They are being exploited. The main reason is that the Government does not have any effective control over this Country. No action is taken against sugar magnates because they donate crores of rupees to meet the election expenses of the ruling party.

Government should manage the affairs of sugar industry more efficiently because it has vast export potential and huge foreign exchange can be earned. The quantity of export can be increased. Government should not hesitate in laying the report of Bhargava Committee so that the same could be discussed in the House. The implementation of recommendations of the Wage Board should be ensured so that the workers may get their due. With these words I support this Bill and request the hon'ble Minister to accept it.

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा): इस विधेयक का एक मात्र उद्देश्य चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को उद्योगों में कानूनी रूप से लागू करवाना है। मुझे बताया गया है कि उक्त बोर्ड ने फरवरी 1970 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और उस पर सरकार का संकल्प संख्या, 7 जुलाई, 1970 को जारी किया गया था। यह बोर्ड गैर-सांविधिक निकाय था और उसकी सिफारिशों को भी मुख्यत: अनुरोध और परामर्श के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना है। इन सिफारिशों को क्रियान्वित करवाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। इन शिफारिशों की क्रियान्विति की धीमी गति के कारण ही श्री डी० के० पंडा जुलाई, 1971 मे इस विधेयक को लाये थे। दिसम्बर, 1971 में श्रम मंत्री ने इन सिफारिशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों को लिखा था। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है परन्तु उनकी क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति लगभग संतोष-जनक है। चीनी उद्योग में वर्तमान मजूरी ढांचे का पुनरीक्षण करने की मांग की गई है। हमने इस सम्बन्ध में 27 नवम्बर, 1973 और 6 दिसम्बर, 1973 को नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी। इन दोनों बैठकों में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी। श्री दीनेन भट्टाचार्य ने रायगढ़ स्थित एक मिल का उल्लेख किया है जिसने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है और हम राज्य सरकार को लिखेंगे कि वे उन सिफारिशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। हमारी त्रिपक्षीय वार्ता में मजूरी ढांचे के पुनरीक्षण और अन्तरिम सहायता दिये जाने पर ज़ोर दिया गया था। अनुरक्षण (रीटेनर) भत्ता देने की भी मांग की गई थी। अन्तरिम सहायता और अनरक्षण भत्ते के भुगतान के बारे में सहमति हो गई है। इससे श्रमिकों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा।

अन्तरिम राहत 30 जून, 1974 तक की अवधि के लिए दी जानी थी। हमने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे चीनी मिलों से जुलाई के लिए भी अन्तरिम राहत देने को कहें और मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार जुलाई महीने के महगांई भत्ते में इसको समायोजित कर दें।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि चीनी उद्योग के वर्तमान मजूरी ढांचे का संशोधन करने के लिए कोई तन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और शीघ्र ही निणय लिए जाने की सम्भावना है।

अधिकांश सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाय। यह मामला कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। इस बारे में भी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इसलिए पंडा जी के विधेयक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मजूरी सम्बन्धी मामलों के आपसी बातचीत द्वारा समाधान पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसलिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वय न को सांविधिक समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिया-न्वयन न किए जाने के कुछ छिटपुट मामले हो सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर मुझे जानकारी दी जाती है, तो मैं उन मामलों में आवश्यक कार्यवाही करूंगा और राज्य सरकारों से समुचित कार्यवाही करने के लिए कहूंगा।

इन सब बातों को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि पंडा जी अपने विधेयक को वापस ले लेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The persons are not paid according to their job. If a person is entitled to Rs. 300, he is paid Rs. 150 only.

Shri Bal Govind Verma : If you give me specific information, necessary action would certainly be taken.

Dr. Laxmi Narain Pandeya (Mandsaur) : Javra Sugar Mills and Mahidpur Sugar Mills are not implementing the recommendations of the Wage Board. The State Government is doing nothing in the matter. The hon'ble Minister should ask the State Government to take suitable action in the matter.

Shri Bal Govind Verma : This is not so.

Shri Hukam Chand Kachwai : The recommendations of the Wage Board are not being implemented there.

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख (परभणी) : मैं श्रम मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त क्षेत्र में ऐसे अनेक कारखाने हैं, जिन्होंने दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को भी अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के बारे में कोई मतभेद ही नहीं है। मंत्री महोदय ने सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न यह है कि इसको पिछली तारीख से किस प्रकार लागू किया जाय। 1 नवम्बर 1969 से मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित की जानी थी। श्री नरसिंह नारायण पाण्डे और अन्य कई सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनेक चीनी कारखानों ने, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को उसी तारीख से क्रियान्वित नहीं किया है। सरकार ने उन उद्योगों से केवल अनुरोध ही किया है।

अगर 1 नवम्बर 1969 से इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया, तो उन्हें 1 नवम्बर, 1970 से तो क्रियान्वित किया ही जाना चाहिए था। चीनी कारखानों के सहकारी फेडरेशन ने एक परिपत्र द्वारा 1 नवम्बर, 1970 से उन्हें क्रियान्वित करने के लिए अनुरोध किया था। सहकारी चीनी कारखानों में भी इन्हें कुछ मामलों में 1971 से क्रियान्वित किया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसने राज्य सरकारों से इस बारे में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है? क्रियान्वयन किया भी गया है, तो वह एक सामान्य क्रियान्वयन है, विशिष्ट क्रियान्वयन नहीं। महाराष्ट्र के माननीय सदस्य ने कहा है कि नैमित्तिक श्रमिकों की पूर्ण उपेक्षा की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सिफारिशों को सांविधिक बनाकर मजूरी की बकाया राशि को वसूल किया जायेगा? अथवा यह सरकार चीनी कारखानों के बड़े बड़े मालिकों से क्रियान्वयन के लिए अनुरोध करके भीख ही मांगती रहेगी।

श्री सूर्यनारायण ने चीनी कारखानों का विस्तार करने और संकटग्रस्त चीनी मिलों को करोड़ों रुपयों की मदद देने तथा लेवी की चीनी का लागत-मूल्य टरिफ आयोग के अनुसार निकालने की बात कही है। सरकार ने लेवी की चीनी की न केवल कीमत ही बढ़ाई है, बल्कि चीनी कारखानों के मालिकों को 30 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेचने की छूट देकर काला धन कमाने की खुली छूट भी दे रखी है। गन्ने की कीमत का 52.25 करोड़ रुपए भुगतान के लिए बकाया पड़ा है। मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि वह इसी सत्र में विधेयक पेश करेंगे। इस बारे में सांविधिक बन्धन होना चाहिए।

सभी प्रकार की घोषणाओं के बावजूद चीनी कारखानों के बड़े बड़े धन्नासेठों को दण्डित करने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। राज्य सरकारें तो सिर्फ अनुरोध ही कर सकती हैं, इसलिए मैं इस बात की मांग करता हूं कि सरकार तत्काल इस बारे में विधेयक पेश करे।

एक गणना के अनुसार चीनी कारखानों के मालिकों की ओर करों और बिजली आदि की 833 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया है। कुल मिलाकर यह राशि लगभग 2000 करोड़ रु० बैठती है। अब वेतन स्थिर करने का अध्यादेश जारी कर दिया गया है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जिस संधारण भत्ते का वचन दिया गया था, उसकी तो कम से कम अदायगी की ही जाय।

मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित द्विपक्षीय वार्ता समिति के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया है। उसमें चीनी कर्मचारियों को कम वेतन मिलने के सीमित प्रश्न पर ही विचार किया गया था। संधारण भत्ता जून, 1974 तक अदा किया जाना था, परन्तु अब वह अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः मैं इस बात की मांग करता हूं कि वेतन संशोधन सम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को फिर से स्थापित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में चीनी उद्योग के लिये दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित करने और देश में चीनी उद्योग में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से उन्हें सांविधिक बनाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

श्री डी० के० पंडा : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं कोई मसूदा नहीं देना चाहता * * *

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। प्रस्ताव अस्वीकार हो जाने पर भी बोलना अनियमित बात है।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 19 और 326 का सं ोधन)

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this Constitution (Amendment) Bill seeks to provide for reduction of voting age frcm 21 yeaıs to 18 years. In this connection Articles 19 and 326 of the Constitution are sought to be amended.

[डा० हेन्री आस्टिन पीठासीन हुए]
[DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*]

Not only in India, but in many countries of the world, it has been demanded that voting age should be reduced. Many countries have already done so frcm 21 years to 18 years.

One of the causes of youth unrest is denial of their participation in democratic process of the country. Though Government have been assuring that it is considering the issue and would give a thought to it etc.

The Hon. Minister had himself stated in this House that it would not be very difficult to do it. Only an amendment would have to be made in Article 326. A period of two years has elapsed, but no such amendment has been brought forward.

A person of 18 years of age can inherit the property, he could marry a girl, but he cannot elect a representative for a period five years only. In foreign countries, there is no difference between the age of majority and voting age, but this is so in our Country, which is unnatural and unjustified and hence, must be done away with.

In our various laws much as Indian Majority Act, Contract Act, Evidence Act, Guardians and Wards Act and Cinematograph Act, a person of 18 years of age is considered an adult, but for the purpose of voting he is not adult. This anomaly has to be removed at the earliest.

***कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

***Not recorded.

The Petitions Committee of the Fourth Lok Sabha in its Ninth Report had recommended that although there were strong arguments against the proposal such as immaturity of youth at that age and financial implications involved in handling a vastly increased electorate thereby, the Committee feel that there are no valid reasons for denying the right of vote to persons above the age of 18 years, particularly when for all other purposes of law, they are treated as majors and deemed competent to handle their affairs. The Committee, made unanimous recommendation that Article 326 of the Constitution should be amended and voting age reduced from 21 years to 18 years. I would like to know as to why the Government has not implemented this unanimous recommendation so far. They may argue that the number of voters may increase and number of polling booths would grow. After all, after every elections, the number of voters and number of polling booths has been growing. Thus, such an argument carries no weight that the number of voters would grow enormously.

The ex-Chief Election Commissioner, Shri Sen Verma has said that the Election Commission can cope with the increase in the electorate if the voting age was reduced to 18. He had also said that such a proposal was administratively feasible.

If we want to tackle the problem of youth unrest, lowering of voting age would be a big stride in this direction. The youths should be provided with an opportunity to participate in the administrative machinery. The youths are fighting for their rights. That is why there is unrest among the youths in Gujarat and Bihar. Such a revolution would spread throughout the country if the youths are denied their rights.

The Director of Tata Institute of Social Sciences and the Director of the Institute on Constitution and Parliamentary Studies have also said that Voting right should be given to the youths above the age of 18 years. Shri C. D. Deshmukh, the famous economist had said on the occasion of a convocation address in Poona University that he supported the proposal to enfranchise all adults of 18 years and above. Almost all, the opposition parties have demanded that the youths should not be denied this right. France, Canada, Austria, Netherland have considerably reduced the voting age.

It has been stated in Part 2, Page 4, Para 8, 9 and 10 of the Report of Joint Select Committee on Election Law Amendment that the question of voting age has in recent years assumed considerable significance. It further said that in Western democracies, the expansion of the franchise was slow, gradual and progressive. Great Britain, for example, took almost a century to arrive at universal adult franchise. Our circumstances are different than those of the Western Countries. Our Youth of 18 years is more mature mentally than that of the Western Countries. The other members of the Joint Select Committee felt that there were no valid reasons for denying the right of vote to the age group of 18-21 years, particularly when for all purposes of law they are treated as majors and deemed competent to handle their affairs. Having considered the view points of the Minister and those of the Members of the Committee, the Committee decided that the voting age should be reduced from 21 to 18 years and Article 326 of the Constitution might be amended accordingly. The newly born country Bangladesh, Zambia, Benezula, Congo, Bulgaria, Hungary, Egypt, Laos, Syria, Austria and Poland have kept the voting age at 18 years.

On 15th of March, the honourable Minister had himself said that the Government, was actively considering this matter and a decision would be taken as soon as the difficulties were resolved. I do not know what were the difficulties which could not be resolved even after two years.

I have referred to 12 Committees of the House which have made a recommendation in this connection. Keeping in view the recommendation of these Committees as also the advice of the Economists, Politicians, Youth organisations, Sociologists and Legal experts, there should be no hesitation in reducing the voting age. The opposition and the Members of the ruling should, therefore, not oppose this move.

Shri M. C. Daga had said on 2nd of September, 1972 that the volting age should be reduced to 18 years so that young people could contribute towards the development of the country. Moreover, the new generation was more educated and mature. They should,

[Dr. Laxminarain Pandeya]

therefore, be given opportunities to establish new values of life. If we want to do away with the growing unrest among the youths, they should be given some responsibilities. If the Government would have gone into the root causes of the students agitations in Bihar, Gujarat and M. P. etc., it would have decided in favour of the lower voting age. The youths would get the right to change the Government. I want that there should not be a state of anarchy in the country and the democracy should be maintained and all the sections of the society should get due place in the democratic way of life. I therefore, urge the Government to accept this Bill.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : माननीय सदस्य ने मतदान की उम्र कम करने की तो बात कही, लेकिन उसे मूल अधिकारों में शामिल करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

Dr. Laxminarain Pandeya : I have already submitted that in addition to Article 326, Article 19 should also be amended.

*__श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर__ (औसग्राम) : मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय के विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

मैं अपना भाषण प्रारम्भ करने से पूर्व आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी अभी मंत्री महोदय ने डा० पाण्डेय का उल्लेख करते हुए यह कहा कि "आप झूट बोल रहे हैं।" क्या मंत्री महोदय को ऐसा कहना शोभा देता है? आप मंत्री महोदय से यह शब्द वापस लेने के लिए कहें।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा था जिसका श्री पाण्डेय ने उल्लेख किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम): माननीय सभापति इस सम्बन्ध में टेप-रिकार्ड की जांच कर सकते हैं। उन्होंने 'झूठ' शब्द का उपयोग किया था। उक्त शब्द असंसदीय है।

सभापति महोदय : हमें उक्त मामले को समाप्त कर देना चाहिये। मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि उन्होंने 'झूठ' शब्द को जानबूझ कर प्रयोग नहीं किया था। यह सच है कि शब्द 'झूठ' असंसदीय है। लेकिन मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका 'झूठ' शब्द से अभिप्राय 'अनुचित' शब्द से था। अत: हमे यह मामला यहीं समाप्त कर देना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : श्री पाण्डेय द्वारा पुरःस्थापित संविधान संशोधन विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। हमे स्वतंत्र हुए 27 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी भी सत्तारूढ दल 18 वर्ष के युवकों को मतदान का अधिकार देने से डरता हैं। उसे देश के युवकों पर विश्वास नहीं है। मैं सत्तारूढ दल को याद दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश काल में पश्चिम बंगाल में 21वर्ष से कम आयु के युवकों ने हजारों की संख्या में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और क्रान्तिवादी गतिविधियों में शहीद हुए थे। स्वर्गीय श्री कोनार ने असहयोग आन्दोलन में 14 वर्ष की आयु में भाग लिया था। अन्य राज्यों में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस लोगों को आज आसानी से सत्ता प्राप्त हो गई है वे इन नवयुवकों द्वारा किये गये त्याग को भूल गये हैं और इन 10 करोड़ युवकों को मतदान से वंचित रखना चाहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे युवक आज की परिस्थिति में बड़े व्यग्र हैं। उनमें निराशा की भावना उत्पन्न हो गई है अत: उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिये। हमें विश्वविद्यालय परिषद् में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देना चाहिये। विद्यार्थी देश को समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। अत: सरकार उनको उनके बहुमूल्य अधिकार से कैसे वंचित रखना चाहती है?

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक पर संसद् की संयुक्त समिति ने 13 मार्च को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में एक मत से यह सिफारिश की थी कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जानी चाहिये।

यह सच है कि यदि इन युवकों को मतदान का अधिकार दिया जाता है तो सरकार को इन अतिरिक्त मतदाताओं पर अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ेगा। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि चाहे हम सूची में इनका नाम शामिल करें अथवा नहीं मतदान सूची अन्य तरीके से बढ़ती जाती है और इसके परिणाम-स्वरूप सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। यदि ऐसा है तो सरकार अपने युवकों को उनके उचित अधिकार से क्यों वंचित रखती है? सरकार उनको उक्त अधिकार देने से इसलिये हिचक रही है क्योंकि एसा करने से वह अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह पायेगी और सदन का स्वरूप ही बदल जायगा और आज जो दल सत्ता में हैं वह कल सत्ता में नहीं रहेगा। यही कारण है कि गत तीन-चार वर्षों से इस सम्बन्ध में लगातार प्रयास किये जाने के बावजूद भी सरकार देश के 18 वर्ष के नवयुवकों को मतदान का अधिकार नहीं दे रही है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जब देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के युवक संगठनों का आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष करने के बारे में एक मत है तो सरकार को उक्त मांग स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? ब्रिटेन और अमरीका और रूस में भी 18 वर्ष के युवकों को मतदान का अधिकार है। यहांतक कि बंगला देश में भी 18 वर्ष के युवकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। अतः सरकार किस नैतिक आधारों पर उन्हें उनके अधिकार से वंचित रख रही है? मतदान का अधिकार उनमें और अधिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करेगा और वे अपनी शक्ति का प्रयोग देश के विकास के लिये करेंगे। युवकों को मतदान का अधिकार देने से अनेक सामाजिक कुरीतियां और सामाजिक-अशान्ति दूर की जा सकती है। भतपूर्व चुनाव आयुक्त ने भी उल्लेख किया है कि युवकों को मतदान का अधिकार देने में कोई प्रशासनिक कठिनाई नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त मांग न केवल वैध है बल्कि प्रशासनिक रूप से भी व्यवहार्य है। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार डा० पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 10 और 326 के संशोधन स्वीकार करेगी और इसी सत्र में नवयुवकों को मतदान का अधिकार प्रदान करेगी। यदि सरकार उनको उनका अधिकार नहीं देगी तो वे अपना अधिकार अपने ही ढंग से स्वयं प्राप्त कर लेंगे। वे इसके लिये संघर्ष करेंगे और देश को संघर्ष के पथ पर ले जायेंगे।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह विधेयक असामयिक है। इस सम्बन्ध में ध्यान में रखने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह विधेयक 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वाले वर्ग से परामर्श करके प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि आज यदि हम इस आयु वर्ग के लोगों से पूछें कि उनकी पहली मांग क्या है तो वे यही कहेंगे कि उन्हें सर्वप्रथम रोजगार चाहिये। वे मतदान के लिये आयु कम करने के लिये नहीं कहेंगे।

सरकार को अर्ध-फासिस्ट और फासिस्टवाद संगठनों पर रोक लगानी चाहिये। जो देश की स्वतन्त्रता को समाप्त करने पर तुले हैं। सरकार को राष्ट्रीय सेवक संघ, आनंद मार्गी और अन्य फासिस्ट संगठनों पर, जिनका विश्वविद्यालय प्रांगण में संकट पैदा करने, खाद्यान्न दंगे करवाने तथा गुजरात में आंदोलन करवाने के पीछे हाथ है, रोक लगानी चाहिए।

श्री पी० जी० मावलंकर : अपने तर्कों के साथ इन्हें राजनैतिक संस्थाओं की बात नहीं करनी चाहिये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : यदि आप मतदान के अधिकार के बारे आज के युवक से पूछें तो वह कहेगा कि यह एक परिकल्पित प्रश्न है। लाखों के बीच एक वोट से क्या अंतर पड़ जायेगा।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 56 की ओर दिलाते हुये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के लिये निर्धारित कम से कम 35 वर्ष की आयु 21 वर्ष क्यों नहीं की जाती?... **(व्यवधान)**

[श्री बी० वी० नायक]

कुछ भी हो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश की स्थितियों को देखते हुए उचित नहीं है। हमें कुछ अन्य प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देना चाहिये। हमें युवकों को राजनीति की ओर आकर्षित नहीं करना चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि मतदान की आयु कम होनी चाहिये। सभापति महोदय, इस प्रकार के विधेयक पर जब भी चर्चा हो तो मंत्री महोदय को सदन में उपस्थित रहना चाहिये।

सरकार को इस विधेयक के विरोध में यही आपत्ति हो सकती है कि मतदान की आयु कम करने से व्यय बढ़ेगा तथा मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। लेकिन ये आपत्तियां निराधार होंगी क्योंकि आयु कम किये बिना भी व्यय तथा मतदाताओं की संख्या बढ़ हो रही हैं। क्या सरकार ऐसा समझती है कि मतदान की आयु कम करने से युवा संस्थाएं जोर पकड़ेंगी और युवक सत्तारुढ़ दल को वोट नहीं देंगे। हमारे देश की स्थिति बाहर के देशों से भिन्न हैं। यहां के छात्रों को उनके मां-बाप अधिक आजादी इस कारण नहीं देते कि कहीं वे गलत रास्ते पर न चले जायें। इसके विपरीत बाहर के देशों में युवकों को गलतियां करने की आजादी दी जाती है। यदि 18 वर्ष की आयु सेना में भरती होने, विवाह तथा व्यापार के लिये ठीक समझी जा सकती है तो विधान सभा तथा संसद सदस्य का चुनाव करने के लिये क्यों ठीक नहीं समझी जाती।

डा० पांडेय ने ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा आदि देशों के उदाहरण भी दिये हैं। इन देशों में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है। यदि इन देशों में ऐसा हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता। यदि 18 वर्ष के युवकों तथा युवतियों को मतदान का अधिकार दिया जाये तो देश के बौद्धिक तथा मानसिक वातावरण में पर्याप्त परिवर्तन आयेगा। इससे देश के युवक राष्ट्रनिर्माण के कार्य में सक्रिय भाग ले सकेंगे।

इस सदन को बहुमत से इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे उचित कार्यवाही करेगी।

डा० वी० के० आर० बर्दराज राव (बेल्लारी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक से गुजरात और बिहार के प्रश्न नहीं जोड़े जाने चाहिये। यह अनुमान निरर्थक है कि 18 वर्षीय मतदाता किस दल को अपना मत देंगे। चुनाव व्यय का प्रश्न भी इस से नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

अन्य देशों के उदाहरण का भी हमें पालन नहीं करना चाहिये। हमें अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय निर्णय लेना चाहिये।

यदि 18 वर्ष के लोग अपरिपक्व होते हैं तो 21 के भी होते हैं और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि 60 वर्ष तथा इससे अधिक की आयु वाले भी अपरिपक्व होते हैं। यदि आप मतदान के लिये 21 वर्ष की सीमा रखते हैं तो इस बात में भी तर्क है कि विशेष आयु से ऊपर के लोगों को मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिये। **(व्यवधान)**

आजकल विद्यार्थियों को राजनीति से सम्बद्ध किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम उन्हें मतदान का अधिकार दें तो वे राजनीति को उचित ढंग से समझेंगे।

18 वर्ष की आयु उपयुक्त है । पता नहीं, माननीय मित्र श्री मावलंकर 19 वर्ष क्यों चाहते हैं । 18 वर्ष की आयु विद्यार्थी जीवन काल होती है । कालेजों के छात्र राजनीति में रूचि रखते हैं । विदेशों में छात्र राजनैतिक प्रचार-मात्र से निर्दिष्ट न होकर राजनैतिक निर्णय भी करते हैं । जो छात्र बाद में राजनैतिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं कालेजों में उन्हें इसके लिये प्रशिक्षण मिलता है । मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इससे छात्रों की समस्या का समाधान हो जायेगा । उन्हें मत देने का अधिकार दिये जाने से रोजगार भी नहीं मिल जायेगा । यदि 18 वर्ष की आयु वालों को मताधिकार प्रदान किया जाता है तो युवा पीढ़ी में राजनैतिक उत्तरदायित्व की भावना जागेगी । युवा पीढ़ी राजनीति में भाग ले रही है । गुजरात और बिहार का उदाहरण हमारे सामने है । छात्रों का राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश कराया जा रहा है परन्तु गलत ढ़ंग से । यदि उन्हें मताधिकार प्रदान कर दिया जाये तो राजनैतिक दल उनमें रूचि लेने लगेंगे । अतः इस विधेयक के पीछे जो धारणा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : CONTEMPT OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मैं दर्शक दीर्घा में लगभग 11.05 बजे विपलव बसु नामक दर्शक के जिसने अपने पास एक स्प्रिंगवाला छुआ छुपाया हुवा था, प्रवेश करने तथा दर्शक दीर्घा के द्वार के निकट ड्यूटी पर तैनात लोक सभा सचिवालय के एक वरिष्ठ वाच एण्ड वार्ड सहायक पर वार करने के प्रयास के बारे में सभा का ध्यान दिलाता हूं । सभा जैसी उचित समझे कार्यवाही करे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको विपलव बसु कहने वाले व्यक्ति ने, जिसने आज 11.05 बजे लोक सभा की दर्शक दीर्घा में अपने पास एक छुरा छिपाये हुए प्रवेश करने का प्रयास किया और जिसने दर्शक दीर्घा के द्वार के निकट ड्यूटी पर तैनात लोक सभा सचिवालय के एक वरिष्ठ वाच एण्ड वार्ड सहायक को जोर से ठोकर मारकर उस पर आक्रमण किया और जिसे वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, एक भारी अपराध किया है और वह इस सभा के अवमान का दोषी है ।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि कानून के अन्तर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही के पूर्वाग्रह बिना विपलव बसु को सभा के इस प्रकार अवमान करने के लिए सोमवार, 26 अगस्त, 1974 के मध्याह्न पश्चात् 6 बजे तक की कड़ी कैद की सजा दी जाये और उसे केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेजा जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको विपलव बसु कहने वाले व्यक्ति ने, जिसने आज 11.05 बजे लोक सभा की दर्शक दीर्घा में अपने पास एक छुरा छिपाये हुए प्रवेश करने का प्रयास किया और जिसने दर्शक दीर्घा के द्वार के निकट ड्यूटी पर तैनात लोक सभा सचिवालय के एक वरिष्ठ वाच एण्ड वार्ड सहायक

[अध्यक्ष महोदय]

को जोर से ठोकर मारकर उस पर आक्रमण किया और जिसे वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, एक भारी अपराध किया है और वह इस सभा के अवमान का दोषी है।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि कानून के अन्तर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही के पूर्वाग्रह बिना विप्लव बसु को सभा के इस प्रकार अवमान करने के लिए सोमवार, 26 अगस्त, 1974 के मध्याह्न-पश्चात् 6 बजे तक की कड़ी कैद की सजा दी जाये और उसे केन्द्रीय जेल, तिहाड, नई दिल्ली भेजा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री रातू जोसाय्या तवाकिया थितुइवुड तथा फिजी के सेनेट सदस्य का स्वागत

WELCOME TO MR. RATU JOSAIA TAVAKIYA, THETUIVUDA AND MEMBER OF THE SENATE FIJI

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब की ओर से फिजी के अपने प्रतिष्ठित तथा अत्यन्त सम्मानित मित्र का स्वागत करता हूं।

हम सभी उनका स्वागत करते है तथा अपने देश में उनके सुखद निवास की कामना करते हैं।

---

*हाल्दिया पत्तन पर शिपयार्ड की स्थापना करना

SETTING UP OF SHIPYARD AT HALDIA PORT

श्री समर गुह (कन्टाई) : हाल्दिया पत्तन पर शिपयार्ड स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार ने यह निर्णय किया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपये की लागत से दो अतिरिक्त शिपयार्ड स्थापित किये जायेंगे। वर्तमान शिपयार्डों में से तीन पश्चिमी तट पर और एक दक्षिण में है। अतः पांचवीं योजना में बनाये जाने वाले यार्डों में से एक या दो पूर्वी तट के पास होने चाहिये।

सरकार ने वर्ष 1973 में ब्रिगेडियर नरूला की अध्यक्षता में एक तकनीकी आर्थिक समिति गठित की थी ताकि दो अतिरिक्त शिपयार्डों के लिये स्थानों के बारे में अध्ययन किया जा सके।

[**डा० हेन्री आस्टिन** पीठासीन हुए
DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*]

जैसा कि प्रेस समाचार से ज्ञात हुआ है विशेषज्ञ समिति ने तीन माडलों का सुझाव दिया है। माडल नं० I—36,000 से 60,000 डी० डब्ल्यू० टी०, माडल नं० II—1,20,000 से

*आधे घण्टे की चर्चा

*Half an Hour Discussion

1,80,000 डी० डब्ल्यू० टी०, माडल नं० III--2,25,000 से 3,60,000 डी०डब्ल्यू०टी० । माडल नं० I के लिये दो या तीन संभाव्य स्थानों का सुझाव दिया गया था और वे सभी उपयुक्त पाये गये । माडल नं० II कुलावंगी पारादीप और हाजरा उपयुक्त समझ गये । हाजरा पश्चिमी तट पर है जबकि हम पूर्वी तट के लिये मांग कर रहे हैं । माडल नं० III के लिये हाल्दिया और हाजरा को उपयुक्त समझा गया । गुणों की दृष्टि से हाल्दिया सर्वोत्तम स्थान है । माडल नं० II के लिये पारादीप उपयुक्त है ।

वर्ष 1971 में सरकार ने एक और समिति हाल्दिया में जहाज निर्माण करने के लिये शिपयार्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की थी । उस समिति ने हाल्दिया में ऐसा शिपयार्ड बनाने के पक्ष में रिपोर्ट दी है । 1972 में एक कार्यकारी दल ने अनेक प्रश्नों पर विचार करने के बाद हाल्दिया के पक्ष में रिपोर्ट दी ।

यह बात सर्व विदित है कि हाल्दिया का विकास एक नये पत्तन के रूप में हुआ है । विभिन्न टन भार के जहाजों को अपने यहां खड़े करने की उसकी क्षमता पारादीप तथा अन्य सुझाई गई जगहों से अधिक है और फिर हाल्दिया में एक नये औद्योगिक समूह का निर्माण हो रहा है । फिर हाल्दिया में रेल और सड़क के अतिरिक्त अन्तर्देशीय नदी परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है । बृहत कलकत्ता औद्योगिक बल्ट के कारण हाल्दिया के पास इंजीनियरिंग, फालतू पुर्जों, मरम्मत आदि की सुविधा आसानी से उपलब्ध है । फिर माल के उतारने, चढ़ाने, गाड साफ करने आदि की सुविधाओं के कारण भी हाल्दिया पोत निर्माण के लिये एक आदर्श स्थान है ।

शिप बिल्डिंग यार्ड के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही बहुत बड़ा भूभाग देने का प्रस्ताव किया है । बताया गया है कि सरकार ने विदेशी परामर्श से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये नरूला समिति प्रतिवेदन को पहले ही भेज दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार के विदेशी परामर्श की व्यवस्था है और वे किस प्रकार की परियोजना तैयार करेंगे । इस मामले में निर्णय करने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि विदेशी सलाहकारों का और परियोजना प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेंगे और सरकार यह निर्णय कब करेगी कि स्थान कहां होगा । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर सहमत होंगे कि शिप बिल्डिंग यार्ड के लिये हल्दिया उपयुक्त स्थान है और वहां कार्य शीघ्र आरंभ किया जायेगा ।

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) **:** I am in favour of construction of a a shipbuilding yard at Haldia. It will be helpful in exporting goods from Bihar.

Calcutta port is very congested. I think, the ships manufactured indigenously may be helpful in exporting our goods.

If the report on the shipyard is ready, it should be presented in the House as soon as possible.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मुझे ब्रिगेडियर नरूला की समिति में सरीक होने का अवसर मिल था ।

जहां तक मुझे याद है चार वर्ष पहले दत्त समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि देश के उन स्थानों में जहां अत्यधिक उद्योग केन्द्रीत हैं वहां से उद्योगों को देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिये ।

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamalapati Tripathi) : The hon. Member has been a member of the Committee.

Shri B. V. Naik : Which Committee ? It was a separate Committee appointed four years ago.

यह समिति औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई थी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : इस प्रश्न का नरुला समिति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बी० वी० नायक : एक बार केरल में कोचीन को शिपयार्ड बनाने के लिये चुना गया था । वर्ष 1962 से 1972 तक कोचीन शिपयार्ड बनता रहा । हाल ही में वह तैयार हो रहा है ।

सभापति महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री बी० वी० नायक : क्या नरुला समिति की सिफारिशों के गुणों की जांच कर के नये निष्कर्ष निकाले जायेंगे या जहां से समिति ने कार्य छोड़ा है वहां से नये सिरे से कार्य आरंभ किया जायेगा ? क्या विदेशी बहु निगमों का समर्थन प्राप्त किया जायेगा ?

Shri Hukumchand Kachwai (Morena) **:** It is essential to construct and develop our shipping industry in under to keep pace with the ships manufactured abroad.

When shall we be able to export ships to foreign countries after fulfilling our own requirements.

What is our requirement of ships ? How much expenditure we shall have to incur to meet that requirement ?

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) **:** सागर द्वीप और कलकत्ता पत्तन के बीच पानी से गाद निकालने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि बड़े जहाज हल्दिया पत्तन आसानी से पहुंच सकें ? इस पत्तन पर आने वाले जहाजों का अधिकतम टनभार क्या होगा ? वर्ष 1978-79 में वर्तमान से तिगुना यातायात इस पत्तन पर होगा क्या हल्दिया पत्तन की योजना और निर्माण को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस पहलू को ध्यान में रखा है ?

हल्दिया पत्तन का पहला चरण जून, 1974 तक पूरा हो जाना था, इसकी अवधि बढ़ाने का क्या औचित्य है ?

अधिक पत्तनों की मांग की जा रही है । अतः सभी क्षेत्रों में अधिक पत्तन और शिपयार्ड बनें ।

हल्दिया शिपयार्ड पर अंतिम रूप से कार्य कब आरंभ होगा और कब समाप्त होगा ? इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा और इसकी अंतिम क्षमता क्या होगी ?

The Minister of Shipping and Transport (**Shri Kamalapathi Tripathi**) **:** In reply to the questions raised by Shri Samar Guha. I would like to say that the Narula Committee was not a Committee but a Techno-Economic Group. Before this Group a working Group went to Haldia at the instane of the West Bengal Government. There was a demand from all the maritime States for a Techno-economic Group. This group was constituted in response to that demand and it visited all the states. It submitted its report. This Group recommended about three models.

* बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

Then, it was thought that consultants should be called as it was not possible to construct bigger ships. Consultants from the U. K., Norway and Yugoslavia were invited. These consultants will visit all the four states. The work about model No. 3 has been dropped at present.

जहां तक माडल संख्या 3 का सम्बन्ध है, वह बहुत बड़ी परियोजना है--1,20,000 डी० डब्ल्यू० टी० और 3,50,000 डी०डब्ल्य० टी० की। इस योजना को आरंभ करना संभव नहीं है।

All the four reports are to come. It will take about five to six months.

कोई विलम्ब नही किया जा रहा है। हम स्वयं इस कार्य को शीघ्र ही पूरा करना चाहते हैं। इस कर्य में 60 से 200 करोड़ रुपये से अधिक लगाने पड़ेंगे। अतः इस परियोजना को आरंभ करने से पूर्व उचित और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा स्थान आदि में के बारे में प्रतिवेदन आने चाहिये।

जहां तक हल्दियां का सम्बन्ध है, यह पत्तन पूरा होने वाला है और यहां पर 1,80,000 डी०डब्ल्यू०टी० के आभार के जहाज आ सकेंगे। वर्ष 1975 के मध्य तक यह पत्तन पूरा हो जायेगा और इस बीच परामर्शदाताओं से भी प्रतिवेदन मिल जायेंगे। तब सरकार निर्णय करके आगे कार्य करेगी।

श्री शंकरराव सावन्त (कोलाबा) : क्या विदेशी परामर्शदाताओं ने केवल इसी पत्तन का दौरा किया या अन्य पत्तनों का भी दौरा किया ?

सभापति महोदय : जी नहीं। सभा स्थगित होती है।

तत्पश्चात्, लोक-सभा सोमवार, 29 जुलाई, 1974/7 श्रावण 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday July 29, 1974/Sravana 7, 1896 (Saka)

भा० स० मु० ना०--वि० सि--21 लोक सभा/74--3-10-74 490